भारत सरकार,
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,
कर्मचारी चयन आयोग,
ब्लॉक सं-12,केन्द्रीय कार्यालय परिसर,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

Government of India,
Ministry of Personnel, Public Grievances &Pensions,
Department of Personnel and Training,
Staff Selection Commission,
Block No. 12, CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi – 110003.

विज्ञप्ति

कनिष्ठ अभियंता परीक्षा, 2026

ऑनलाइन आवेदनों के प्रस्तुतीकरण की तिथि	**02.09.2026 से 22.09.2026**
ऑनलाइन आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	**22.09.2026 (23:00 बजे तक)**
ऑनलाइन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि एवं समय	**23.09.2026 (23:00 बजे तक)**
'ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन करने हेतु विंडो और सुधार राशि के ऑनलाईन भुगतान' की तिथि	**28.09.2026 से 30.09.2026 (23:00 बजे तक)**
कंप्यूटर आधारित परीक्षा का अनंतिम कार्यक्रम (पेपर-I)	**अक्टूबर /नवम्बर, 2026**
कंप्यूटर आधारित परीक्षा का संभावित कार्यक्रम (पेपर-II)	**दिसम्बर, 2026**
ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरने में कठिनाई होने पर कॉल करने के लिए टोल फ्री हेल्प लाइन नंबर	**180 030 930 63**

''सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित होता है तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।''

फा. सं. HQ-C-3019/1/2026-C-3: कर्मचारी चयन आयोग, भारत सरकार के संगठनों/ कार्यालयों के लिए कनिष्ठ अभियंता के विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) में वैज्ञानिक सहायक की भर्ती के लिए भी परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये पद 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रुपये) में समूह 'ख' के हैं।

2. **ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि के अनुसार पदों का विवरण, आवश्यक शैक्षिक योग्यता**

क्र.सं.	संगठन	पद	आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं	आयु सीमा
1.	सीमा सड़क संगठन	क.अ. (सि.)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री; अथवा (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था / बोर्ड से सिविल अभियांत्रिक में तीन वर्ष का डिप्लोमा, और (ख) सिविल अभियांत्रिक कार्यों के नियोजन / निष्पादन / अनुरक्षण में दो वर्ष का कार्य अनुभव।	30 वर्ष तक
		क.अ. (वै. एवं यां.)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से वैद्युत अथवा यांत्रिक अभियांत्रिक में डिग्री। अथवा (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था/ बोर्ड से वैद्युत / ऑटोमोबाइल / यांत्रिक अभियांत्रिक में तीन वर्ष का डिप्लोमा, और (ख) वैद्युत या यांत्रिक अभियांत्रिक कार्यों के नियोजन / निष्पादन / रखरखाव में दो वर्ष का अनुभव।	
2.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय	क.अ. (सि.)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से सिविल अभियांत्रिक में तीन वर्ष का डिप्लोमा।	30 वर्ष तक
3.	केंद्रीय जल आयोग	क.अ. (यां.)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से यांत्रिक अभियांत्रिक में डिग्री अथवा डिप्लोमा।	30 वर्ष तक
		क.अ. (सि.)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से सिविल अभियांत्रिक में स्नातक डिग्री अथवा डिप्लोमा ।	
4.	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी)	क.अ. (वै.)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से वैद्युत अथवा यांत्रिक अभियांत्रिक में डिप्लोमा ।	32 वर्ष तक
		क.अ. (सि.)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से सिविल अभियांत्रिक में डिप्लोमा ।	
5.	केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान शाला	क.अ. (वै.)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से वैद्युत अभियांत्रिक में डिप्लोमा	30 वर्ष तक
		क.अ. (सि.)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल अभियांत्रिक में डिप्लोमा ।	
6.	गुणवता आश्वासन महानिदेशालय – नौसेना , रक्षा मंत्रालय	क.अ. (यां.)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से यांत्रिक अभियांत्रिक में डिग्री; अथवा क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से यांत्रिक अभियांत्रिक में तीन वर्ष का डिप्लोमा, और ख) संबंधित क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव	30 वर्ष तक

क्र.सं.	संगठन	पद	आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं	आयु सीमा
		क.अ. (वै.)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वैद्युत अभियांत्रिक में डिग्री अथवा क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से वैद्युत अभियांत्रिक में तीन वर्ष का डिप्लोमा, और ख) संबंधित क्षेत्र में में दो वर्ष का कार्य अनुभव।	
7.	फरक्का बांध परियोजना, जल शक्ति मंत्रालय	क.अ. (वै)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था या बोर्ड से वैद्युत अभियांत्रिक में डिप्लोमा	30 वर्ष तक
		क.अ. (सि.)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था या बोर्ड से सिविल अभियांत्रिक में डिप्लोमा	
8.	सैन्य अभियांत्रिक सेवाएं (एमईएस)	क.अ. (सि.)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल अभियांत्रिक में डिग्री अथवा क) किसी मान्यता प्राप्त संस्था अथवा विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से सिविल अभियांत्रिक में तीन वर्ष का डिप्लोमा, और ख) सिविल अभियांत्रिक कार्य के नियोजन, निष्पादन और अनुरक्षण का दो वर्ष का अनुभव	30 वर्ष तक
		क.अ. (वै. एवं यां.)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वैद्युत अथवा यांत्रिक अभियांत्रिक में डिग्री अथवा क) किसी मान्यता प्राप्त संस्था अथवा विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से वैद्युत अथवा यांत्रिक अभियांत्रिक में तीन वर्ष का डिप्लोमा, और ख) वैद्युत अथवा यांत्रिक अभियांत्रिक कार्य के नियोजन, निष्पादन और अनुरक्षण का दो वर्ष का अनुभव	
9.	राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ)	क.अ. (सि.)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से सिविल अभियांत्रिक में डिप्लोमा।	30 वर्ष तक
10.	दीपस्तंभ और दीपपोत के महानिदेशक, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	क.अ. (सि.)	सिविल अभियांत्रिक में डिग्री अथवा तीन वर्ष का अनुभव के साथ सिविल अभियांत्रिक में डिप्लोमा अथवा समकक्ष शैक्षणिक योग्यता	32 वर्ष तक
		क.अ. (वै)	वैद्युत अभियांत्रिक में डिग्री अथवा तीन वर्ष का अनुभव के साथ वैद्युत अभियांत्रिक में डिप्लोमा	

क्र.सं.	संगठन	पद	आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं	आयु सीमा
			अथवा समकक्ष शैक्षणिक योग्यता	
11.	दूरसंचार विभाग (डीओटी)	क.अ. (दू.)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल संचार या कंप्यूटर विज्ञान या दूरसंचार या सूचना प्रौद्योगिकी या इंस्ट्रूमेंटेशन में अभियांत्रिक या प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री।	30 वर्ष तक
12.	भारतीय मौसम विज्ञान विभाग	वै.सहा.	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की डिग्री जिसमें भौतिकी एक विषय के रूप में हो ; अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर एप्लीकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स दूरसंचार अभियांत्रिक या इंस्ट्रूमेंटेशन या सूचना प्रौद्योगिकी या दूरसंचार अभियांत्रिक या संचार अभियांत्रिक में स्नातक की डिग्री	30 वर्ष तक
13.	मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय	क.अ. (सि.)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से सिविल अभियांत्रिक में डिग्री अथवा तीन वर्ष का डिप्लोमा	30 वर्ष तक

नोट 1: कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) के पद का विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थी कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत एवं यांत्रिकी) के पद के लिए भी पात्र हैं।
नोट 2: कनिष्ठ अभियंता (दूरसंचार) के पद का विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थी आवश्यक शैक्षणिक योग्यता (EQ) को पूरा करने के अधीन आईएमडी में वैज्ञानिक सहायक/कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत) के पद के लिए भी पात्र हैं।
नोट 3: कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत) के पद का विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थी कनिष्ठ अभियंता (दूरसंचार) के पद के लिए भी योग्य हैं, जो आवश्यक शैक्षणिक योग्यता (EQ) और कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत एवं यांत्रिकी) के पद को पूरा करने के अधीन हैं।
नोट 4: वैज्ञानिक सहायक के पद का विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थी कनिष्ठ अभियंता (दूरसंचार) के पद के लिए भी पात्र हैं, जो इसकी आवश्यक शैक्षणिक योग्यता (EQ) को पूरा करने के अधीन है।

प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर:

क.अ.(सि) = कनिष्ठ अभियंता (सिविल), क.अ.(यां) = कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी), क.अ.(वै)=कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत), क.अ. (वै. एवं यां.)= कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत एवं यांत्रिकी), क.अ. (दू.)= कनिष्ठ अभियंता (दूरसंचार), वै.सहा. = वैज्ञानिक सहायक।

2.1 ऐसे पद जहां अनुभव अपेक्षित है, अभ्यर्थी द्वारा वह अनुभव अनिवार्य रूप से संबंधित पद के लिए यथा- विनिर्दिष्ट शैक्षिक योग्यता (EQ) पूरी करने के बाद ही प्राप्त किया गया हो। इसके अतिरिक्त, शैक्षिक योग्यता प्राप्ति के दौरान लिए गए इंटर्नशिप, प्रशिक्षण, अनुसंधान अनुभव आदि को आवेदन किए गए पद (पदों) के लिए अनुभव के रूप में नहीं माना जाएगा।

2.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020,

समय-समय पर संशोधित, के अनुसार, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग, फार्मेसी, वास्तुकला, फिजियोथेरेपी और अन्य निषिद्ध विषयों में कार्यक्रमों को मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) मोड या ऑनलाइन मोड के माध्यम से पेश करने की अनुमति नहीं है, सिवाय जहां ऐसे कार्यक्रमों को संबंधित सांविधिक/नियामक निकाय द्वारा अनुमति दी गई है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिसूचित किया गया है। तदनुसार, ऐसे निषिद्ध कार्यक्रमों में ओडीएल/ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त योग्यताएं स्वीकार नहीं की जाएंगी, सिवाय जहां उन्हें लागू सांविधिक प्रावधानों, विनियमों या न्यायिक आदेशों के अनुसार मान्यता प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.03.2019 एम.ए. संख्या 3092/2018 डब्ल्यू.पी. (सि) संख्या 382/2018 (मुकुल कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम एआईसीटीई और अन्य) के अनुसार, शैक्षणिक वर्ष 2009-10 तक नामांकित छात्रों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नु) द्वारा प्रदान की गई बी.टेक. इंजीनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमा को जहां भी लागू हो, वैध माना जाएगा।

2.3 प्रयोक्ता विभाग द्वारा दस्तावेज्ञ सत्यापन के लिए बुलाए गए सभी चयनित अभ्यर्थियों को स्नातक के सभी वर्षों/ सेमेस्टरों की मार्कशीट/अनंतिम प्रमाण पत्र/ स्नातक की डिग्री इत्यादि आवश्यक प्रमाण पत्र कट ऑफ तिथि से पहले आवश्यक शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के प्रमाण के रूप में मूल रूप में, और संबंधित क्षेत्र में अनुभव, जहां भी आवश्यक हो, कट-ऑफ तिथि पर या उससे पहले प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता प्रयोक्ता विभाग द्वारा निरस्त कर दी जाएगी।

2.4 वे अभ्यर्थी जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित कर पाते हैं कि अर्हक परीक्षा का परिणाम कटऑफ तिथि को अथवा उससे पूर्व घोषित किया गया था तथा उसे उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो उन्हें भी आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पूरी करने वाला माना जाएगा। यह दोहराया जाता है कि विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा निर्दिष्ट तिथि तक अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता (EQ) का परिणाम घोषित हो जाना चाहिए। विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा महत्वपूर्ण कटऑफ तिथि तक परिणाम को तैयार किए जाने मात्र से शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता पूरी नहीं होती है।

3. <u>रिक्तियां:</u>

अनंतिम रिक्तियां : 1748 (एक हजार सात सौ अड़तालीस) रिक्तियों की अनंतिम संख्या / अंतिम संख्या, पद-वार एवं श्रेणी-वार आयोग की वेबसाइट (https://ssc.gov.in> Candidate's Corner> Tentative Vacancy) पर उपलब्ध कराई जाएगी । अभ्यर्थी यह नोट कर लें कि आयोग द्वारा रिक्तियों का राज्य-वार / क्षेत्र-वार संग्रहण नहीं किया जाता है । अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे क्षेत्र वार / राज्य वार रिक्तियों की जानकारी के लिए संबंधित प्रयोक्ता विभाग से संपर्क करें ।

4. <u>आरक्षण एवं बेंचमार्क दिव्यांगजनों (बे.दि.) के लिए पदों की उपयुक्तता :</u>

4.1 मौजूदा सरकारी आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जाति (अजा) / अनुसूचित जनजाति (अजजा) / अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) / आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (आकव) एवं दिव्यांगजन इत्यादि श्रेणियों के लिए आरक्षण, मांगकर्ता संगठनों / कार्यालयों द्वारा निर्धारित किया गया है और आयोग को सूचित किया गया है ।

4.2 आयोग पूर्वोक्त पदों के लिए मांगकर्ता संगठनों / कार्यालयों द्वारा सूचित रिक्तियों के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन करता है। किसी भी मांगकर्ता संगठन / कार्यालय की रिक्तियों की संख्या तय करने में आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है। आरक्षण नीति का क्रियान्वयन, आरक्षण रोस्टर का रख – रखाव और विभिन्न श्रेणियों के लिए रिक्तियों का निर्धारण करना अनन्य रूप से मांगकर्ता संगठनों/ कार्यालयों के क्षेत्राधिकार में आता है।

4.3 चूंकि इस परीक्षा विज्ञप्ति में शामिल कनिष्ठ अभियंता (अभियंताओं) के पद समूह 'ख' पद हैं अत: **भूतपूर्व सैनिक (भू.पू.सै.) श्रेणी के लिए आरक्षण नहीं है। तथापि, भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को सरकारी आदेशों के अनुसार आयु में छूट का लाभ अनुमत्य होगा ।**

5. <u>बेंचमार्क दिव्यांग (बें.दि.) अभ्यर्थियों के लिए अनुमेय दिव्यांगता</u>

5.1 दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग , सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 38-16/2020-डीडीIII, दिनांक 04.01.2021 और समय-समय पर जारी संशोधन के अनुसार, इस परीक्षा विज्ञप्ति में शामिल कनिष्ठ अभियंता का पद, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को छोड़कर, निम्नलिखित दिव्यांगताओं के लिए उपयुक्त पाया गया है:

पद नाम	**कार्यात्मक आवश्यकता**	**बेंचमार्क दिव्यांगता की उपयुक्त श्रेणी**
कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	बै, खड़े, चल, झु., उ, घुझु, उका, प.लि., दे., सु., सं.	क) ब., श्र.दि. ख) ए.हा., ए.पै., प्र.प., अ.कु., बौ, ए.ह.पी., री.वि. (रीढ़ की हड्डी की विकृति) एवं री.चो. (स्नायु तंत्र/ अंग शिथिलता के बिना रीढ़ की चोट) ग) वि.अ.अ., मा.रो. घ) ब.दि. जिनमें उपरोक्त (क) से (ग) शामिल है
कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत/यांत्रिक)	बै, खड़े, झु., उ, घुझु, उका, प.लि., दे., सु., सं.	क) ब., श्र.दि. ख) ए.हा., ए.पै., प्र.प., अ.कु., बौ, ए.ह.पी., री.वि. (रीढ़ की हड्डी की विकृति) एवं री.चो. (स्नायु तंत्र/ अंग शिथिलता के बिना रीढ़ की चोट) ग) वि.अ.अ., मा.रो., घ) ब.दि. जिनमें उपरोक्त (क) से (ग) शामिल है
दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय में कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	बै, खड़े, झु , घुझु, उका, प.लि., दे., सु., सं.	क) ब., श्र.दि. ख) ए.हा., ए.पै., अ.कु., बौ, ए.ह.पी. ग) वि.अ.अ., मा.रो. घ) ब.दि. जिनमें उपरोक्त (क) से (ग) शामिल है
दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय में कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत)	बै, खड़े, चल, झु, उ, घुझु, खीं.ध., उका, प.लि., दे., सं.	क) ब., श्र.दि. ख) ए.पै., प्र.प., अ.कु., बौ, ए.ह.पी. ग) ऑ.स्पे.वि. (हल्का), वि.अ.अ., मा.रो., घ) ब.दि. जिनमें उपरोक्त (क) से (ग) शामिल है
कनिष्ठ अभियंता (दूरसंचार) डीओटी	बै, खड़े, चल, झु, दे., सं., उका, सु., प.लि.	क) दृ.दि. (अल्प दृष्टि) अ.कु., प्र.प., बौ, ए.ह.पी., ., री.वी (रीढ़ की हड्डी की विकृति) एवं री.चो. (स्नायु तंत्र/ अंग शिथिलता के बिना रीढ़ की चोट) सहित लोकोमोटिव दिव्यांगता (ए.हा./ ए.पै. एवं ए.हा.ए.पै.) ख) ब.दि. (क) एवं (ख) में से नोट- संबंधित अंग शिथिलता के साथ री.वि../री. चो. (स्नायु तंत्र/अंग शिथिलता के बिना) वाले व्यक्तियों को संबंधित उपश्रेणी जैसे ए.हा., ए. पै., ए.हा.ए.पै. के तहत शामिल किया जाएगा।
आईएमडी में वैज्ञानिक सहायक	बै, खड़े, चल, प.लि., दे., सं.	अ.दि.- (ए.पै. अथवा ए.हा.), बौ, ए.ह.पी.

मत्स्य विभाग में कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	बै, खड़े, चल, झु, उ, खीं.ध., घुझु, उका, प.लि., दे., सु., सं.	क) श्र.दि. ख) ए.हा., ए.पै.

प्रयुक्त संक्षिप्त नाम:

कार्यात्मक आवश्यकता: बै = बैठना, खड़े = खड़ा होना, चल = चलना, झु = झुकना, उ=उठाना, घुझु= घुटने टेकना और झुकना , उका= उंगलियों से कार्यसाधन, प.लि. = पढ़ना और लिखना, दे. = देखना, सु. = सुनना, सं = संचार, खीं.ध.= खींचना और धकेलना

शारीरिक अक्षमताओं की प्रकृति: ब.= बधिर, श्र.दि. = श्रवण दिव्यांग, ए.हा = एक हाथ, ए.पै. = एक पैर, प्र.प = प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, अ.कु = अभिसाधित कुष्ठ, बौ = बौनापन, ए.ह.पी = एसिड हमले से पीड़ित, री.वि. = रीढ़ की हड्डी में विकृति, री.चो. = रीढ़ की चोट, वि.अ.अ = विशिष्ट अभिगम अक्षमता, मा.रो. = मानसिक रोग, ब.दि. = बहु दिव्यांगताएं, ऑ.स्पे.वि. (हल्का) = ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकृति (हल्का)

नोट:1 उपर्युक्त तालिका में दर्शाए गए बेंचमार्क दिव्यांगजनों (बें. दि.) के लिए पदों की उपयुक्तता मांगकर्ता संगठनों / कार्यालयों से प्राप्त छूट, यदि कोई है, के अध्यधीन होगी।

नोट:2 इस परीक्षा विज्ञप्ति में शामिल कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिक और वैद्युत) एवं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) में वैज्ञानिक सहायक के पदों को दृष्टि दिव्यांग (दृ.दि.) व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है, सिवाए दूरसंचार विभाग में कनिष्ठ अभियंता (दूरसंचार) पद के।

नोट 3: दिव्यांगता के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, अभ्यर्थी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (दिव्यांगजन) (वेबसाइट: https://depwd.gov.in)) द्वारा जारी अधिसूचना एसओ 1338 (ई) दिनांक 12.03.2024 को निर्दिष्ट दिव्यांगताओं के आकलन की सीमा के बारे में दिशानिर्देशों के संबंध में देख सकते हैं।

5.2 सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) में कनिष्ठ अभियंता के पदों के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षा, शारीरिक और चिकित्सीय मानक अनुबंध- XVI पर उपलब्ध हैं। सीमा सड़क संगठन में कनिष्ठ अभियंता (अभियंताओं) के पद (पदों) के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे सभी अपेक्षित मानकों को पूरा करते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा दी गई योग्यता-सह-वरीयता के अनुसार पद (पदों) का एक बार आबंटन होने के पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा इन मानकों को पूरा न करने पर, बाद में इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यह पुनः कहा जाता है कि सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) में कनिष्ठ अभियंता के पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को बीआरओ द्वारा अपेक्षित शारीरिक और चिकित्सा मानकों को सावधानीपूर्वक जांच कर लेनी चाहिए। कर्मचारी चयन आयोग उन अभ्यर्थियों के लिए पुन: आवंटन प्रक्रिया नहीं करेगा जिनकी अभ्यर्थिता शारीरिक और चिकित्सा मानकों को पूरा न करने के आधार पर निरस्त कर दी गई है।

5.3 सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) में कनिष्ठ अभियंता (अभियंताओं) के पद (पदों) के लिए **केवल पुरुष** अभ्यर्थी पात्र हैं।

6. **राष्ट्रीयता /नागरिकता :**

6.1 अभ्यर्थी या तो

(क) भारत का नागरिक हो , या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो, या

(घ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो , जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या , यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका व जंजीबार), जांबिया, मालावी, जायरे, इथिओपिया और

वियतनाम से प्रवर्जन किया हो।

6.2 बशर्ते कि उपरोक्त (ख), (ग) तथा (घ) श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका हो।

6.3 ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है, उसे (अब से 'पुरूष / स्त्री' के संदर्भ में) परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही दिया जाएगा।

7. **आयु सीमा और आयु में छुट** :

7.1 डीओपीटी का.ज्ञ. सं. 14017/70/87-स्था.(आरआर), दिनांकित 14.07.1988 में निहित प्रावधानों के अनुसार आयु गणना के लिए निर्णायक तिथि 01-08-2026 निर्धारित की गई है।

पदों के लिए आयु संबंधी आवश्यकता निम्न प्रकार है: -

जिन पदों के लिए आयु सीमा 30 वर्ष तक है	अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 02.08.1996 से पहले और दिनांक 01.08.2008 के बाद नहीं होना चाहिए।
जिन पदों के लिए आयु सीमा 32 वर्ष तक है	अभ्यर्थी का जन्म 02.08.1994 से पहले और 01.08.2008 के बाद नहीं होना चाहिए।

7.2 **उपरोक्त पैरा 7.1** में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में अनुमेय छूट डीओपीटी का.ज्ञ. सं.. 15012/2/2010-स्था (डी) दिनांक 27.03.2012 के प्रावधानों के अनुसार है।

कोड	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में स्वीकार्य छूट
01	अजा/अजजा	5 वर्ष
02	अपिव	3 वर्ष
03	बेंचमार्क दिव्यांगजन (अना./आकव)	10 वर्ष
04	बेंचमार्क दिव्यांगजन (अपिव)	13 वर्ष
05	बेंचमार्क दिव्यांगजन (अजा/अजजा)	15 वर्ष
06	भूतपूर्व सैनिक (भूपूसै)	वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 3 वर्ष
08	किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रव ग्रस्त इलाके में सैन्य कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणाम स्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक (अना./आकव / अपिव)	3 वर्ष
09	किसी दूसरे देश क साथ संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रव ग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणाम स्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक (अजा / अजजा)	8 वर्ष

7.3 आयु पात्रता के निर्धारण के लिए अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में भरी गई जन्म तिथि और वही जन्मतिथि मैट्रिक / माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र या किसी समकक्ष प्रमाणपत्र में अंकित होने पर प्रयोक्ता विभाग/आयोग द्वारा मानी और स्वीकार की जाएगी और इसमे परिवर्तन करने के किसी भी अनुरोध पर विचार अथवा स्वीकार नहीं किया जाएगा और इनके एक समान न होने पर अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

7.4 ऐसे भूतपूर्व सैनिक (भू.पू.सै.) जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके नियमित आधार पर केन्द्र सरकार के अंतर्गत सिविल पदों पर समूह 'ग' और 'घ' पदों में पहले से ही नौकरी प्राप्त कर ली है, वे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में आरक्षण और शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। तथापि, जैसाकि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 14 अगस्त 2014 के का.ज्ञा.सं. 36034/1/2014-Estt (Res) में उल्लिखित है, वे उत्तरवर्ती नियोजन के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं यदि वे सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने के बाद तुरन्त विभिन्न रिक्तियों जिसके लिए उन्होंने प्रारंभिक सिविल नौकरी में कार्यभार ग्रहण से पहले रिक्तियों के लिए आवेदन किया था, के आवेदनों के तिथि वार ब्यौरे के संबंध में संबंधित नियोक्ता को स्वतः घोषणा / करता है / करती है / वचन देता है / वचन देती है।

7.5 सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "काल अप सर्विस" की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमानुसार सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी।

7.6 आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने कदाचार या अक्षमता के कारण सेवा से बरखास्तगी या सेवामुक्ति को छोड़कर इस पद / सेवा के लिए आवेदनपत्र भेजने के संगत समय पर भूपूसै का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो या उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा। ऐसे अभ्यर्थियों ने आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर एक भूतपूर्व सैनिक का दर्जा भी अवश्य प्राप्त कर लिया हो।

7.7 **स्पष्टीकरण :** भूतपूर्व सैनिक से आशय उस व्यक्ति से है -

(i) जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रुप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा

(क) जो पेंशन अर्जित करने के पश्चात अपने अनुरोध पर अथवा नियोक्ता द्वारा सेवा निवृत या कार्यमुक्त या सेवा मुक्त किया गया हो ;

अथवा

(ख) जिसे ऐसी सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेंशन दी गई हो ;

अथवा

(ग) जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरुप सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो ;

अथवा

(ii) जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न करके किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक, नामतः निरंतर मूर्त्त सेवा अथवा अलग-अलग अवधियों में की गई अर्हक सेवा वाले पेंशनधारी शामिल हैं.

अथवा

(iii) सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग हैं और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सहित सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अथवा सैन्य सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर अशक्त होने के कारण सैन्य डाक सेवा से कार्यमुक्त किए गए हैं और उन्हें चिकित्सा अथवा अन्य निशक्तता पेंशन दी गई है.

अथवा

(iv) ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल, 1987 से पूर्व सैन्य डाक सेवा में 06 माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे

अथवा

(v) प्रादेशिक सेना के कार्मिक सहित सशस्त्र सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेता ;

अथवा

(vi) भूतपूर्व सैनिक जिन्हें चिकित्सा आधार पर निकाला गया है अथवा कार्यमुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा निशक्तता पेंशन दी गई है।

7.8 भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र-पुत्रियों और आश्रितों को आयु सीमा में छूट अनुमत्य नहीं है। अत: ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए।

8. **प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाणपत्रों का प्रारुप:**

8.1 जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने अथवा आयु में छूट पाने के इच्छुक हैं, उन्हें संबंधित मांगकर्ता संगठनों / कार्यालयों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय अथवा किसी अन्य समय मांगे जाने पर निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र विहित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा, अजा / अजजा / अपिव / आकव / बें. दि. / भूपूसै के संबंध में उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। प्रमाणपत्रों का प्रारूप (अजा/ अजजा/ अपिव/आकव अभ्यर्थी के लिए अनुबंध -VII, VIII & IX, दिव्यांगजन एवं बेंचमार्क दिव्यांगजन अभ्यर्थी हेतु प्रलिपिक की सहायता के लिए अनुबंध -I, I क, II & 2क , दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के लिए अनुबंध-X, XI & XII एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु अनुबंध -V & VI) इस परीक्षा - विज्ञप्ति के साथ संलग्न हैं। दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) के तहत जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र भी मान्य होगा। किसी अन्य प्रारूप में प्रमाणपत्र और/या अपूर्ण प्रमाणपत्र स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे।

8.2 अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि वे ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई श्रेणी से संबंधित हैं और संबंधित प्रयोक्ता संगठनों / कार्यालयों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय या किसी भी चरण में, इस तरह के प्रमाणपत्र मांगे जाने पर वे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके इसे साबित करने में सक्षम हैं, जिसमें विफल होने पर उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को आवेदनपत्र में भरी गई श्रेणी के समर्थन में अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के लिए प्रयोक्ता संगठनों / कार्यालयों द्वारा उसकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाता है, तो अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र में गलत जानकारी देने के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा और इस संबंध में आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त यह भी नोट किया जाए कि इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी रूप में प्राप्त किसी भी शिकायत पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और इसे सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

उदाहरण के लिए, यदि किसी अभ्यर्थी ने अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी अपिव भरी है और यदि वह परीक्षा की विज्ञप्ति के अनुसार प्रयोक्ता संगठन / कार्यालय द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान वैध अपिव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है, ऐसी परिस्थितियों में, प्रयोक्ता संगठन /

कार्यालय द्वारा उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

8.3 बेंचमार्क दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) अभ्यर्थी ध्यान दें कि उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय उपयुक्त दिव्यांगता श्रेणी अर्थात दृ.दि./ अ.दि./ श्र.दि./ बेंचमार्क दिव्यांगजन-अन्य का चयन करना होगा। किसी भी परिस्थिति में बेंचमार्क दिव्यांगजन श्रेणी में बाद में किसी बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय या किसी भी चरण में संबंधित प्रयोक्ता संगठनों/ कार्यालयों द्वारा ऐसे प्रमाणपत्र मांगे जाने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

8.4 इस बात पर ध्यान दिया जाए कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 38-16/2020-डीडी-III, दिनांकित 04.01.2021 में बताए अनुसार दिव्यांगता/ दिव्यांगताओं की उप-श्रेणी/उप-श्रेणियों (जैसे एक बांह, एक पैर, दोनों पैर, बौनापन, वि.अ.अक्ष, मा.रो. आदि) का दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई श्रेणी के समर्थन में अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण प्रयोक्ता संगठन/कार्यालयों द्वारा किसी अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाती है, तो ऑनलाईन आवेदन पत्र में गलत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अभ्यर्थी पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस संबंध में किसी भी रूप में जैसे पोस्ट, फैक्स, ईमेल, हाथ से आदि प्राप्त किसी भी शिकायत पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उसे सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा

8.5 आकव में आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसके पास कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36039/1/2019-Estt (Res), दिनांकित 31.01.2019 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 की आय के आधार पर वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आय और संपत्ति प्रमाणपत्र है । आकव श्रेणी के आरक्षण की मांग करने वाले आवेदकों को अनिवार्य रूप से सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त प्रारूप **(अनुबंध- IX)** के अनुसार, जब भी आयोग / संबंधित प्रयोक्ता विभाग द्वारा मांगा जाए, अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आरक्षण आदि के लिए उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

8.6 अभ्यर्थी, उपरोक्त के संबंध में यह भी नोट करें कि उनकी अभ्यर्थिता तब तक अनंतिम रहेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शैक्षिक योग्यता, जाति / श्रेणी आदि से संबंधित प्रमाणपत्रों / दस्तावेजों की यथातथ्यता की पुष्टि नहीं कर ली जाती और उन्हें संतोषजनक नहीं पाया जाता । अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा / अजजा / अपिव/ आकव / बे.दि. / भू.पू.सै का दावा करते हैं तो उन्हें आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं से वारित कर दिया जाएगा।

8.7 अजा / अजजा / अपिव / आकव / बे.दि./ भू.पू.सै स्थिति या किसी अन्य लाभ नामत: शुल्क में छूट, आरक्षण, आयु में छूट आदि के दावे के लिए निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी । **'निर्णायक तिथि' का अभिप्राय है कि अभ्यर्थी को उस तिथि में संबंधित श्रेणी से होना चाहिए, इसका अर्थ प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि से नहीं है ।**

9. प्रतिपूरक समय का प्रावधान एवं प्रलिपिक/तकनीक/सहायक उपकरणों की सहायता :

9.1 अल्पदृष्टि/प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात की श्रेणी में आने वालें बेंचमार्क दिव्यांगजनों के मामले में, यदि अभ्यर्थी चाहे तो प्रलिपिक/तकनीक/सहायक उपकरणों की सुविधा प्रदान की जाती है, बशर्ते कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय आयोग से ऐसा अनुरोध किया जाए और ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरते समय अपेक्षित प्रमाणपत्र **(विज्ञप्ति का अनुबंध-X / दिव्यांगता प्रमाणपत्र)** अपलोड किया जाए और उक्त पद इस श्रेणियों की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त माना गया हो ।

9.2 बेंचमार्क दिव्यांगजनों की शेष श्रेणियों के मामले में, **अनुबंध-I** पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार सरकारी

स्वास्थ्य देख-रेख संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / चिकित्सा अधीक्षक से इस आशय का प्रमाणपत्र परीक्षा के समय प्रस्तुत करने पर प्रलिपिक/तकनीक/सहायक उपकरण की सुविधा प्रदान की जाएगी कि संबंधित व्यक्ति की लिखने से संबंधित शारीरिक सीमाएं हैं और उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए प्रलिपिक अत्यावश्यक है। **इसके अतिरिक्त ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय अपेक्षित प्रमाणपत्र (अनुबंध-Iक / दिव्यांगता प्रमाणपत्र) अपलोड करना आवश्यक है।** अभ्यर्थियों द्वारा **अनुबंध-I** में जमा किए गए बेंचमार्क दिव्यांगता प्रमाणपत्र की सत्यता की जांच आयोग द्वारा किसी भी चरण में की जा सकती है।

9.3 दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, द्वारा जारी दिनांक 10.08.2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 29-6/2019-डीडी-III, के अनुसरण में 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई अनुभव करने वाले दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को प्रलिपिक/तकनीक/सहायक उपकरण की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। यह सुविधा **अनुबंध-I क** के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्रदान की जाएगी। **ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय अपेक्षित प्रमाणपत्र (अनुबंध-I क / दिव्यांगता प्रमाणपत्र) अपलोड करना आवश्यक है।** अभ्यर्थियों द्वारा **अनुबंध-I क** में जमा किए गए दिव्यांगता प्रमाणपत्र की सत्यता की जांच आयोग द्वारा किसी भी चरण में की जा सकती है।

9.4 बेंचमार्क दिव्यांगजन/दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रलिपिक/तकनीक/सहायक उपकरणों की सुविधा केवल तभी प्रदान की जाएगी जब उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में इस विकल्प का चयन किया हो। **[डी.ओ.पी.टी. के दिनांक 02 फरवरी, 2024 के का.ज्ञा. संख्या 36035/44/2023-Estt.(Res-II) का संदर्भ ले]**

9.5 यदि बेंचमार्क दिव्यांगजन / दिव्यांग अभ्यर्थी अपने ही प्रलिपिक का विकल्प देता है तो निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए : -

क) किसी व्यक्ति को आयोग की वेबसाइट पर अपना एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) और आधार प्रमाणीकरण पूरा करने के बाद ही प्रलिपिक के रूप में काम करने की अनुमति दी जाएगी। यदि अभ्यर्थी का प्रलिपिक/तकनीक/सहायक उपकरण आधार प्रमाणित नहीं है, तो आयोग अभ्यर्थी को प्रलिपिक/तकनीक/सहायक उपकरण उपलब्ध कराएगा।

ख) कोई भी प्रलिपिक एक ही परीक्षा में एक से अधिक अभ्यर्थियों को सहायता प्रदान नहीं करेगा।

ग) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाला अभ्यर्थी उसी परीक्षा में किसी अन्य अभ्यर्थी के लिए प्रलिपिक के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। यदि किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी ने इस परीक्षा में प्रलिपिक के रूप में किसी अन्य बेंचमार्क दिव्यांगजन/दिव्यांगजन अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों की सहायता की है, तो दोनों अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

घ) प्रलिपिक की योग्यता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी से एक स्तर नीचे होगी।

ङ) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रलिपिक के संबंध में दी गई जानकारी सही है। यदि परीक्षा के दौरान या उसके बाद किसी चरण में यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी (बें.दि./दि.) ने प्रलिपिक की सुविधा का लाभ उठाया है और वह प्रलिपिक प्रतिरूपणकर्ता पाया जाता है और/अथवा प्रलिपिक या अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई भी जानकारी असत्य/गलत पाई जाती है, तो अभ्यर्थी को इसके लिए उत्तरदायी माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी (बें.दि./दि.) की अभ्यर्थिता तत्काल निरस्त कर दी जाएगी।

च) अभ्यर्थियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा लिए गए प्रलिपिक आयोग की वेबसाइट (https://ssc.gov.in) पर दिए गए वारित व्यक्तियों की सूची में शामिल नहीं हैं। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग/क्षेत्रीय कार्यालय (कार्यालयों) की वेबसाइट पर दिए गए वारित व्यक्तियों की सूची को ध्यान से देखें।

नोट : - उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी, अभ्यर्थी के साथ-साथ प्रलिपिक को भी मौजूदा नियमों के अनुसार वारित कर दिया जाएगा, प्रलिपिक के विरुद्ध

प्रासंगिक कार्रवाई की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी।

9.6 यह नोट किया जाए कि किसी व्यक्ति को प्रलिपिक के रूप में कार्य करने की अनुमति तब दी जाएगी जब वह आयोग की वेबसाइट पर अपना ओटीआर और आधार प्रमाणीकरण पूरा कर लेगा ।

9.7 प्रलिपिक के पंजीकरण और उसके लिए विकल्प देने की प्रक्रिया नीचे दी गई है: -

क) अभ्यर्थी द्वारा प्रलिपिक के रूप में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को चुनने से पहले, उस व्यक्ति (प्रलिपिक) के लिए आयोग की वेबसाइट पर एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) पूरा करना होगा । पंजीकरण के दौरान प्रलिपिक के मोबाइल नंबर पर जनरेट किए गए ओटीआर नंबर को अभ्यर्थी द्वारा भरना होगा ताकि वह उस व्यक्ति को अपना प्रलिपिक चुन सके ।

ख) जब प्रवेश प्रमाणपत्र लाइव हो जाता है, तो अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट खोलना (एक्सेस करना) होगा और प्रलिपिक का ओटीआर नंबर देना होगा। एकबारगी पासवर्ड जनरेट किया जाएगा और प्रलिपिक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। अभ्यर्थी को प्रलिपिक से ओटीपी प्राप्त करना होगा और पोर्टल पर उपयुक्त फ़ील्ड में उसे भरना होगा। अभ्यर्थी और प्रलिपिक द्वारा अपेक्षित व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि प्रवेश प्रमाणपत्र जनरेट करते समय अपना स्वयं का प्रलिपिक चुनने की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके ।

ग) प्रक्रिया पूरी होने के बाद, अभ्यर्थी का प्रवेश प्रमाण-पत्र तथा प्रलिपिक का प्रवेश पास तैयार हो जाएगा, जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकता है।

घ) यदि प्रवेश प्रमाण-पत्र तैयार करते समय अभ्यर्थी, आवेदन-पत्र में प्रलिपिक का विकल्प चुनने के बावजूद स्वयं के लिए प्रलिपिक नहीं लेना चाहता हो, तो अभ्यर्थी आयोग द्वारा सीबीई के दौरान उपलब्ध कराए गए प्रलिपिक/तकनीक/सहायक उपकरणों की सहायता का विकल्प ले सकता है । ऐसा विकल्प चुनने के बाद अभ्यर्थी प्रवेश प्रमाण-पत्र डाउनलोड कर सकता है । आयोग द्वारा अभ्यर्थी को परीक्षा के समय प्रलिपिक/तकनीक/सहायक उपकरणों की सुविधा प्रदान की जाएगी ।

ङ) यदि अभ्यर्थी द्वारा चुना गया प्रलिपिक, जिसका प्रवेश पास भी तैयार हो चुका है, किसी कारण अभ्यर्थी की सहायता के लिए परीक्षा के समय नहीं आता है, तो आयोग परीक्षा के समय प्रलिपिक/तकनीक/सहायक उपकरण उपलब्ध कराएगा।

9.8 बेंचमार्क दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) अभ्यर्थियों को स्वयं के प्रलिपिक का चयन करने के लिए **अनुबंध-II** में दिए गए प्रारूप के अनुसार परीक्षा के समय स्वयं के प्रलिपिक का ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त पैरा 9.3 के अनुसार प्रलिपिक/तकनीक/सहायक उपकरणों के लिए पात्र दिव्यांगजन अभ्यर्थी (पीडब्ल्यूडी) जो स्वयं के प्रालिपिक का विकल्प चुनते हैं उन अभ्यर्थियों को परीक्षा के समय **अनुबंध-II** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार प्रलिपिक का विवरण जमा करना होगा । इसके अतिरिक्त, प्रलिपिक को परीक्षा के समय एक वैध मूल पहचान प्रमाण पत्र [पैरा-15.7 पर दी गई सूची के अनुसार] प्रस्तुत करना होगा । प्रलिपिक के पहचान पत्र की फॉटोप्रति जिस पर अभ्यर्थी एवं प्रलिपिक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हो **अनुबंध-II** में प्रपत्र के साथ अपलोड की जाएगी। यदि बाद में यह पाया जाता है कि प्रलिपिक की योग्यता अभ्यर्थी द्वारा घोषित नहीं है, तो अभ्यर्थी पद (पदों) और उससे संबंधित दावों पर अपना अधिकार खो देगा।

9.9 प्रलिपिक आयोग द्वारा उपलब्ध कराए जाने के मामले में प्रलिपिक की शैक्षिक अर्हता परीक्षा के न्यूनतम शैक्षिक अर्हता मानदंड से अधिक नहीं होगी । तथापि प्रलिपिक की शैक्षिक अर्हता, मैट्रिक या उससे ऊपर होगी।

9.10 ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्हें उपर्युक्त **पैरा 9.1, 9.2, एवं 9.3** में यथावर्णित उपबंधों के अनुसार प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, उन्हें परीक्षा में प्रतिघंटे 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा

9.11 उपरोक्त **पैरा 9.1, 9.2 और 9.3** में निर्दिष्ट अभ्यर्थी, जो प्रलिपिक/तकनीक /सहायक उपकरणों की सुविधा हेतु के योग्य हैं परंतु इस सुविधा का लाभ नहीं उठा रहे हैं, उन्हें भी परीक्षा में प्रतिघंटे 20 मिनट का अतिरिक्त

समय प्रदान किया जाएगा

9.12 परीक्षा परिसर के अन्दर पात्र अभ्यर्थियों के प्रलिपिक के अलावा किसी अन्य परिचर को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

9.13 बेंचमार्क दिव्यांगजन/ दिव्यांगजन अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रलिपिक/ तकनीक/सहायक उपकरणों की सुविधा अथवा अतिरिक्त समय का लाभ लिया है, उन्हें प्रयोक्ता विभाग द्वारा संचालित दस्तावेज सत्यापन के समय प्रलिपिक / अतिरिक्त समय की पात्रता के लिए संगत दस्तावेज अवश्य प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे संगत दस्तावेजों को प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में, परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता को रद्द कर दी जाएगी।

10 आवेदन करने का तरीका और ऑनलाईन आवेदन पत्र शुल्क :

10.1 वे सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में आवेदन करना चाहते हैं उन्हें पहले आयोग की वेबसाइट (https://ssc.gov.in) पर एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) करना होगा। पुरानी वेबसाइट (https://ssc.nic.in) पर पहले किया गया एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) नई वेबसाइट पर काम नहीं करेगा। ओटीआर के बाद, अभ्यर्थी परीक्षा के लिए आवेदनपत्र भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। नई वेबसाइट (https://ssc.gov.in) पर ओटीआर तैयार होने के बाद यह नई वेबसाइट पर आवेदन की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वैध बना रहेगा। ओटीआर के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश इस परीक्षा विज्ञप्ति के अनुबंध-III में दिए गए हैं।

10.2 आवेदन पत्र कर्मचारी चयन आयोग (मुख्यालय) की वेबसाइट अर्थात (https://ssc.gov.in) पर केवल ऑनलाइन माध्यम से अथवा **mySSC मोबाईल एप्लीकेशन** एप्लीकेशन (जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है) के माध्यम से ही प्रस्तुत करना अपेक्षित है विस्तृत अनुदेशों के लिए, कृपया इस विज्ञप्ति के **अनुबंध- III और अनुबंध- IV** और साथ ही, आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मोबाइल ऐप से संबंधित **दिनांक 02.06.2025 की विज्ञप्ति** का अवलोकन करें। एकबारगी पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र **अनुबंध- IIIक** और **अनुबंध- IVक** के रूप में दिए गए हैं।

10.3 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित आधार नीति के अनुसार, अपनी ओटीआर प्रक्रिया पूरी करते समय, आधार आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प चुनें। आधार प्रमाणीकरण का विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन इस आधार पर अस्वीकार नहीं किए जाएंगे कि अभ्यर्थी द्वारा अपलोड की गई फोटो और/या हस्ताक्षर निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं हैं। **ऐसे अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के समय परीक्षा स्थल में प्रवेश हेतु हाल ही में खींची गई रंगीन फोटो, मूल रूप में वैध फोटो-पहचान प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।**

10.4 आवेदन करने हेतु, अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने के लिए अपना पहले लिया गया फोटो रखने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन मॉड्यूल को आवेदनपत्र भरने वाले अभ्यर्थी का रियल-टाइम फोटो लेने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रयोजनार्थ अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदनपत्र मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़े होना/ बैठना होगा तथा फोटो खींचते समय निम्नलिखित निर्देशों का विवेकपूर्ण तरीके से पालन करना होगा :-

(i) अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान चुनें।

(ii) फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर है।

(iii) अपने आप को कैमरे के सामने रखें और सीधे सामने देखें।

(iv) यह सुनिश्चित करें कि चेहरा पूरी तरह से कैमरे द्वारा सीमांकित निर्धारित क्षेत्र के अंदर समाहित हो और न तो यह बहुत करीब हो और न ही बहुत दूर हो। यह इस क्षेत्र को पूरी तरह कवर करे और चेहरे का कोई भी भाग इस सीमांकित क्षेत्र से बाहर नहीं होना चाहिए।

(v) अभ्यर्थियों को फोटो लेते समय टोपी, मास्क या धूप का चश्मा/नज़र का चश्मा नहीं पहनना चाहिए।

स्वीकृत/अस्वीकृत फोटो के नमूने **अनुबंध- XV** में दिए गए हैं।

10.5 परीक्षा में शामिल होने के दौरान अभ्यर्थी का रूप-रंग वैसा ही दिखना चाहिए जैसा कि आवेदनपत्र में उसकी फोटो लगाई गई है। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ली गई फोटो साफ हो, बिना टोपी या चश्मा के हो और सामने से चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ऐसे फोटोयुक्त आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा जिनमें फोटो निर्देशों के अनुसार नहीं ली गई है। किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को अपनी पहले से ली गई फोटोग्राफ नहीं लगानी चाहिए। ऐसे सभी आवेदन जिनमें उनकी पहले की फोटो लगाई गई है, उन्हें सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। **तथापि, उपरोक्त आधारों पर अस्वीकृति उन अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होती जिन्होंने आवेदन करने के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया का प्रयोग किया हो।**

10.6 अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप (10 से 20 केबी) में स्कैन किए गए अपने हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 6.0 से.मी. (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। अनुपयुक्त फोटो युक्त या धुंधले/लघु हस्ताक्षर वाले, और उपर्युक्त आवश्यकताओं को पूरा न करने वाले ऑनलाईन आवेदन पत्रों को सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा। **तथापि, अभ्यर्थियों के आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से जमा किए गए आवेदन उपरोक्त आधार पर अस्वीकार नहीं किए जाएंगे।**

10.7 बेंचमार्क दिव्यांगजन/दिव्यांग अभ्यर्थी, जो आरक्षण या प्रलिपिक अथवा दोनों का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय, यथाप्रयोजय, **अनुबंध-I, अनुबंध-Iक** और **अनुबंध- X से XII** के अनुसार दिव्यांगता प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा।

10.8 ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि और समय दिनांक **22.09.2026 (23:00 बजे तक)** है।

10.9 अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें और अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें ताकि अंतिम दिनों में नेटवर्क व्यस्त होने के कारण संपर्क में बाधा/असमर्थता और एसएससी की वेबसाइट पर लॉगइन करने में विफलता से बचा जा सके।

10.10 आयोग पूर्वोक्त कारणों से या अपने नियंत्रण से परे किसी भी अन्य कारण से अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

10.11 ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने से पहले अभ्यर्थियों को प्रीव्यू / प्रिंट विकल्प के माध्यम से यह जांच कर लेनी चाहिए कि उन्होंने ऑनलाईन आवेदनपत्र के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है। उन्हें यह जांच भी कर लेनी चाहिए कि फोटो और हस्ताक्षर उपर्युक्त सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाईन आवेदन पत्र की एक प्रति अपने पास रखें।

10.12 देय शुल्कः 100/-रूपए (एक सौ रूपए मात्र)।

10.13 महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा), बेंचमार्क दिव्यांगजनों (बे.दि.) और आरक्षण के लिए पात्र भूतपूर्व सैनिकों को शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है।

10.14 **शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम नामत: भीम यूपीआई, नेटबैकिंग, अथवा वीजा, मास्टरकार्ड, मैस्ट्रो, या रूपे डेबिट कार्ड से किया जा सकता है।**

10.15 ऑनलाइन शुल्क का भुगतान **दिनांक 23.09.2026 (23:00 बजे तक)** किया जा सकता है।

10.16 अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका ऑनलाईन शुल्क कर्मचारी चयन आयोग में जमा हो गया है। यदि कर्मचारी चयन आयोग को शुल्क प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऑनलाईन आवेदनपत्र की स्थिति **'Incomplete'** दर्शाएगा तथा यह सूचना ऑनलाईन आवेदन पत्र के शीर्ष पर मुद्रित होगी। इसके अलावा शुल्क भुगतान की स्थिति के बारे में अभ्यर्थी की लॉगइन स्क्रीन में दिए गए लिंक "Payment Status' पर जांच की जा सकती है। ऐसे आवेदन, जिनकी स्थिति शुल्क भुगतान प्राप्त न होने के कारण अपूर्ण रहती है, उनको **सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा** तथा परीक्षा की विज्ञप्ति में

विनिर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे ऑनलाइन आवेदन पत्रों और शुल्क भुगतान के संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा ।

10.17 एक बार जमा किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य परीक्षा अथवा चयन के लिए इसे समायोजित किया जाएगा ।

11 <u>ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए विंडो [दिनांक 28.09.2026 से दिनांक 30.09.2026 (23:00 बजे तक)]:</u>

11.1 आयोग ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, ऑनलाइन आवेदन संबंधी मापदंडों को संपादित/ संशोधित करने के लिए अभ्यर्थियों को दो (02) दिन की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार ऑनलाइन आवेदन डाटा में अपेक्षित संशोधन / परिवर्तन करने के बाद आवेदन को फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

11.2 किसी भी अभ्यर्थी को '**ऑनलाईन आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो**' के दौरान अपने आवेदन पत्र को संशोधन/सुधार करने और संशोधित आवेदन पत्र को पुन: जमा करने के लिए **दो बार** अनुमति दी जाएगी, अर्थात, यदि उसने अपने अद्यतित ऑनलाईन आवेदन पत्र में भी गलती की है, तो उसे अपेक्षित सुधार / संशोधन करने के बाद पुन: सही आवेदन पत्र जमा करने की अनुमति दी जाएगी । किसी भी परिस्थिति में ऑनलाईन आवेदन पत्र में कोई और संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11.3 केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके सभी प्रकार से पूरे ऑनलाइन आवेदन पत्र अपेक्षित शुल्क (यदि लागू हो) के भुगतान के साथ, आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त किए गए हैं।

11.4 लागू सुधार राशि प्राप्ति के अध्यधीन, नवीनतम संशोधित/सुधार किए गए आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए पिछले ऑनलाईन आवेदन पत्र (पत्रों) को रद्द कर दिया जाएगा।

11.5 आयोग पहली बार ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन करने और संशोधित/ सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 200/- की एकसमान सुधार राशि और दूसरी बार संशोधन करने और संशोधित/सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 500/- की एकसमान सुधार राशि लगाएगा। सुधार राशि सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगी चाहे उनका लिंग / श्रेणी कुछ भी हो।

11.6 यदि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लागू सुधार शुल्क प्राप्त नहीं होते हैं, तो ऑनलाईन आवेदन पत्र की स्थिति 'Incomplete' दर्शाई जाती है और यह जानकारी ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रिंटआउट के शीर्ष पर मुद्रित होती है। ऐसा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा पूर्व में प्रस्तुत आवेदन वैध रहेगा।

11.7 सुधार राशि का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या वीज़ा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो, या रुपे डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है।

11.8 एक बार भुगतान की गई सुधार राशि को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

11.9 सुधार किए गए आवेदन पत्र जमा करने से पहले अभ्यर्थियों को यह जांच कर लेनी चाहिए कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है। **'ऑनलाईन आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' की अवधि के समाप्त होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति अनलाइन आवेदन प्रपत्र में किसी भी परिवर्तन / सुधार / संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।** इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी माध्यम से प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा।

12. परीक्षा केंद्र :

12.1 कर्मचारी चयन आयोग के नौ (09) क्षेत्रीय कार्यालयों और उनके क्षेत्राधिकार में स्थित परीक्षा केंद्रों

(संभावित) का विवरण निम्नानुसार हैं :-

क्र. सं.	**परीक्षा केन्द्र और केंद्र कोड**	**कर्मचारी चयन आयोग क्षेत्र और उसके क्षेत्राधिकार के अधीन राज्य / संघ राज्य क्षेत्र**	**क्षेत्रीय कार्यालयों के पते / वेबसाइट**
1.	भागलपुर (3201), गया (3203), मुजफ्फरपुर (3205), पटना (3206), आगरा (3001), प्रयागराज (3003), बरेली (3005), गोरखपुर (3007), झांसी (3008), कानपुर (3009), लखनऊ (3010), मेरठ (3011), वाराणसी (3013), दरभंगा (3202), छपरा (3208), पूर्णिया (3209), सहरसा (3210), मुंगेर (3211).	**मध्य क्षेत्र (म.क्षे.)** / बिहार और उत्तर प्रदेश	क्षेत्रीय निदेशक (म.क्षे) , कर्मचारी चयन आयोग , 34-ए, महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाइंस, केंद्रीय सदन, प्रयागराज -211 001 **(https://ssccr.gov.in)**
2.	श्री विजयपुरम (4802), रांची (4205), धनबाद (4206), जमशेदपुर (4207), सुरी (4416), बर्दवान (4422), दुर्गापुर (4426), बालासोर (4601), बेहरामपुर (4602), भुवनेश्वर (4604), कटक (4605), सम्बलपुर (4609), राऊरकेला (4610), धेनकेनाल (4611), गंगटोक (4001), कोलकाता (4410), सिलीगुड़ी (4415), कल्याणी (4419), मालदा (4412).	**पूर्वी क्षेत्र (पू.क्षे.)** / अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल	क्षेत्रीय निदेशक (पू.क्षे), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम एमएसओ बिल्डिंग, (8 वां तल), 234/4, आचार्य जगदीशचंद्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिमबंगाल-700020 **(www.sscer.org)**
3.	बेंगलूरू (9001), बेलगवी (9002), कलाबुर्गी/गुलबर्गा (9005), मेंगलौर (9008), मैसूर (9009), शिवमोगा (9010), हु बली (9011), उडुपी (9012), कन्नूर (9202), कोट्टयम (9205), कोझिकोड (9206), तिरूवनंतपुरम (9211), एरणाकुलम (9213), कोल्लम (9210), त्रिशुर (9212), कावारत्ती (9401), आलापुझा 9201), मलप्पुरम (9207).	**कर्नाटक, केरल क्षेत्र (क.के.क्षे.)** / कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप	क्षेत्रीय निदेशक (कर्नाटक केरल क्षेत्र), कर्मचारी चयन आयोग , प्रथम तल, "ई" विंग, केन्द्रीय सदन, कोरमंगला, बेंगलुरू, कर्नाटक-560034 **(www.ssckkr.kar.nic .in)**
4.	भोपाल (6001), ग्वालियर (6005), इंदौर (6006), जबलपुर (6007), सतना (6014), सागर (6015), उज्जैन (6016), बिलासपुर (6202), रायपुर (6204), दुर्ग-भिलाई (6205).	**मध्य प्रदेश उप-क्षेत्र (म.प्रे.क्षे.)** / छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश	क्षेत्रीय निदेशक (म.प्र.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, 5 वां तल, इनवेस्टमेंट बिल्डिंग, एलआईसी कैंपस-2, पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़ – 492004 **(www.sscmpr.gov.in)**

क्र. सं.	परीक्षा केन्द्र और केंद्र कोड	कर्मचारी चयन आयोग क्षेत्र और उसके क्षेत्राधिकार के अधीन राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रीय कार्यालयों के पते / वेबसाइट
5.	इटानगर (5001), गुवाहटी (दिसपुर) (5105), इम्फाल (5501), शिलांग (5401), आइजोल (5701), दीमापुर (5301), अगरतला (5601).	**पूर्वोत्तर क्षेत्र (पूर्वोक्षे.)** / अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा।	क्षेत्रीय निदेशक (पूर्वो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, हाउसफेड कॉम्प्लेक्स, लास्टगेट, बेलतला-बशिष्ठ रोड, डाकघर असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम - 781006 **(www.sscner.org.in)**
6.	दिल्ली (2201), बीकानेर (2404), जयपुर (2405), उदयपुर (2409), सीकर (2411), देहरादून (2002), हल्द्वानी (2003), रूड़की (2006).	**उत्तरी क्षेत्र (उ.क्षे.)** / रा.रा.क्षे. दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड	क्षेत्रीय निदेशक (उ.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक संख्या 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 **(www.sscnr.nic.in)**
7.	चण्डीगढ़/ मोहाली (1601), हमीरपुर (1202), शिमला (1203), जम्मू (1004), सांबा (1010), श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) (1007), बठिंडा (1401), अमृतसर (1404), जालंधर (1402), पटियाला (1403), लुधियाना (1405).	**पश्चिमोत्तर उप क्षेत्र (पश्चिमो.क्षे.)** / चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा पंजाब	क्षेत्रीय निदेशक (पश्चिमो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक संख्या- 3, भूतल, केन्द्रीय सदन , सेक्टर-9, चंडीगढ़- 160009 **(www.sscnwr.org)**
8.	गुंटूर (8001), काकीनाड़ा (8009), कुर्नूल (8003), नेल्लौर (8010), राजमुंदरी (8004), तिरूपति (8006), विजयवाड़ा (8008), विशाखापत्तनम (8007), पुडुचेरी (8401), चेन्नई (8201), कोयबंटूर (8202), मदुरै (8204), सेलम (8205), तिरूचिरापल्ली (8206), तिरूनेलवेली (8207), वेल्लोर (8208), हैदराबाद (8601), करीमनगर (8604), वारंगल(8603), कृष्णागिरी (8209), श्रीकाकुलम (8015), एलुरू (8016), सिद्दीपेट (8605), .	**दक्षिणी क्षेत्र (द.क्षे.)** / आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना।	क्षेत्रीय निदेशक (द.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, दूसरा तल, ईवीके संपत बिल्डिंग, डीपीआई कैंपस, कॉलेज रोड, चेन्नई, तमिलनाडु -600006 **(www.sscsr.gov.in)**
9.	अहमदाबाद (7001), वदोदरा (7002), राजकोट (7006), सूरत (7007), मेहसाना (7013), अमरावती (7201), कोल्हापुर (7203), छत्रपति संभाजीनगर (7202), मुंबई (7204), नागपुर (7205), नाशिक (7207), पुणे (7208), पणजी (7801) जलगांव (7214), नांदेड (7206).	**पश्चिमी क्षेत्र (प. क्षेत्र)** / दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र	क्षेत्रीय निदेशक (प.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, दक्षिण विंग, प्रतिष्ठा भवन, 101, महर्षि कर्वे रोड, मुंबई, महाराष्ट्र- 400020 **(www.sscwr.net)**

12.1 अभ्यर्थी कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल होने के लिए एक ही क्षेत्र के भीतर प्राथमिकता के क्रम में तीन केन्द्रों (देशभर में कहीं भी) का विकल्प दे सकता है। बाद में किसी भी परिस्थिति में परीक्षा के किसी भी चरण / टियर (टियरों) में केन्द्र के परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः, अभ्यर्थियों को केंन्द्रों का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए और अपने आवेदनों में इसे ठीक से इंगित करना चाहिए।

12.2 आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने गए केंद्रों में समायोजित करने का प्रयास करेगा। तथापि, आयोग को उपर्युक्त पैरा 12.1 में दी गई सूची में अतिरिक्त केंद्र (केंद्रों) को जोड़ने या उपरोक्त सूची में से किसी भी केंद्र को रद्द करने और उस केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केंद्र में परीक्षा देने के लिए कहने का अधिकार है। आयोग परीक्षा देने हेतु किसी भी केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केन्द्र पर स्थानांतरित करने का भी अधिकार है।

13. परीक्षा की रूपरेखा

13.1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा नीचे इंगित किए गए दो पेपरों में होंगे:

13.1.1 पेपर-I
13.1.2 पेपर-II

पेपर	परीक्षा की पद्धति	विषय	प्रश्नों की संख्या/ अधिकतम अंक	अवधि
पेपर-I	कम्प्यूटर आधारित परीक्षा	(i) सामान्य बुद्धिमता एवं तर्कशक्ति	50/50	2 घंटे (उन अभ्यर्थियों के लिए 2 घंटे और 40 मिनट जो **पैरा 9.1, 9.2 एवं 9.3** के अनुसार प्रलिपिक हेतु पात्र हैं।)
		(ii) सामान्य जागरूकता	50/50	
		(iii) जेई (सिविल) के पद के लिए: **भाग-क** सामान्य अभियांत्रिकी (सिविल एवं संरचनात्मक) **या** **जेई (वैद्युत) के पद के लिए:** **भाग-ख:** सामान्य अभियांत्रिकी (वैद्युत) **या** **जेई (यांत्रिकी) के पद के लिए:** **भाग-ग:** सामान्य अभियांत्रिकी (यांत्रिकी) **या** **आईएमडी में एसए के पद के लिए:** **भाग-घ:** सामान्य अभियांत्रिकी	100/ 100	

पेपर	परीक्षा की पद्धति	विषय	प्रश्नों की संख्या/ अधिकतम अंक	अवधि
		(कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी) / **भाग-ङ:** सामान्य अभियांत्रिकी (इलेक्ट्रानिक्स और दूरसंचार अभियांत्रिकी) / **भाग-च:** भौतिकी **या** **जेई (दूरसंचार) के पद के लिए:** **भाग-छ:** दूरसंचार		
पेपर-II	कंप्यूटर आधारित परीक्षा	**जेई (सिविल) के पद के लिए:** **भाग-क** सामान्य अभियांत्रिकी (सिविल एवं संरचनात्मक) **या** **जेई (वैद्युत) के पद के लिए:** **भाग-ख:** सामान्य अभियांत्रिकी (वैद्युत) **या** **जेई (यांत्रिकी) के पद के लिए:** **भाग-ग:** सामान्य अभियांत्रिकी (यांत्रिकी) **या** **आईएमडी में एसए के पद के लिए:** **भाग-घ:** सामान्य अभियांत्रिकी (कम्प्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी) / **भाग-ङ:** सामान्य अभियांत्रिकी (इलेक्ट्रानिक्स और दूरसंचार अभियांत्रिकी) / **भाग-च:** भौतिकी **या**	100/300	2 घंटे (उन अभ्यर्थियों के लिए 2 घंटे और 40 मिनट जो **पैरा 9.1, 9.2 एवं 9.3** के अनुसार प्रलिपिक हेतु पात्र हैं।)

पेपर	परीक्षा की पद्धति	विषय	प्रश्नों की संख्या/ अधिकतम अंक	अवधि
		जेई (दूरसंचार) के पद के लिए: **भाग-छ:** दूरसंचार		

13.2 **पेपर-I**: पेपर-I में (कंप्यूटर आधारित परीक्षा), i) सामान्य बुद्धिमता एवं तर्कशक्ति और ii) सामान्य जागरूकता सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थी को अपनी ईक्यू (शैक्षिक योग्यता) के अनुसार अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में चुने गए विषय (विषयों) अर्थात, भाग-क या भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ या भाग-ङ, भाग-च या भाग-छ की परीक्षा देना आवश्यक है। छह विषय, अर्थात भाग-क, भाग-ख, भाग-ग, भाग-घ, भाग-ङ और भाग-च एक ही बैच में आयोजित किए जाएंगे, जबकि एक विषय अर्थात **जेई (दूरसंचार) पद के लिए** भाग-छ एक अलग बैच में आयोजित किया जाएगा। पेपर-I अर्हक प्रकृति का है। **पेपर-I** में न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने पर, अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के आधार पर पेपर-II (कंप्यूटर आधारित परीक्षा) के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

13.3 पेपर-II में शामिल होने के लिए कनिष्ठ अभियंता (सिविल), कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत और यांत्रिकी), आईएमडी में वैज्ञानिक सहायक और कनिष्ठ अभियंता (दूरसंचार) के पद के लिए अलग-अलग मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।

13.4 **पेपर-II:** शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को अपनी ईक्यू (शैक्षिक योग्यता) के आधार पर अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में चुने गए विषय (विषयों) अर्थात भाग-क या भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ या भाग-ड़, भाग-च या भाग-छ की परीक्षा देनी होगी। छह विषय, अर्थात, भाग-क, भाग-ख, भाग-ग, भाग-घ, भाग-ङ और भाग-च एक ही बैच में आयोजित किए जाएंगे, जबकि एक विषय अर्थात जेई (दूरसंचार) पद के लिए भाग-छ एक अलग बैच में आयोजित किया जाएगा।

13.5 अलग-अलग पदों के लिए निर्धारित अनिवार्य अर्हताओं के आधार पर, एक अभ्यर्थी एक से ज़्यादा पदों के लिए अर्हक हो सकता है; जैसे, कनिष्ठ अभियंता (दूरसंचार) के लिए अर्हताप्राप्त अभ्यर्थी आईएमडी में वैज्ञानिक सहायक या कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत) के पद के लिए भी परीक्षा दे सकता है बशर्ते कि वे उस पद के लिए अनिवार्य योग्यताओं को पूरा करता हो। तदनुसार, आयोग पेपर-I के साथ-साथ पेपर-II के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई) का कार्यक्रम/आयोजन करेगा।

13.6 **यह पुनः दोहराया जाता है कि जो अभ्यर्थी अर्हक हैं और एक से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन किया है, उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र में चयनित संबंधित पेपर में शामिल होना होगा।**

13.7 आईएमडी में वैज्ञानिक सहायक के पद हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय चुनी गई स्ट्रीम/ शाखा के अनुसार तीन विषयों अर्थात भाग-घ, भाग-ङ या भाग-च में से किसी एक

का चयन करना होगा। तदनुसार, सीबीई (पेपर-I और पेपर-II) में आवेदक को उसी विषय की परीक्षा देनी होगी जिसे उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय चुना था।

13.8 ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयनित विषय/स्ट्रीम को किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जाएगा; अतः, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी स्ट्रीम/शैक्षणिक योग्यता के अनुसार विषय चुनते समय सावधानी बरतें।

13.9 पेपर-I एवं पेपर-II में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहु-विकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रश्न केवल हिंदी और अंग्रेज़ी में सेट किए जाएंगे।

13.10 पेपर- I में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न के लिए 0.25 अंक और पेपर- II में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक (01) अंक का नकारात्मक अंकन होगा। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्नों का उत्तर देते समय इसे ध्यान में रखें।

13.11 अभ्यर्थी नोट कर लें कि यदि आवश्यक हुआ तो प्रैक्टिस व स्टीम टेबल के आईएस 456:2000 कोड की तालिका अभ्यर्थियों के आश्वासन पर ही उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी संदर्भ प्रयोजनार्थ "**Useful** Data" विकल्प के अंतर्गत 'Instructions' की साइड में प्रासंगिक तालिका बटन का प्रयोग कर सकते हैं। यह बटन पूरी परीक्षा के दौरान सक्रिय रहेगा। अभ्यर्थियों को प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तालिका का संदर्भ लेने के बाद 'close' बटन पर क्लिक कर देना चाहिए।

13.12 अब पूरी परीक्षावधि के दौरान साइंटिफिक कैलकुलेटर भी कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध रहेगा। यह 'candidate's application image' के बांई और कैलकुलेटर आइकन के रूप में उपलब्ध होगा।

13.13 परीक्षा प्रयोगशाला के अंदर तालिका और कैलकुलेटर के किसी भी प्रत्यक्ष संस्करण का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

13.14 कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराने के पश्चात पेपर-I एवं पेपर-II के अनंतिम उत्तर कुंजियां आयोग की वेबसाइट पर रखी जाएगी। अभ्यर्थी उत्तर कुंजियों को देख सकते हैं तथा आयोग द्वारा दी गई समय-सीमा के भीतर अभ्यावेदन, यदि कोई है, प्रति प्रश्न रु.50/- जोकि **अप्रतिदेय** है, का भुगतान कर केवल ऑनलाइन माध्यम से भेज सकते हैं। किसी भी अन्य माध्यम अर्थात पत्र, आवेदन, ई-मेल इत्यादि से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। उत्तर कुंजियों को अंतिम रूप देने से पहले उत्तर कुंजियों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों की जांच की जाएगी और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

13.15 आयोग ने अपनी वेबसाइट पर दिनांक 10.04.2026 की विज्ञप्ति के माध्यम से 'दावा/ आपत्ति प्रबंधन प्रणाली से जुड़े दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इन दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये इस परीक्षा के लिए लागू होंगी।

13.16 यदि कंप्यूटर आधारित परीक्षा अनेक पालियों में आयोजित की गई हैं, तो अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को आयोग द्वारा **दिनांक 02.06.2025** की विज्ञप्ति के तहत प्रकाशित प्रक्रिया के प्रयोग से सामान्यीकृत किए जाएंगे। पेपर-I (अर्हक प्रकृति के) के सामान्यीकृत अंकों का प्रयोग पेपर-II बैठने हेतु अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए किया जाएगा। **अंतिम मेरिट निर्धारित करने के लिए केवल पेपर-II के**

सामान्यीकृत अंकों का उपयोग किया जाएगा।

13.17 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम को तैयार करने के लिए अंतिम उत्तर कुंजी का उपयोग किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम की घोषणा के उपरांत आयोग की वेबसाइट पर अंतिम उत्तर कुंजी और अंक उपलब्ध कराए जाएंगे ।

13.18 इस परीक्षा में, कुछ पद यांत्रिकी और वैद्युत अभियांत्रिकी के लिए सामान्य हैं । चूंकि अभियांत्रिकी शाखाएं अलग-अलग हैं, इसलिए यांत्रिकी और वैद्युत अभियांत्रिकी के अभ्यर्थियों को अलग-अलग प्रश्नपत्र दिए जाते हैं। पूरी तरह से अलग-अलग विषयों / प्रश्नपत्रों के कारण दो प्रश्नपत्रों में कठिनाई का स्तर अलग-अलग हो सकता है । **तदनुसार, इस परीक्षा के पेपर में यांत्रिकी और वैद्युत अभियांत्रिकी के अंकों को भी अंतिम मेरिट और कट-ऑफ अंकों के निर्धारण के लिए एक दूसरे के साथ सामान्यीकृत किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, आईएमडी में पद हेतु भाग-घ/भाग-ङ/ भाग-च में परीक्षा के अंकों को अलग-अलग पालियां मानकर सामान्यीकृत किया जाएगा ।**

13.19 विज्ञप्ति में दी गई परीक्षा की समय-सारणी पालियां संभावित है । परीक्षाओं के कार्यक्रम में कोई भी बदलाव केवल आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थियों को सूचित किया जाएगा ।

13.20 परीक्षा के किसी भी चरण/ पेपर (पेपरों) में अंकों के पुनर्मूल्यांकन / पुन: जां च का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

14. संकेतात्मक पाठ्यक्रम

14.1 अभियांत्रिकी विषयों में प्रश्नों का स्तर लगभग अभियांत्रिकी (सिविल/वैद्युत/यांत्रिक) में डिप्लोमा स्तर का होगा। कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स और दूरसंचार अभियांत्रिकी, भौतिकी और दूरसंचार के विषयों के लिए प्रश्नों का स्तर लगभग स्नातक स्तर के बराबर होगा । पाठ्यक्रम के ब्यौरे नीचे दिये गए हैं:

14.2 पेपर-I:

14.2.1 **सामान्य बुद्धिमता एवं तर्कशक्ति:** सामान्य बुद्धिमता के पाठ्यक्रम में शाब्दिक और गैर-शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे । इस परीक्षण में सादृश्यता, समानता और भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेदक निरीक्षण, संबंध-अवधारणा, अंकगणितीय तर्कशक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे । इस परीक्षण में अमूर्त विचार और प्रतीक तथा उनके संबंध, अंकगणितीय गणना तथा अन्य विश्लेषणात्मक कार्यों में अभ्यर्थी की योग्यता के परीक्षण हेतु तैयार किए गए प्रश्नों को भी शामिल किया जाएगा ।

14.2.2 **सामान्य जागरूकता:** इन प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण के संबंध में उसकी सामान्य जागरूकता तथा समाज में इसके अनुप्रयोग की जांच करना होगा । समसामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं वैज्ञानिक पहलुओं संबंधी अनुभव की जांच करने के लिए भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी भी शिक्षित व्यक्ति से की जाती है । इस परीक्षण में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राजनीति-व्यवस्था तथा वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे । ये प्रश्न ऐसे होंगे जिनके लिए किसी विषय के विशेष

अध्ययन की जरूरत नहीं होती।

14.2.3 **भाग- क (सिविल अभियांत्रिकी)**

अभियांत्रिकी यंत्र विज्ञान, ठोस यांत्रिकी, संरचनात्मक विश्लेषण, निर्माण सामग्री एवं प्रबंधन, प्राकलन, लागत एवं मूल्यांकन, कंक्रीट संरचनाएं, इस्पात संरचनाएं, सर्वेक्षण, मृदा यांत्रिकी (भू-तकनीकी अभियांत्रिकी), द्रव यांत्रिकी और एवं द्रवचालिकी, जलविज्ञान (हाइड्रोलॉजी) और सिंचाई अभियांत्रिकी, पर्यावरणीय अभियांत्रिकी, परिवहन (ट्रैफिक) अभियांत्रिकी।

14.2.3.1 **भाग - ख (वैद्युत अभियांत्रिकी)**

वैद्युत अभियांत्रिकी के मूल सिद्धांत, चुंबकीय परिपथ, प्रत्यावर्ती धारा (एसी) के मूल सिद्धांत, मापन तथा माप यंत्र, वैद्युत उत्पादन, वैद्युत मशीनें, विशेष वैद्युत मशीनें और तुल्यकालिक (सिन्क्रोनस) जनरेटर, विद्युत उत्पादन, पारेषण (ट्रांसमिशन) एवं वितरण, प्राकलन एवं लागत निर्धारण, वैद्युत ऊर्जा का उपयोग, मूल इलेक्ट्रानिक्स, पावर इलेक्ट्रानिक्स।

14.2.3.2 **भाग-ग (यांत्रिकी अभियांत्रिकी)**

इंजीनियरिंग यांत्रिकी, पदार्थों की सामर्थ्य (स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स), मशीनों का सिद्धांत, यंत्र अभिकल्प, पदार्थ विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, ऊष्मीय (थर्मल) अभियांत्रिकी, द्रव यांत्रिकी एवं द्रव-चालित मशीनरी (हाइड्रॉलिक मशीनरी), औद्योगिक अभियांत्रिकी, विनिर्माण अभियांत्रिकी, मापविज्ञान (मेट्रोलॉजी) एवं मापन, उन्नत विनिर्माण प्रक्रियाएं।

14.2.3.3 **भाग-घ (कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी)**

अभियांत्रिकी गणित, डिजिटल तर्क, कंप्यूटर संगठन और वास्तुकला, प्रोग्रामिंग और डाटा संरचनाएं, एल्गोरिथम, अभिकलन का सिद्धांत, संकलक रचना, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, कंप्यूटर नेटवर्क।

14.2.3.4 **भाग- ङ (इलेक्ट्रानिक्स और दूरसंचार अभियांत्रिकी)**

(क) इलेक्ट्रॉनिक्स: इलेक्ट्रॉनिक सामग्री एवं घटक (अवयव), डायोड, ट्रांजिस्टर, प्रवर्धक (एंप्लीफायर) एवं दोलक (ऑसिलेटर), वोल्टता नियमन, नेटवर्क प्रमेयों का परिचय, प्रत्यावर्ती धारा (ए.सी.) परिपथ, त्रि-फेज परिपथ, अनुनाद (रेजोनेंस), डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, अनुक्रमिक एवं संयोजन लॉजिक तथा डेटा रूपांतरण एवं कोड।

(ख) दूरसंचार: एंटीना, रेडियो तरंग संचरण (प्रसारण), विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, मॉडुलन, एकल साइडबैंड (एसएसबी), आवृत्ति मॉडुलन (एफएम), स्पंद मॉडुलन (पल्स मॉड्यूलेशन), बहुसंकेतन (मल्टीप्लेक्सिंग), डिजिटल संचार का परिचय तथा रेडियो आवृत्ति संचार एवं बेतार दूरसंचार।

14.2.3.5 **भाग-च (भौतिकी / भौतिक विज्ञान)**

गणितीय पद्धतियाँ, यांत्रिकी (मैकेनिक्स), द्रव्य के सामान्य गुण, दोलन, तरंगें, प्रकाशिकी (ऑप्टिक्स), विद्युत, चुंबकत्व, अणुगति सिद्धांत, ऊष्मागतिकी (थर्मोडायनामिक्स), आधुनिक भौतिकी, सॉलिड स्टेट (ठोस अवस्था) भौतिकी, अर्धचालक (सेमीकंडक्टर) युक्तियाँ (डिवाइस), एनालॉग एवं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स।

14.2.3.6 **भाग-छ (दूरसंचार)**

अभियांत्रिकी गणित, नेटवर्क विश्लेषण, सिग्नल एवं प्रणालियां, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, एनालॉग परिपथ, डिजिटल परिपथ, नियंत्रण प्रणालियां, एनालॉग संचार, डिजिटल संचार, विद्युत चुंबकत्व (इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स)।

14.3 पेपर-II:

14.3.1 भाग -क (सिविल एवं संरचनात्मक अभियांत्रिकी):

अभियांत्रिकी यांत्रिकी: बल की प्रणाली, मुक्त पिंड आरेख, संतुलन समीकरण ; संरचनाओं में आंतरिक बल; घर्षण एवं इसके अनुप्रयोग; द्रव्यमान केंद्र, जड़त्व आघूर्ण।

ठोस यांत्रिकी : स्थैतिकतः निर्धार्य धरणों में बांकन आघूर्ण एवं कर्तन बल ; सरल प्रतिबल एवं विकृति संबंध; सरल बंकन सिद्धांत, आनमनी एवं कर्तन प्रतिबल, एकसमान ऐंठन, स्तंभ का अंसुलन/आकुंचन, संयुक्त एवं प्रत्यक्ष बंकन प्रतिबल।

संरचनात्मक विश्लेषण: स्थैतिकतः निर्धार्य एवं अनिर्धार्य संरचनाओं का परिचय; अध्यारोपण विधि; ट्रस, मेहराबों, धरणों, केबलों तथा ढांचों/फ्रेमों का विश्लेषण; ढाल विक्षेप एवं आघूर्ण वितरण विधि; प्रभाव रेखाएं।

निर्माण सामग्री एवं प्रबंधन:

निर्माण सामग्री: ईंटें, पत्थर, काष्ठ/इमारती लकड़ी, इस्पात, सीमेंट, मिलावा/एग्रीगेट्स, प्लास्टिक, पॉलिमर, कांच, कंक्रीट, कंक्रीट मिश्र अभिकल्पन, कंक्रीट का परीक्षण।

निर्माण प्रबंधन: निर्माण परियोजनाओं के प्रकार; परियोजना नियोजन एवं नेटवर्क विश्लेषण - पीईआरटी एवं सीपीएम।

प्राक्कलन, लागत-निर्धारण एवं मूल्यांकन : प्राक्कलन के मूल सिद्धांत, कार्यों का लागत प्राक्कलन, दर विश्लेषण, मूल्यांकन, विस्तृत प्राक्कलन।

कंक्रीट संरचनाएं : कार्यकारी प्रतिबल एवं सीमांत अवस्था अभिकल्पन संकल्पनाएं ; धरणों (बीम), पट्टियों/स्लैबों, स्तंभों का अभिकल्पन; नींव एवं प्रतिधारक भित्तियां ; आबंध एवं विकास लंबाई।

इस्पात संरचनाएं: कार्यकारी प्रतिबल एवं सीमांत अवस्था अभिकल्पन संकल्पनाएं; बोल्टित जोड़, वेल्ड, तनन उपांगों, संपीडन उपांगों एवं धरणों (बीम) का अभिकल्पन, प्लास्टिक विश्लेषण की संकल्पना - धरण एवं ढांचे।

सर्वेक्षण: सर्वेक्षण के सिद्धांत; त्रुटियां एवं उनका समायोजन; मानचित्र - पैमाने, निर्देशांक प्रणाली; दूरी एवं कोण मापन: श्रृंखला एवं दिक्सूचक सर्वेक्षण, समपटल सर्वेक्षण, समतलन एवं त्रिकोणमितीय समतलन; मालारेखण एवं त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण; टोटल स्टेशन; टैकिमितीय सर्वेक्षण, थियोडोलाइट सर्वेक्षण, उन्नत सर्वेक्षण उपस्कर।

मृदा यांत्रिकी: त्रि-प्रावस्था निकाय एवं प्रावस्था संबंध, सूचकांक गुणधर्म; एकीकृत एवं भारतीय मानक मृदा वर्गीकरण प्रणाली; पारगम्यता - एकविमीय प्रवाह, मृदा के माध्यम से रिसन - द्विविमीय प्रवाह, प्रवाह जाल, उत्थापन दाब, नलिकायन, केशिकत्व, रिसन बल; प्रभावी प्रतिबल का सिद्धांत एवं क्विकसैंड स्थिति; मृदा का संहनन; एकविमीय सघनण, संघनन की समय दर; अपरूपण सामर्थ्य, मोह वृत्त, प्रभावी एवं कुल अपरूपण सामर्थ्य पैरामीटर, मत्तिका तथा रेत के प्रतिबल-विकृति लक्षण।

द्रव यांत्रिकी : द्रवों के गुणधर्म, द्रवस्थैतिकी; सांतत्य, संवेग एवं ऊर्जा समीकरण तथा उनके अनुप्रयोग; पटलित एवं क्षुब्ध प्रवाह; नली के माध्यम से प्रवाह, पाइप नेटवर्क; उत्थापन एवं कर्ष की संकल्पना।

द्रवचालित: निमग्न पिंडों पर बल; वाहिकाओं/चैनलों एवं नलिकाओं में प्रवाह मापन; वाहिका द्रव-चालिकी - ऊर्जा-मध्यमार्ग संबंध, विशिष्ट ऊर्जा, क्रांतिक प्रवाह, जल-उछाल/हाइड्रोलिक जंप, एकसमान प्रवाह।

जलविज्ञान: जलवैज्ञानिक चक्र, वर्षण, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, जल-विभाजक, अंतःस्यंदन, यूनिट हाइड्रोग्राफ, हाइड्रोग्राफ विश्लेषण, जलाशय क्षमता, बाढ़ प्राक्कलन एवं मार्गण, भौमजल जलविज्ञान - स्थिर-अवस्था कूप हाइड्रोलिक्स एवं जलभृत ; डार्सी के नियम का अनुप्रयोग।

सिंचाई : सिंचाई प्रणालियों एवं विधियों के प्रकार; फसल की जल आवश्यकताएं - जलमान, डेल्टा, वाष्पोत्सर्जन; गुरुत्व बांध एवं उत्प्लव मार्ग (स्पिल्वे), लाइन और बिना लाइन की नहरें, क्रॉस-ड्रेनेज संरचनाएं।

जल एवं अपशिष्ट जल की गुणवत्ता तथा उपचार : जल गुणवत्ता मानकों के मूल सिद्धांत – भौतिक, रासायनिक एवं जैविक पैरामीटर; जल गुणवत्ता सूचकांक; इकाई प्रक्रम एवं प्रचालन जल आवश्यकता; जल वितरण प्रणाली; पेयजल उपचार।

सीवरेज प्रणाली अभिकल्पन, घरेलू अपशिष्ट जल की मात्रा, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपचार। बहिःस्राव विसर्जन मानक; स्लज निपटान; विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपचारित सीवेज का पुनरुपयोग।

वायु प्रदूषण: प्रदूषकों के प्रकार, उनके स्रोत एवं प्रभाव, वायु प्रदूषण नियंत्रण, वायु गुणवत्ता मानक, वायु गुणवत्ता सूचकांक एवं सीमाएं।

नगरपालिका का ठोस अपशिष्ट : ठोस अपशिष्टों के लक्षण, उत्पादन, संग्रहण एवं परिवहन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अभियांत्रिकी प्रणालियां (पुनरुपयोग/ पुनर्चक्रण, ऊर्जा पुनर्प्राप्ति, उपचार एवं निपटान)।

परिवहन अवसंरचना: राजमार्गों का ज्यामितीय अभिकल्पन - अनुप्रस्थ-काट घटक, दृष्टि दूरियां, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखन। रेलवे ट्रैक का ज्यामितीय अभिकल्पन – गति एवं उन्नयन)।

राजमार्ग के फुटपाथ/रास्ते (पेवमेंट): राजमार्ग सामग्री - वांछनीय गुणधर्म एवं परीक्षण; बिटूमेन पेविंग मिश्रणों के वांछनीय गुणधर्म; नम्न एवं दृढ़ कुट्टिम (पेवमेंट) के अभिकल्पन कारक; आईआरसी कोडों का उपयोग करके नम्न एवं दृढ़ कुट्टिम (पेवमेंट) का अभिकल्पन।

यातायात अभियांत्रिकी: प्रवाह एवं गति पर यातायात अध्ययन, शीर्ष समय कारक, दुर्घटना अध्ययन, मूलभूत संबंध; यातायात संकेत; वेबस्टर विधि द्वारा संकेत अभिकल्पन; इंटरसेक्शन/चौराहों के प्रकार; राजमार्ग क्षमता।

14.3.2 भाग-ख (वैद्युत अभियांत्रिकी):

वैद्युत अभियांत्रिकी के मूल सिद्धांत: विद्युत परिपथ अवयवों की संकल्पनाएं- प्रतिरोध, संधारित्रता, प्रेरकत्व, बैटरी तथा उनके मान एवं निष्पादन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक।
वोल्टता, धारा, विद्युत, ऊर्जा, गालक की धारणा (फ्लक्स) आदि की अवधारणाएं एवं उनकी इकाइयां।

नेटवर्क (जाल) हल करने की विधियां: केसीएल (KCL), केवीएल (KVL), नोड एवं मेश विश्लेषण (Node and Mesh Analysis)।
नेटवर्क प्रमेय: थेवेनिन (Thevenin's), नॉर्टन (Norton's) अध्यारोपण (Superposition) तथा अधिकतम शक्ति अंतरण प्रमेय।

चुंबकीय परिपथ : गालक की धारणा, प्रतिष्ठम्भ, स्व-प्रेरकत्व एवं अन्योन्य प्रेरकत्व, चुंबकीय वाहक बल, चुंबकीय परिपथ की संकल्पनाएं।

ए.सी. के मूल सिद्धांत: आर.एम.एस. तथा प्रत्यावर्ती तरंगों के औसत मूल्य। सरल श्रेणी एवं समानांतर एसी परिपथ, अनुनाद, संतुलित तीन-प्रावस्था परिपथ, स्टार-डेल्टा रूपांतरण, एसी परिपथों में सम्मिश्र शक्ति एवं शक्ति गुणांक)।

मापन एवं मापक यंत्र: वोल्टेज, धारा, शक्ति एवं शक्ति गुणांक का मापन। उपकरणों का वर्गीकरण, त्रुटियों के प्रकार। गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, केल्विन का डबल ब्रिज, ऊर्जा मीटर, मेगर। एकल-प्रावस्था इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा मीटर की संरचनात्मक विशेषताएं एवं अंशांकन। धारा परिणामित्र, विभव परिणामित्र एवं उनके उपयोग।

विद्युत यंत्र : एकल-प्रावस्था एवं त्रि-प्रावस्था ट्रांसफॉर्मर। डीसी मशीनें: उनके प्रकार, लक्षण, हानियां, दक्षता एवं अनुप्रयोग। एसी मशीनें: एकल-प्रावस्था एवं त्रि-प्रावस्था प्रेरण मोटरें, संप्रवर्तन, गति नियंत्रण विधियां, विद्युत ब्रेक एवं टॉर्क-गति लक्षण।

विशेष विद्युत यंत्र एवं तुल्यकालिक जनरेटर : भिन्नात्मक मोटरें, सर्वोमोटर। आर्मेचर प्रतिक्रिया, जनित्रों (जनरेटर) का समानांतर प्रचालन, तुल्यकालन।

उत्पादन, पारेषण और वितरण: विद्युत केंद्रों के प्रकार, लोड गुणक, मांग गुणक एवं विविधता गुणक। शक्ति गुणक एवं इसका सुधार। पारेषण एवं वितरण लाइनों के प्रकार, पारेषण लाइन पैरामीटर, कोरोना प्रभाव तथा फेरांटी प्रभाव। परिपथ वियोजक, जनित्रों और ट्रांसफार्मर्स का संरक्षण। सह-अक्षीय केबल, उनकी रेटिंग और दक्षता।

आकलन एवं लागत: लाइटिंग योजनाओं का आकलन, मशीनों का विद्युत प्रतिष्ठापन और संगत आई इ नियम, भूसंपर्कन पद्धतियां एवं आईई नियम।

वैद्युत ऊर्जा का उपयोग : प्रदीप्ति, वैद्युत तापन, वैद्युत वेल्डिंग, विद्युत लेपन, विद्युत कर्षण एवं परिचालन।

मूल इलेक्ट्रॉनिकी : पी-एन संधि डायोड, दिष्टकारी एवं तरंग-रूपक, क्लिपिंग, क्लैम्पिंग। बीजेटी और एफईटी ट्रांजिस्टर, उनके लक्षण, प्रवर्धक, दोलित्र।

पावर इलेक्ट्रॉनिक्स : थायरिस्टर के स्थैतिक V-I लक्षण। थायरिस्टर के लिए फायरिंग एवं गेटिंग परिपथ; डीसी से डीसी रूपांतरण: बक, बूस्ट एवं बक-बूस्ट परिवर्तक; एकल-प्रावस्था अर्ध-नियंत्रित, पूर्ण-नियंत्रित तथा मध्य-बिंदु नियंत्रित दिष्टकारी।

14.3.3 भाग-ग (यांत्रिकी अभियांत्रिकी):

अभियांत्रिकी यांत्रिक: मुक्त पिंड आरेख एवं बलों का संतुलन/ परिणामीबल / लामी का प्रमेय / घर्षण के नियम / सर्पी एवं बेलनी घर्षण / ज्यामितीय समतल आकृतियों का केंद्रक / सरल ठोसों का गुरुत्व केंद्र।

सामग्री सामर्थ्य: सरल प्रतिबल एवं विकृति / धरणों के प्रकार / कर्तन बल एवं बांकन आघूर्ण / सरल बांकन एवं धरण का विक्षेप / शाफ्टों का ऐंठन / पतले बेलनाकार शेल।

यंत्र का सिद्धांत: कैम एवं फॉलोअर / बेल्ट, चेन, रस्सी, गियर ड्राइव एवं गियर चालन / गियर ट्रेन / फ्लाईव्हील एवं गवर्नर / संतुलन एवं कंपन / ब्रेक / डायनेमोमीटर / क्लच / बियरिंग।

यंत्र अभिकल्पन (डिजाइन): भार एवं प्रतिबल के प्रकार / मंद विरूपण एवं श्रांति / विफलता के सिद्धांत / कॉटर जोड़, नकल जोड़, लीवर एवं क्रैंक का अभिकल्पन / घर्षण-रोधी बियरिंग / संक की का डिजाइन, शाफ्ट, युग्मन/ कपलिंग, स्पर गियर, पावर स्क्रू, कमानी/ स्प्रिंग का अभिकल्पन / स्क्रू बंधक, बोल्टित जोड़ एवं वेल्डित जोड़ का अभिकल्पन।

पदार्थ विज्ञान एवं अभियांत्रिकी: क्रिस्टल संरचना एवं आबंध / आयरन कार्बन प्रावस्था आरेख / इस्पात का ऊष्मा उपचार / ढलवां लोहे एवं इस्पात के प्रकार / प्रमुख अलौह मिश्र धातुएं जैसे एल्युमिनियम मिश्र धातुएं, निकेल-कॉपर मिश्र धातुएं एवं बियरिंग मिश्र धातुएं / सामग्री गुणधर्म एवं परीक्षण / गैर-विनाशकारी परीक्षण / संक्षारण।

थर्मल अभियांत्रिकी: ऊर्जा के स्रोत / ऊष्मागतिकी के नियम / ऊष्मीय विद्युत संयंत्र / ऊष्मा पंप, ऊष्मा इंजन एवं प्रशीतक / वाष्प जनित्र / वाष्प टरबाइन-आवेग एवं प्रतिक्रिया टरबाइन / शीतलन टॉवर / आंतरिक दहन इंजन- P-V एवं T-s आरेख के साथ ऑटो, डीजल तथा डुअल चक्र / आईसी इंजनों के प्रकार / वायु संपीडक / प्रशीतन एवं वातानुकूलन। गैस टरबाइन एवं जेट नोदन / वाष्प के गुणधर्म / वाष्प जनित्र / वाष्प नोज़ल / वाष्प टरबाइन / ऊष्मा अंतरण - चालन, संवहन एवं विकिरण / ऊष्मा विनिमयित्र।

द्रव यांत्रिकी एवं द्रव चालित मशीनरी: द्रव के गुणधर्म / द्रव प्रवाह / पाइपों के माध्यम से द्रव प्रवाह / सांतत्य समीकरण / प्लेट एवं वक्रित वैनों पर जेटों का प्रभाव / द्रव चालित टरबाइन एवं पावर प्लांट / अपकेंद्री एवं प्रत्यागामी पंप।

औद्योगिक अभियांत्रिकी : स्थल चयन एवं संयंत्र विन्यास / कार्य अध्ययन एवं कार्य मापन / उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण / सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण / सूची नियंत्रण।

विनिर्माण अभियांत्रिकी: पैटर्न निर्माण / मोल्डिंग (सांचा बनाना) / ढलाई / धातु रूपण / वेल्डन-गैस, आर्क एवं प्रतिरोध वेल्डन / खराद के प्रकार एवं खराद प्रचालन / ब्रोचिंग मशीन / ड्रिलिंग / मिलिंग / गियर निर्माण / ग्राइंडिंग एवं परिष्करण / प्रेस वर्किंग।

मापविज्ञान एवं मापन: यथार्थता, शुद्धता, सुग्राहिता, पुनरावृत्तिता (Repeatability), परास, अंशांकन / रेखीय एवं कोणीय मापन / तुलनाकार / रूप एवं पृष्ठ परिष्करण मापन / सीएमएम / सीमाएं, उपयोज्यता एवं सह्यताएं / विनिमयशीलता।

उन्नत विनिर्माण प्रक्रम: जिग्स एवं फिक्स्चर / सीएनसी मिलिंग मशीन एवं मशीनिंग केंद्र / पीएलसी / विशेष प्रयोजन मशीन / गैर-पारंपरिक मशीनन प्रक्रम जैसे ईडीएम, ईसीएम, एजेएम, एलबीएम एवं ईबीएम / कैड/कैम के मूल सिद्धांत, औद्योगिक रोबोट कॉन्फ़िगरेशन एवं एफएमएस।

14.3.4 भाग-घ (कंप्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी):

अभियांत्रिकी गणित:

विविक्त गणित: प्रज्ञप्ति एवं प्रथम-कोटि तर्कशास्त्र। समुच्चय, संबंध, फलन, आंशिक क्रम एवं जालक। मोनोइड्स, समूह।

ग्राफ: संयोजकता, मिलान, वर्णन। संयोजिकी: गणना, पुनरावृत्ति संबंध, जनन फलन।

रैखिक बीजगणित (Linear Algebra): आव्यूह, निर्धारक, रैखिक समीकरणों के निकाय, आइगेनमान एवं आइगेनसदिश), एलयू अपघटन।

कलन (Calculus): सीमाएं, संततता एवं अवकलनीयता, उच्चिष्ठ एवं निम्निष्ठ, मध्यमान प्रमेय, समाकलन।

प्रायिकता एवं सांख्यिकी : यादृच्छिक चर, एकसमान, सामान्य, चरघातांकी, पॉयसन एवं द्विपद बंटन। माध्य, माध्यिका, बहुलक एवं मानक विचलन। सशर्त प्रायिकता एवं बेज़ प्रमेय।

डिजिटल तर्कशास्त्र बूलियन बीजगणित। संयोजी एवं अनुक्रमिक परिपथ। न्यूनतमकरण। संख्या निरूपण एवं कंप्यूटर अंकगणित (नियत एवं चल बिंदु)।

कंप्यूटर संगठन एवं संरचना: मशीन निर्देश एवं पता पद्धतियां। एएलयू, डेटा-पथ एवं नियंत्रण इकाई। निर्देश पाइपलाइनिंग, पाइपलाइन परिसंकट। स्मृति पदानुक्रम: कैश, मुख्य स्मृति एवं द्वितीयक भंडारण; इनपुट/आउटपुट इंटरफेस (व्यतिक्रम/इंटरप्ट एवं डीएमए मोड)।

प्रोग्रामिंग एवं डेटा संरचनाएं: सी भाषा में प्रोग्रामिंग। पुनरावर्तन। ऐरे (Arrays), स्टैक (stacks), कतारें (queues), लिंक की गई सूची, ट्री (trees), द्विआधारी खोज ट्री, द्विआधारी हीप, ग्राफ।

अल्गोरिदम: खोज, क्रमबद्धन, हैशिंग। उपलक्षी निकृष्टतम समय एवं स्थान जटिलता। अल्गोरिदम अभिकल्पन तकनीकें: ग्रीडी, गतिशील प्रोग्रामिंग, विभाजन और हल करना। ग्राफ ट्रैवर्सल, न्यूनतम व्यापी ट्री, लघुतम पथ।

गणना का सिद्धांत: नियमित अभिव्यक्ति एवं परिमित ऑटोमेटा। संदर्भ-मुक्त व्याकरण एवं पुश-डाउन ऑटोमेटा। नियमित एवं संदर्भ-मुक्त भाषाएं, पंपिंग प्रमेय/लेम्मा। ट्यूरिंग मशीनें एवं अनिर्धार्यता।

कंपाइलर अभिकल्पन (डिजाइन): शब्दविश्लेषण, पदव्याख्या/पार्सिंग, वाक्यविन्यास-निर्देशित अनुवाद। रनटाइम परिवेश। मध्यवर्ती कोड उत्पादन। स्थानीय अनुकूलन, डेटा प्रवाह विश्लेषण: स्थिरांक प्रसार, जीवंतता विश्लेषण, सामान्य उपअभिव्यक्ति विलोपन।

ऑपरेटिंग सिस्टम: सिस्टम कॉल, प्रक्रम, थ्रेड्स, अंतर-प्रक्रम संचार, समवर्ती एवं तुल्यकालन। डेडलॉक। सीपीयू एवं इनपुट/आउटपुट शेड्यूलिंग। स्मृति प्रबंधन एवं आभासी स्मृति। फाइल प्रणालियां।

डेटाबेस: ईआर-मॉडल। संबंधात्मक मॉडल: संबंधात्मक बीजगणित, टुपल कलन, एसक्यूएल। इंटिग्रिटी कांसट्रेंट्स , सामान्य रूप। फाइल संगठन, अनुक्रमण (उदा. B और B+ ट्री)। लेन-देन एवं समवर्ती नियंत्रण।

कंप्यूटर नेटवर्क : स्तरन की संकल्पना: ओएसआई एवं टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल स्टैक: पैकेट, सर्किट एवं आभासी सर्किट-स्विचिंग की मूलभूत बातें; डेटा लिंक स्तर: फ्रेमिंग, त्रुटि पता लगाना, माध्यम पहुंच नियंत्रण, ईथरनेट ब्रिजिंग; राउटिंग प्रोटोकॉल: लघुतम पथ, प्लावन, दूरी सदिश एवं लिंक स्थिति राउटिंग; विखंडन एवं आईपी पता निर्धारण, IPv4, सीआईडीआर संकेत पद्धति, आईपी सहायक प्रोटोकॉल की मूलभूत बातें (ARP, DHCP, ICMP), नेटवर्क एड्रैस अनुवाद (NAT); परिवहन स्तर: प्रवाह नियंत्रण, संकुलन नियंत्रण, यूडीपी, टीसीपी, सॉकेट; अनुप्रयोग स्तर प्रोटोकॉल: डीएनएस, एसएमटीपी, एचटीटीपी, एफटीपी, ईमेल।

14.3.5 भाग-ङ (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार अभियांत्रिकी)

(क) इलेक्ट्रॉनिक्स :

इलेक्ट्रॉनिक्स सामग्री एवं घटक : चालक, अर्धचालक, विद्युतरोधी, चुंबकीय, निष्क्रिय घटक, प्रतिरोधकों, संधारित्रों एवं प्रेरकों के लक्षण।

डायोड (Diodes): पीएन संधि डायोड, अग्र एवं पश्च अभिनति लक्षण तथा डायोड के तुल्य परिपथ, ज़ेनर डायोड एवं अनुप्रयोग, डायोड का उपयोग करके क्लिपिंग, क्लैम्पिंग तथा दिष्टकारी परिपथ।

ट्रांजिस्टर (Transistors): द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर (बीजेटी), क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर (एफईटी) एवं मॉसफेट; अभिनयन एवं स्थायित्व, उत्सर्जक अनुगामी एवं इसके अनुप्रयोग – ऋणात्मक पुनर्निवेशन - स्विच के रूप में ट्रांजिस्टर।

प्रवर्धक एवं दोलित्र: बहुचरणी प्रवर्धक, फीडबैक, दोलित्र, बहुकंपी, पावर प्रवर्धक।

वोल्टेज नियमन: वोल्टेज नियमन।

नेटवर्क प्रमेयों का परिचय: किरचॉफ के नियम, अध्यारोपण, थेवेनिन, नॉर्टन तथा अधिकतम शक्ति प्रमेय।

एसी परिपथ: प्रतिरोध, प्रेरकत्व एवं धारिता में वोल्टेज और धारा संबंध। श्रेणी एवं समानांतर RL, RC तथा RLC परिपथों में प्रतिक्रिया, सुग्राहिता (ससेप्टेंस), चालकता, प्रतिबाधा एवं प्रवेश्यता की संकल्पना।

त्रि-प्रावस्था परिपथ: त्रि-प्रावस्था आपूर्ति - स्टार एवं डेल्टा संयोजन आरेख – लाइन तथा प्रावस्था के बीच संबंध एवं वोल्टेज तथा धाराएं।

अनुनाद: श्रेणी एवं समानांतर अनुनाद परिपथ – अनुनाद की स्थिति, अनुनादी आवृत्ति, क्यू-घटक एवं बैंड-चौड़ाई ।

डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स: लॉजिक गेट्स, डी मॉर्गन प्रमेय, बूलियन बीजगणित एवं डिजिटल लॉजिक परिपथ, प्रणालियां तथा कोड।

अनुक्रमिक एवं संयोजी तर्कशास्त्र: फ्लिप-फ्लॉप, शिफ्ट रजिस्टर, आवृत्ति गणक एवं संयोजी तर्कशास्त्र अभिकल्पन।

डेटा रूपांतरण एवं कोड: डिजिटल से एनालॉग तथा एनालॉग से डिजिटल परिवर्तकों के मूल सिद्धांत एवं समयन परिपथ ।

(ख) दूरसंचार :

एंटीना : मूल एंटीना सिद्धांत - दिशिक लब्धि, दिशिकता, विकिरण पैटर्न, ब्रॉड-साइड एवं एंड-फायर व्यूह (ऐरे), यागी एंटीना तथा परवलयिक एंटीना।

रेडियो तरंग संचरण: भू-तरंग संचरण, अंतरिक्ष तरंगें एवं आयनमंडल संचरण।

विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम: आवृत्ति स्पेक्ट्रम।

मॉडुलन: मॉडुलन, मॉडुलन के प्रकार, आयाम मॉडयूलन (एएम), मॉडुलन सूचकांक, एएम में शक्ति संबंध, एएम का उत्पादन

एवं विमॉडुलन।

एकल पार्श्व बैंड: एएम की तुलना में शक्ति आवश्यकता, एएम की तुलना में एसएसबी के लाभ। संतुलित विमॉडुलक/मॉडुलक की संकल्पना, एसएसबी का उत्पादन, पायलट वाहक प्रणाली। स्वतंत्र पार्श्व प्रणाली, अवशेषी पार्श्व बैंड पारेषण।

आवृत्ति मॉडुलन: एफएम की परिभाषा, बैंड-चौड़ाई, शोर त्रिभुज, पूर्व-बल एवं वि-बल।

स्पंद मॉडुलन: पीएम की परिभाषा। एएम एवं एफएम में अंतर। रेडियो अभिग्राही (रिसीवर)। प्रतिदर्श प्रमेय, पीएएम, पीटीएम , पीडब्ल्यूएम, पीपीएम, स्पंद कोड मॉडुलन, क्वांटीकरण शोर, संपीड़न-विस्तार, पीसीएम प्रणाली, विभेदी पीसीएम, डेल्टा मॉडुलन।

बहुसंकेतन: एफडीएम / टीडीएम।

डिजिटल संचार का परिचय: पीएसके, एएसके, एफएसके, ऑप्टिकल फाइबर प्रणाली का परिचय, ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का संचरण एवं किरण मॉडल।

रेडियो आवृत्ति संचार एवं वायरलेस दूरसंचार : एचएफ, वीएचएफ, यूएचएफ तथा सूक्ष्मतरंग आवृत्ति पर सिग्नल संचरण एवं उपग्रह संचार।

14.3.6 भाग-च (भौतिकी):

गणितीय विधियां: कलन, समाकलन कलन, अवकल समीकरण, फूरियर श्रेणी, टेलर प्रसार, सदिश बीजगणित, सदिश कलन, समाकल प्रमेय, रैखिक बीजगणित एवं सम्मिश्र संख्याएं, सांख्यिकी तथा त्रुटि विश्लेषण।

यांत्रिकी: न्यूटन के गति के नियम एवं अनुप्रयोग, निर्देश तंत्र एवं शुद्धगतिकी, जड़त्वीय एवं अजड़त्वीय फ्रेम, अपकेंद्री एवं कोरिऑलिस बल, केंद्रीय बल के अधीन गति, केपलर के नियम, गुरुत्वाकर्षण नियम, संरक्षी एवं असंरक्षी बल, कणों का निकाय, संरक्षण नियम, प्रत्यास्थ एवं अप्रत्यास्थ संघट्ट, जड़त्व आघूर्ण, दृढ़ पिंड गतिकी।

द्रव्य के सामान्य गुणधर्म: प्रत्यास्थता, पृष्ठ तनाव, श्यानता, द्रव-गतिकी, गतिमान द्रवों की शुद्धगतिकी, सांतत्य समीकरण, ऑयलर समीकरण, बर्नूली प्रमेय।

दोलन: सरल आवर्त दोलित्र, दो या अधिक सरल आवर्त दोलित्रों का अध्यारोपण, लिसाजू आकृतियां, मंदित एवं प्रणोदित दोलन, अनुनाद, गुणता कारक (क्वालिटी फैक्टर) एवं बैंड-चौड़ाई।

तरंगें: तरंग समीकरण, एक विमा में गामी एवं अप्रगामी तरंगें, तरंगों का ऊर्जा घनत्व एवं ऊर्जा पारेषण, समूह वेग एवं कला वेग, ध्वनि तरंगें, डॉप्लर प्रभाव।

प्रकाशिकी: ज्यामितीय प्रकाशिकी- फर्मा का सिद्धांत, परावर्तन एवं अपवर्तन, दर्पण तथा लेंस एवं प्रतिबिंब निर्माण, प्रकाश का व्यतिकरण तथा विवर्तन, रेले कसौटी एवं विभेदन क्षमता, विवर्तन ग्रेटिंग, ध्रुवण: रैखिक, वृत्तीय एवं दीर्घवृत्तीय ध्रुवण, द्वि-अपवर्तन एवं घूर्णन प्रकाशिकता।

विद्युत : कूलाम नियम, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, गाउस नियम, चालक एवं परावैद्युत (dielectrics), ध्रुवण एवं बद्ध आवेश, संधारित्र एवं धारिता, स्थिरविद्युत ऊर्जा, सीमा शर्तें, लाप्लास समीकरण एवं सीमा मान समस्याएं, विद्युत धारा एवं

धारा घनत्व, ओम का नियम, डीसी परिपथ, एसी परिपथ (आरसी, एलसी, एलसीआर), एसी परिपथों में अनुनाद।

चुंबकत्व: चुंबकीय क्षेत्र, बायो-सावर्त नियम, एम्पीयर का परिपथीय नियम, चुंबकीय सदिश विभव, लोरेन्ट्ज़ बल, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों में आवेशित कणों की गति, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे का नियम, स्व-प्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण, मैक्सवेल के समीकरण, विस्थापन धारा, विद्युत चुंबकीय तरंगें, पॉयंटिंग सदिश एवं ऊर्जा प्रवाह, विद्युत चुंबकीय तरंगों का परावर्तन तथा पारेषण।

अणुगति सिद्धांत: अणुगति सिद्धांत की अभिधारणाएं, आदर्श गैस समीकरण, दाब एवं ताप, स्वातन्त्र्य कोटि (डिग्री ऑफ फ्रीडम), समविभाजन प्रमेय, एक-, द्वि-, एवं त्रि-परमाणुक गैसों की विशिष्ट ऊष्मा, मैक्सवेल का वेग बंटन, सर्वाधिक संभाव्य वेग, माध्य एवं वर्ग माध्य मूल (आरएमएस) वेग, माध्य मुक्त पथ, वान डर वाल्स गैस एवं अवस्था समीकरण।

ऊष्मागतिकी: ऊष्मागतिकी के नियम, ऊष्मागतिकी प्रक्रम (समतापी, रुद्धोष्म, समदाबी, समआयतनिक), एंट्रॉपी, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय एवं कल्प-स्थैतिक (quasi-static) प्रक्रम, कार्नो चक्र, ऊष्मा इंजन एवं दक्षता, मैक्सवेल के ऊष्मागतिकी संबंध एवं अनुप्रयोग, ऊष्मागतिकी विभव एवं उनके अनुप्रयोग, प्रावस्था संक्रमण, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण, सूक्ष्मअवस्था एवं स्थूलअवस्था, समष्टि (ensembles) की अवधारणाएं, मैक्सवेल-बोल्ट्ज़मान, फर्मी-डिराक तथा बोस-आइंस्टीन बंटन।

आधुनिक भौतिकी: जड़त्वीय फ्रेम एवं गैलीलियो निश्चरता, अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत, कृष्णिका विकिरण (ब्लैक बॉडी रेडीऐशन), प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, दे ब्रॉग्ली तरंगें, अनिश्चितता सिद्धांत, एक्स-किरणें, श्रोडिंगर समीकरण एवं एक, दो तथा तीन विमीय बक्सों के लिए इसका हल, बॉक्स में कण, आवर्ती दोलित्र, विभव सोपान एवं प्राचीर, टनलिंग, बोर परमाणु, परमाण्वीय स्पेक्ट्रम, पावली का अपवर्जन सिद्धांत, परमाणु नाभिक की संरचना, द्रव्यमान एवं बंधन ऊर्जा, रेडियोऐक्टिवता एवं इसके अनुप्रयोग, रेडियोऐक्टिव क्षय के नियम।

ठोस अवस्था भौतिकी: क्रिस्टल संरचना, यूनिट सेल एवं जालक पैरामीटर, ब्रावे जालक, आधार एवं क्रिस्टल निकाय, मिलर सूचकांक, क्रिस्टल तल एवं दिशाएं, एक्स-किरण विवर्तन एवं ब्रैग का नियम, ठोसों का बैंड सिद्धांत, चालक, अर्धचालक एवं विद्युतरोधी, ऊर्जा बैंड, फर्मी ऊर्जा एवं फर्मी स्तर, आंतरिक एवं बाह्य अर्धचालक, वाहक सांद्रता एवं चालकता, ताप के साथ प्रतिरोधकता का परिवर्तन।

अर्धचालक उपकरण : पीएन संधि डायोड, डायोड लक्षण, ज़ेनर डायोड एवं इसके अनुप्रयोग, दिष्टकारी, द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर (बीजेटी), सीबी, सीई एवं सीसी विन्यास, ट्रांजिस्टर लक्षण।

एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स : एकल-चरणी प्रवर्धक, द्वि-चरणी आर.सी.-युग्मित प्रवर्धक, साधारण एवं ज्यावक्रीय दोलित्र, बारकहाउसन शर्त, संक्रियात्मक प्रवर्धक (ओपीएएमपी) एवं इसके अनुप्रयोग, उत्क्रमक एवं अनुत्क्रमक प्रवर्धक, समाकलक एवं अवकलक, बूलियन बीजगणित: द्विआधारी (बाइनरी) संख्या प्रणाली, एक संख्या प्रणाली से दूसरी संख्या प्रणाली में परिवर्तन; द्विआधारी योग एवं व्यवकलन । तर्क द्वार (लॉजिक गेट): एएनडी, ओआर, एनओटी, एनएएनडी, एनओआर, एक्सओआर; द्वारों का संयोजन, सत्यता सारणी, डि मॉर्गन का प्रमेय ।

14.3.7 भाग- (छ) (दूरसंचार अभियांत्रिकी)

अभियांत्रिकी गणित:

रैखिक बीजगणित: सदिश समष्टि, आधार, रैखिक परतंत्रता एवं स्वतंत्रता, आव्यूह बीजगणित, आइगन मान एवं आइगन सदिश, कोटि (रैंक), शून्य समष्टि, रैखिक समीकरणों का हल — अस्तित्व एवं अद्वितीयता, न्यूनतम वर्ग हल।

कलन: माध्यमान प्रमेय, समाकलन कलन के प्रमेय, निश्चित एवं विचित्र समाकलों का मूल्यांकन, आंशिक अवकलज, उच्चिष्ठ एवं निम्निष्ठ, बहु-समाकल, रेखा, पृष्ठ एवं आयतन, टेलर श्रेणी।

अवकल समीकरण: प्रथम-कोटि समीकरण (रैखिक एवं अरेखीय), उच्च-कोटि रैखिक अवकल समीकरण, कॉशी एवं ऑयलर समीकरण, प्राचल-परिवर्तन विधि द्वारा हल, पूरक फलन एवं विशेष समाकल, आंशिक अवकल समीकरण, चर-पृथक्करण विधि, प्रारंभिक एवं सीमांत मान समस्याएं।

सदिश विश्लेषण : समतल एवं समष्टि में सदिश, सदिश संक्रियाएं, प्रवणता, अपसरण एवं कुंतल (Curl), गॉस, ग्रीन एवं स्टोक की प्रमेय।

सम्मिश्र विश्लेषण: विश्लेषिक फलन, कॉशी समाकल प्रमेय, कॉशी समाकल सूत्र, अनुक्रम, श्रेणी, अभिसरण परीक्षण, टेलर एवं लॉरेंट श्रेणी, अवशेष प्रमेय।

प्रायिकता एवं सांख्यिकी: यादृच्छिक चर (सतत एवं विविक्त), माध्य, माध्यिका, बहुलक, मानक विचलन, क्रमचय-संचयी प्रायिकता, प्रायिकता बंटन: द्विपद बंटन, पॉइसन बंटन, एकसमान बंटन, घातांकी बंटन, प्रसामान्य बंटन; प्रायिकता घनत्व फलन, संचयी घनत्व फलन, प्रायिकता द्रव्यमान फलन, प्रायिकता बंटन फलन एवं उनके गुणधर्म, संयुक्त एवं सशर्त प्रायिकता।

नेटवर्क विश्लेषण:

परिपथ विश्लेषण: नोड एवं मैश विश्लेषण, अध्यारोपण, थेवेनिन प्रमेय, नॉर्टन प्रमेय, टेलेगन प्रमेय। ज्यावक्रीय स्थिर-अवस्था विश्लेषण: फेजर, सम्मिश्र शक्ति, अधिकतम शक्ति अंतरण प्रमेय। रैखिक परिपथों का क्षणिक समय एवं आवृत्ति-डोमेन विश्लेषण: आरएल, आरसी एवं आरएलसी परिपथ, लाप्लास रूपांतरण का उपयोग करके परिपथ समीकरणों का हल।

रैखिक द्वि-पोर्ट परिपथ प्राचल: Z, Y, h एवं ABCD प्राचल, पारस्परिकता एवं सममिति स्थितियां, द्वि-पोर्ट प्राचलों का अंतर-संयोजन (सोपानी/कैस्केड, श्रेणी, समांतर), वाये-डेल्टा रूपांतरण (Wye-delta transformation)।

संकेत एवं प्रणालियां :

सतत्-समय संकेत : फोरिये श्रेणी, फोरिये रूपांतरण, लाप्लास रूपांतरण एवं उनके गुणधर्म, प्रतिदर्शन प्रमेय, संवलन एवं अनुप्रयोग। प्रतिलोम रूपांतरण। संकेतों का रूपांतरण।

विविक्त-समय संकेत **:** विविक्त-समय फोरिये रूपांतरण (डीटीएफटी), विविक्त फोरिये रूपांतरण (डीएफटी), Z-रूपांतरण एवं उनके गुणधर्म तथा प्रतिलोम रूपांतरण, सतत-समय संकेतों का विविक्त-समय प्रक्रमण।

एलटीआई प्रणालियां: परिभाषा एवं गुणधर्म, कारणता, स्थायित्व, आवेग अनुक्रिया, संवलन, ध्रुव एवं शून्य, आवृत्ति अनुक्रिया, समूह विलंब, कला विलंब, अवकल एवं अंतर समीकरणों के रूप में एलटीआई प्रणालियां, रूपांतरणों के संदर्भ में एलटीआई प्रणाली गुणधर्म।

इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण:

आंतरिक एवं बाह्य अर्धचालकों में ऊर्जा बैंड, साम्यावस्था वाहक सांद्रता, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष बैंड-अंतराल अर्धचालक।

वाहक परिवहन: विसरण धारा, अपवाह धारा, गतिशीलता एवं प्रतिरोधकता, वाहकों का जनन एवं पुनर्योजन, पॉइसन एवं संतत्य समीकरण।

P-N संधि, जेनर डायोड, बीजेटी, एमओएस संधारित्र, एमओएसएफईटी (MOSFET) एवं उनके परिपथ विन्यास; एलईडी, फोटो डायोड एवं सौर सेल।

एनालॉग परिपथ:

डायोड परिपथ: कर्तन (क्लिपिंग), बंधन (क्लैम्पिंग) एवं दिश्टकारी (रेक्टिफाइअर)।

बीजेटी (BJT) एवं एमओएसएफईटी (MOSFET) प्रवर्धक: अभिनति, एसी-युग्मन, लघु-संकेत विश्लेषण, आवृत्ति अनुक्रिया। धारा दर्पण एवं विभेदी प्रवर्धक।

ऑप-एम्प (Op-amp) परिपथ: प्रवर्धक, योगक, अवकलक, समाकलक, सक्रिय फ़िल्टर, शिमट ट्रिगर एवं दोलित्र।

डिजिटल परिपथ:

संख्या निरूपण: द्विआधारी (बाइनरी), पूर्णांक एवं चल बिंदु संख्याएं।

संयोजनात्मक परिपथ: बूलियन बीजगणित, बूलियन सर्वसमिकाओं एवं कॉर्नो मानचित्र का उपयोग करके फलनों का न्यूनतमीकरण, तर्क द्वार एवं उनके स्थिर सीएमओएस (CMOS) कार्यान्वयन, अंकगणितीय परिपथ, कोड परिवर्तक, बहुसंकेतक, वि-बहुसंकेतक, कूटवाचक, कूटलेखक, अर्ध-योगक, पूर्ण-योगक, पूर्वदर्शी कैरी, गुणक, तुलनाकार।

अनुक्रमिक परिपथ: लैच एवं फ्लिप-फ्लॉप, गणक, विस्थापन रजिस्टर, परिमित अवस्था मशीनें, संचरण विलंब, सेटअप एवं होल्ड समय, क्रांतिक पथ विलंब। फ्लिप-फ्लॉप का रूपांतरण।

डाटा परिवर्तक: प्रतिदर्श एवं धारक परिपथ (Sample and hold circuits), एडीसी एवं डीएसी।

अर्धचालक स्मृति : आरओएम, एसआरएएम, डीआरएएम।

कंप्यूटर संगठन :

मशीन अनुदेश एवं संबोधन विधियां, अंकगणितीय तर्क इकाई (एएलयू), डाटा-पथ एवं नियंत्रण इकाई, अनुदेश पाइपलाइनिंग।

नियंत्रण प्रणालियां:

मूल नियंत्रण प्रणाली घटक; पुनर्निवेश एवं अग्रभरण सिद्धांत; अंतरण फलन एवं लाप्लास रूपांतरण; ब्लॉक आरेख निरूपण एवं लघूकरण सिद्धांत; संकेत प्रवाह आरेख एवं मेसन का लाभ सूत्र;

एलटीआई प्रणालियों का क्षणिक एवं स्थिर-अवस्था विश्लेषण, स्थिर त्रुटि गुणांक, एवं सामान्यीकृत त्रुटि गुणांक; आवृत्ति अनुक्रिया; राउथ-हर्विट्ज़ मानदंड, एवं नाइक्विस्ट स्थायित्व मानदंड; बोडे आरेख, लाभ मार्जिन एवं फेस मार्जिन, तथा मूल बिंदु पथ आरेख; क्षति, लीड और लैग-लीड क्षतिपूर्ति, न्यूनतम फेस प्रणाली; एलटीआई प्रणालियों का अवस्था चर मॉडल एवं अवस्था समीकरण का हल, नियंत्रणीयता एवं प्रेक्षणीयता।

एनालॉग संचार:

यादृच्छिक प्रक्रम : स्व-सहसंबंध एवं पॉवर स्पेक्ट्रल घनत्व तथा उनके गुणधर्म, व्यापक एवं संकीर्ण अर्थ में स्थिर, एर्गोडिक (Ergodicity), एलटीआई प्रणालियों के माध्यम से यादृच्छिक संकेतों का निस्यंदन (Filtering), बैंड-पास संकेतों के निम्न-पास तुल्यांक।

रव (Noise): श्वेत रव के गुणधर्म, तापीय रव, शॉट रव, रव गुणांक, रव तुल्यांक बैंडविड्थ।

एनालॉग संचार प्रणाली**:** एएम मॉडुलन एवं वि-मॉडुलन, एन्वेलप संसूचक (Envelope detector), कोण मॉडुलन एवं वि-मॉडुलन, एएम की दक्षता, एएम का स्पेक्ट्रा, डीएसबी-एससी मॉडुलन एवं वि-मॉडुलन, कोस्टास अभिग्राही (Costas receiver), एसएसबी-एससी मॉडुलन एवं वि-मॉडुलन, एफएम मॉडुलन एवं वि-मॉडुलन, एनबीएफएम एवं डब्ल्यूबीएफएम, बैंडविड्थ का कार्सन नियम, आवृत्ति विभेदक, कला-पाशित लूप (पीएलएल), डीएसबी-एससी एवं एसएसबी-एससी मॉडुलन के लिए रव विश्लेषण; सुपर हेटेरोडाइन अभिग्राही।

डिजिटल संचार :

सूचना सिद्धांत : एंट्रॉपी, सशर्त एंट्रॉपी, एंट्रॉपी दर, अन्योन्य सूचना, द्विआधारी सममित चैनल एवं द्विआधारी विलोपन चैनल की क्षमता, हफ़मैन कोडिंग, शैनन-फ़ानो कोडिंग, क्राफ्ट असमानता, शैनन स्रोत कोडिंग प्रमेय, शैनन चैनल कोडिंग प्रमेय।

डिजिटल संचार प्रणाली: पीसीएम, डीपीसीएम, डेल्टा मॉडुलन, रैखिक पूर्वानुमान निस्यंदक (Linear prediction filter), लाइन कोडिंग (एनआरजेड -एकध्रुवीय, आरजेड-एकध्रुवीय, एनआरजेड-ध्रुवीय, आरजेड-ध्रुवीय, मैनचेस्टर) तथा बैंडविड्थ के साथ उनका पीएसडी।

डिजिटल मॉडुलन योजनाएं (एएसके, पीएसके, एफएसके, क्यूएएम), बैंडविड्थ दक्षता, प्रति बिट औसत ऊर्जा, लंबकोणीय आधार निरूपण, न्यूनतम दूरी।

अंतर-प्रतीक व्यतिकरण, नयन प्रारूप (Eye patterns), नाइक्विस्ट स्पंद कसौटी, वर्धित कोज्या स्पंद (Raised cosine pulse), आरआरसी स्पंद, एमएपी, एमएल पहचान, मिलित निस्यंदक अभिग्राही, एसएनआर, कॉशी-श्वार्ज़ असमानता, ग्राम-शिमट लंबकोणीयकरण (Gram-Schmidt Orthogonalization), सहसंबंध अभिग्राही, एवं डिजिटल मॉडुलन योजनाओं का BER।

त्रुटि सुधार कोड के मूल सिद्धांत, ब्लॉक कोड, हैमिंग कोड, सीआरसी, एवं संवलन कोड।

विद्युतचुंबकत्व :

कार्टीज़ियन (Cartesian), बेलनाकार एवं गोलीय निर्देशांक तथा उनका रूपांतरण;

स्थिरवैद्युतिकी: बिंदु आवेश, रेखा आवेश, पृष्ठ आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र एवं विभव, विद्युत अभिवाह घनत्व एवं धारिता।

स्थिरचुंबकत्व: चुंबकीय प्रेरण, फैराडे का नियम, चुंबकीय अभिवाह घनत्व एवं तीव्रता, एम्पीयर का नियम, गॉस का नियम, पारगम्यता (Permeability), चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा, चुंबकीय सदिश विभव।

मैक्सवेल के समीकरण: अवकल एवं समाकल रूप तथा उनकी व्याख्या, सीमांत स्थितियां, तरंग समीकरण, पॉयंटिंग (Poynting) सदिश।

समतल तरंगें एवं गुणधर्म: परावर्तन एवं अपवर्तन, ध्रुवीकरण, गलन एवं समूह वेग, विभिन्न माध्यमों से संचरण, स्किन डेप्थ।

संचरण रेखा : समीकरण, अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा, परावर्तन गुणांक, वीएसडब्ल्यूआर, प्रतिबाधा मिलान, प्रतिबाधा रूपांतरण, S-प्राचल, स्मिथ चार्ट। आयताकार एवं वृत्ताकार तरंग-पथक, प्रकाश तंतुओं में प्रकाश संचरण, द्विध्रुव एवं एकध्रुव एंटीना, रैखिक एंटीना व्यूह।

15. परीक्षा केंद्र में प्रवेश:

15.1 उन सभी अभ्यर्थियों को, जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तिथि और समय तक अपना पंजीकरण कराते हैं और जिनके ऑनलाइन आवेदन-पत्र सुव्यवस्थित पाए जाते हैं और आयोग द्वारा परीक्षा की इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तों के अनुसार अनंतिम रूप से स्वीकार किए जाते हैं, उन्हें कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल होने हेतु रोल नंबर दिए जाएंगे और प्रवेश पत्र (एसी) जारी किया जाएगा। तदनंतर, पेपर-I में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले स्तर (पेपर-II) के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे।

15.2 आयोग परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए ऑनलाइन आवेदनों पत्रों की विस्तृत जांच नहीं करेगा, और इसलिए, अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे शैक्षिक योग्यता, अनुभव, आयु आदि की आवश्यकताओं के बारे में पढ़ें और उनके बारे में स्वयं संतुष्ट हों कि वे उक्त पद (पदों) के लिए पात्र हैं। उनकी शैक्षिक योग्यता और जाति / श्रेणी आदि के समर्थन में प्रमाणपत्र / दस्तावेजों की प्रतियां मांगकर्ता / प्रयोक्ता विभागों / कार्यालयों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय मांगी जाएंगी। अभ्यर्थी यह भी नोट करें कि आयोग अथवा मांगकर्ता / प्रयोक्ता संगठनों / कार्यालयो द्वारा मांगे जाने पर उन्हें अपने शै.यो. / जाति / श्रेणी आदि के प्रमाणपत्र / दस्तावेज जमा करने होंगे। शै.यो. (ईक्यू)/ जाति / श्रेणी आदि के प्रमाणपत्रों / दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि आवेदन में किया गया कोई दावा प्रमाणपत्रों / दस्तावेजों से सिद्ध नहीं होता है, तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

15.3 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेश प्रमाणपत्र, आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध किया जाएगा। परीक्षा के किसी भी स्तर के लिए उनके प्रवेश पत्र डाक / ई मेल द्वारा जारी नहीं किए जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के बारे में अद्यतन जानकारी एवं सूचना के लिए नियमित रूप से कर्मचारी चयन आयोग (मुख्यालय) की वेबसाईट का अवलोकन करते रहें।

15.4 परीक्षा के बारे में सूचनाएं, जिसमें परीक्षा की समय-सारणी और अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा का शहर/केंद्र की जानकारी होगी, परीक्षा की तिथि से लगभग 10 दिन पहले आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तिथि से एक सप्ताह पूर्व तक अपना ब्यौरा आयोग की वेबसाइट पर प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल आवेदन प्रस्तुत करने के अपने प्रमाण के साथ आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। ऐसा न करने पर

वह परीक्षा में बैठने के अपने दावे पर विचार किए जाने से वंचित हो जाएगा।

15.5 अभ्यर्थी को आयोग के साथ कोई भी पत्राचार करते समय अपना पंजीकरण आईडी, पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित अपने नाम, जन्म तिथि और परीक्षा का नाम अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के न दिए जाने पर अभ्यर्थी के पत्राचार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

15.6 परीक्षा से 3-4 दिन पहले प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा आयोग / मुख्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी । अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट परीक्षा हॉल में लाना होगा । **अभ्यर्थियों को यह सलाह भी दी जाती है कि वे प्रवेश प्रमाणपत्र की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि रिकॉर्ड / भविष्य में संदर्भ हेतु अपने पास रखें ।**

15.7 जिन अभ्यर्थियों का आधार आधारित प्रमाणीकरण नहीं हुआ है, उन्हें परीक्षा आरंभ होने के समय से **दो (02) घंटे** पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा । प्रवेश प्रमाण-पत्र के अलावा, कम से कम दो पासपोर्ट आकार के दो नवीनतम रंगीन फोटो और एक मूल वैध फोटो-आईडी साक्ष्य जिसमें वही जन्म तिथि लिखी हो जो प्रवेश प्रमाण-पत्र में छपी है, लाना अनिवार्य है, ऐसा न करने पर उन्हें परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जैसे :-

15.7.1. मतदाता पहचान पत्र

15.7.2 ड्राइविंग लाइसेंस

15.7.3 पैन कार्ड

15.7.4 पासपोर्ट

15.7.5 विद्यालय / कॉलेज द्वारा जारी पहचान पत्र

15.7.6 नियोक्ता पहचान-पत्र (सरकारी/उपक्रम/निजी) आदि

15.7.7 रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक की सेवा-मुक्ति पंजिका, केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान-पत्र

15.8 यदि फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि नहीं दी गई है तो अभ्यर्थी को अपनी जन्म-तिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज़ (अर्थात सीबीएसई/ आईसीएसई/ राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रीकुलेशन प्रमाण-पत्र, मार्क्सशीट, जन्म प्रमाणपत्र, श्रेणी प्रमाणपत्र आदि) अवश्य लाना चाहिए । यदि प्रवेश प्रमाण पत्र और जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में लाए गए फोटो पहचान-पत्र / प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि मेल नहीं खाती है तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा । **तथापि, पूर्वोक्त अपेक्षाएं उन अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होंगी जिन्होंने आधार आधारित प्रमाणीकरण अपनाया है ।**

15.9 पैरा 9.1, 9.2 और 9.3 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांग/ दिव्यांग अभ्यर्थी जो प्रलिपिक की सुविधा का उपयोग करेंगे, उन्हें यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित मेडिकल सर्टिफिकेट / वचनपत्र / प्रालिपिक के फोटो पहचान पत्र की फोटोकॉपी लानी होगी । उपरोक्त दस्तावेजों के बिना अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

15.10 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के दौरान प्रवेश प्रमाणपत्र में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज भी ला सकता है।

15.11 **धुंधले हस्ताक्षर वाले** ऑनलाइन आवेदनपत्र **सरसरी तौर पर निरस्त कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदनपत्र मॉडयूल अभ्यर्थी की ऑनलाइन आवेदनपत्र भरते समय लाइव फोटो लेने के लिए डिजाइन किया गया है** । अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ली गई फोटो साफ हो, टोपी या चश्मा न हो और सामने से चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे । ऐसे फोटोयुक्त ऑनलाइन आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा जिनमें फोटो निर्देशों के अनुसार नहीं ली गई है । किसी भी स्थिति

में अभ्यर्थी को अपनी पहले ली गई फोटो नहीं लगानी चाहिए। ऐसे सभी ऑनलाइन आवेदन जिनमें उनकी पहले की फोटो लगाई गई है, उन्हें तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। **तथापि, उपर्युक्त कारणों से ऑनलाइन आवेदन पत्र की अस्वीकृति उन अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया को अपनाया है।**

16. **दस्तावेजसत्यापन (डी.वी.) :** अंतिम परिणाम घोषित किए जाने के पश्चात अनंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) का आयोजन प्रयोक्ता विभाग द्वारा किया जाएगा।

16.1 कर्मचारी चयन आयोग प्रयोक्ता विभागों / संगठनों द्वारा रिपोर्ट की गई रिक्तियों के आधार पर, दस्तावेज सत्यापन हेतु और तत्पश्चात नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता की सिफारिश करता है। प्रयोक्ता विभागों/ संगठनों में उत्पन्न होने वाली कुल रिक्तियों (ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज) के निर्धारण, बैकलॉग रिक्तियों, विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के तहत रिक्तियों के पृथक्करण और सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के निर्धारण में आयोग की कोई भूमिका नहीं है। अंतिम परिणाम की घोषणा के उपरांत, केवल अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के डोजियर प्रयोक्ता मंत्रालयों / विभागों / संगठनों को भेज दिए जाते हैं।

16.2 संबंधित प्रयोक्ता मंत्रालय/विभाग/संगठन अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद भेजे गए डोजियर को स्वीकार करेंगे। कोई भी मंत्रालय / विभाग / संगठन क्षैतिज रिक्तियों की अनुपलब्धता के आधार पर अथवा इस आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के डोजियर वापिस नहीं करेगा कि क्षैतिज रिक्ति है परन्तु आयोग द्वारा उस श्रेणी का डोजियर उपलब्ध नहीं कराया गया है।

16.3 कर्मचारी चयन आयोग अंतिम परिणाम घोषित करने से पहले प्रयोक्ता मंत्रालयों / विभागों / संगठनों से रिक्तियों की पुष्टि करता है। केवल ऐसी सुनिश्चित रिक्तियों के लिए ही अंतिम परिणाम घोषित किया जाता है तथा नामांकन और सिफारिशें की जाती हैं। इसलिए प्रयोक्ता मंत्रालयों / विभागों / संगठनों को उनके पास भेजे गए नामांकन और डोजियर स्वीकार करने होंगे। यदि किसी मंत्रालय / विभाग / संगठन को बंद कर दिया जाता है, पुनर्गठित किया जाता है या किसी अन्य मंत्रालय / विभाग / संगठन के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो उसका उत्तराधिकारी / प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग डोजियर को स्वीकार करेगा। यदि मंत्रालय स्तर तक संगठनों का पूरा पदानुक्रम समाप्त कर दिया जाता है तो जिस मंत्रालय / विभाग को उसका कार्य सौंपा गया है, वह मंत्रालय डोजियर को स्वीकार करेगा। यदि मंत्रालय / विभाग / संगठन का कार्य किसी अन्य मंत्रालय / विभाग / संगठन को नहीं सौंपा गया है तो वह मंत्रालय / विभाग / संगठन जिसका कार्य पूर्ववर्ती मंत्रालय / विभाग / संगठन के कार्य से मिलता-जुलता है, डोजियर स्वीकार करेगा। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

16.4 संबंधित प्रयोक्ता विभागों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जाने पर अभ्यर्थियों को पैरा सं.16.6 में किए गए उल्लेख अनुसार मूल दस्तावेजों और उनकी छाया प्रतियों के साथ दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा।

16.5 अभ्यर्थियों को प्रयोक्ता संगठनों / कार्यालयों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय विभिन्न दस्तावेजों की प्रतिलिपि जमा करनी होगी जैसे:-

(i) मैट्रिकुलेशन / माध्यमिक प्रमाणपत्र
(ii) शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र
(iii) अनुभव प्रमाणपत्र, यदि लागू हो।
(iv) जाति / श्रेणी प्रमाणपत्र, यदि आरक्षित श्रेणी से हैं।
(v) निर्धारित प्रपत्र में दिव्यांगजन प्रमाण-पत्र, यदि लागू हो।

(vi) भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) के लिए :

(क) **अनुबंध-VI** के अनुसार वचन-पत्र।

(ख) **अनुबंध-V** के अनुसार कार्यरत रक्षाकर्मी प्रमाणपत्र, यदि लागू हो।

(ग) सेवा-मुक्ति प्रमाणपत्र, यदि अभ्यर्थी सशस्त्र सेना से सेवा-मुक्त हुआ हो।

(vii) आयु-सीमा में छूट मांगने वालों के लिए संबन्धित दस्तावेज़।

(viii) अनापत्ति प्रमाण-पत्र, पहले से सरकारी / सरकारी-उपक्रम में कार्यरत अभ्यर्थी के लिए।

(ix) जो अभ्यर्थी मैट्रिकुलेशन के बाद, शादी, दूसरी शादी या तलाक के बाद नाम परिवर्तन का दावा करता है, उन्हे निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करने होंगे :

(क) महिला की शादी के मामले में : पति के पासपोर्ट की प्रतिलिपि जिसमे पत्नी का नाम लिखा हुआ हो या विवाह-रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित- प्रति या शपथ-आयुक्त के सामने पति-पत्नी द्वारा लिया गया शपथ संबंधी संयुक्त फोटो लगा हलफनामा।

(ख) महिला की दूसरी शादी के मामले में : तलाकनामा / या पहले पति की अगर मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु प्रमाण-पत्र और वर्तमान पति के पासपोर्ट की प्रतिलिपि जिसमे पत्नी का नाम लिखा हुआ हो या विवाह-रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित- प्रति या शपथ-आयुक्त के सामने पति-पत्नी द्वारा लिया गया शपथ संबंधी संयुक्त फोटो लगा हलफनामा।

(ग) महिला के तलाक के मामले में :- तलाकनामे की प्रमाणित-प्रति और एक पक्षीय विलेख/ शपथ-आयुक्त के सामने लिया गया शपथ संबंधी हलफनामा।

(घ) अन्य परिस्थितियों में पुरुष और महिला दोनों के नाम परिवर्तन के लिए:- एक पक्षीय विलेख/ शपथ-आयुक्त के सामने लिया गया शपथ संबंधी हलफनामा और दो प्रमुख दैनिक अखबारों में प्रकाशित अखबार की मूल कटिंग (एक दैनिक अखबार अभ्यर्थी के स्थायी और वर्तमान पते या आस-पास के क्षेत्र की होनी चाहिए।) या गज़ट अधिसूचना।

(x) प्रवेश-पत्र में उल्लिखित दस्तावेज़-सत्यापन के लिए जरूरी कोई अन्य दस्तावेज़।

(xi) यह पुनः बताया जाता है कि शै.यो./जाति/श्रेणी आदि के प्रमाणपत्रों/ दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि आवेदन में किए गए किसी दावे की दस्तावेज़ सत्यापन के समय या किसी भी स्तर पर प्रमाणपत्रों/ दस्तावेजों द्वारा पुष्टि नहीं होती है, अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

17 **पद वरीयता :**

17.1 **अनंतिम आवंटन का प्रथम चक्र (एफआरटीए) का परिणाम घोषित होने से पहले आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन विकल्प प्रपत्र के जरिए अभ्यर्थियों से विभिन्न पदों और विभागों के लिए वरीयता ली जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे गए पद के लिए आवश्यक योग्यताओं के आधार पर पद की प्राथमिकता प्रदर्शित होगी। अभ्यर्थी के नाम पर उन पदों के लिए विचार नहीं किया जाएगा जिन पदों के लिए उन्होंने ऑनलाइन आवेदन**

पत्र में विकल्प नहीं चुना और जिन चयनित विषय की परीक्षा में भी शामिल नहीं हुए।

17.2 यदि अभ्यर्थी ने किसी पद और संगठन / कार्यालय के लिए अपनी वरीयता नहीं बताई है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा । एक बार चुने गए विकल्प अंतिम माने जाएंगे और बाद में किसी भी परिस्थिति में उनमें बदलाव नहीं किया जाएगा ।

17.3 अभ्यर्थियों द्वारा एक बार चुने गए विकल्प/वरीयता को **अंतिम** और **अपरिवर्तनीय** माना जाएगा । बाद में किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थियों द्वारा पद/ विभाग को बदलने के लिए किए गए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा यदि अभ्यर्थी ने किसी पद/विभाग का विकल्प नहीं चुना है, तो उसकी मेरिट स्थिति के बावजूद उस पर ऐसे पद के चयन हेतु विचार नहीं किया जाएगा । इसलिए, अभ्यर्थियों को अपनी पद वरीयताएं देते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए।

17.4 **जो अभ्यर्थी निर्धारित समय के भीतर आयोग की वेबसाइट पर अपनी पद वरीयता (वरीयताएं) प्रस्तुत नहीं करते हैं, उनके लिए एफआरटीए /अंतिम परिणाम में किसी भी पद हेतु विचार नहीं किया जाएगा।** यदि कोई पात्र अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर पद वरीयता (वरीयताएं) देने में विफल रहता है तो यह माना जाएगा कि आगे की भर्ती प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहता है। ऐसे अभ्यर्थियों को पदों के लिए वरीयता देने का कोई और अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा और अंतिम परिणाम में उन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा वे ही इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी रूप में प्राप्त किसी भी शिकायत पर आयोग द्वारा कार्रवाई नहीं की जाएगी इसे सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा ।

17.5 बीआरओ में कनिष्ठ अभियंता के पदों के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षण सहित शारीरिक और चिकित्सीय मानकों की अत्यधिक अपेक्षाएं हैं (विवरण **अनुबंध-XV1** में उपलब्ध है)। अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद बीआरओ द्वारा इन शारीरिक और चिकित्सा मानकों की जांच की जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसे परीक्षणों में विफल रहता है, तो किसी अन्य पद / विभाग के लिए उसकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इन आवश्यकताओं को पूरी तरह पढ़ ले और अच्छी तरह सोच-विचार करके पदों के लिए वरीयता दें।

18. चयन का तरीका :

18.1 पेपर-I और पेपर-II में न्यूनतम अर्हक अंक निम्नानुसार हैं:-

(i) अना. : 30 %
(ii) अ.पि.व/ आ.क.व : 25 %
(iii) अन्य : 20 %

18.2 पेपर-I (सीबीई) अर्हक प्रकृति का होगा। पेपर-I अर्थात कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त किए गए सामान्यीकृत अंकों के आधार पर, अभ्यर्थियों को पेपर-II में बैठने हेतु श्रेणी-वार शार्टलिस्ट किया जाएगा।

18.3 **पेपर-II** में शामिल होने के लिए कनिष्ठ अभियंता (दूरसंचार) और आईएमडी में वैज्ञानिक सहायक, कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत एवं यांत्रिकी), कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के पदों के लिए अलग-अलग मेरिट सूची तैयार की जाएगी ।

18.4 यदि परीक्षा कई पालियों में आयोजित होती है, तो परीक्षा के पेपर के अंकों को सामान्यीकृत किया जाएगा। तथापि, वैद्युत एवं

यांत्रिकी शाखा के परीक्षा के अंकों को अलग-अलग पालियां मानकर सामान्यीकृत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, आईएमडी में पद के लिए भाग-घ/भाग-ङ/भाग-च में परीक्षा के अंकों को भी अलग-अलग पालियां मानकर सामान्यीकृत किया जाएगा।

18.5 एफआरटीए/ अंतिम चयन और पद/संगठन/कार्यालय का आवंटन, पेपर-II में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर और उनके द्वारा चुने गए पद/संगठन/कार्यालय की वरीयता के आधार पर किया जाएगा।

18.6 जेई (सिविल), जेई (वैद्युत एवं यांत्रिकी), जेई (दूरसंचार) और आईएमडी में वैज्ञानिक सहायक (एसए) के पदों के लिए चयन सूची, पेपर-II में अभ्यर्थियों की पद वरीयता-सह- सामान्यीकृत प्राप्त अंकों के आधार पर, विज्ञप्ति के अन्य प्रावधानों और निर्दिष्ट पात्रता शर्तों की पूर्ति के अधीन, प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग तैयार की जाएगी। चयन सूची आयोग की वेबसाईट पर प्रकाशित की जाएगी।

18.7 आईएमडी के पद के लिए अंतिम चयन हेतु, अभ्यर्थियों द्वारा पेपर-II के भाग-घ या भाग-ङ या भाग-च, जो भी लागू हो, में प्राप्त सामान्यीकृत अंकों पर विचार किया जाएगा।

18.8 एफआरटीए/ पदों का अंतिम आबंटन अभ्यर्थियों द्वारा दी गई योग्यता-सह-पद (पदों)/विभाग (विभागों) की वरीयताओं के आधार पर किया जाता है, और एक बार पद आवंटित हो जाने के पश्चात, किसी भी पद की शारीरिक / चिकित्सकीय/ शैक्षिक मानकों की विशिष्ट अपेक्षाओं को पूरा न करने के कारण आयोग द्वारा पदों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। अन्य शब्दों में, उदाहरणत: यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी पद के लिए **उच्चतर** वरीयता दी गई है और वह उस पद के लिए चयनित हो जाता / जाती है, तो ऐसे मामले में यदि वह चिकित्सा / शारीरिक / शैक्षिक मानकों को पूरा करने में असफल रहता / रहती है तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और किसी अन्य वरीयताओं के लिए उन पर विचार नहीं किया जाएगा और इस संबंध में किसी पत्राचार पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

18.9 आयोग की नीति के अनुसार, एसएससी अपने द्वारा आयोजित बहु-कारक (मल्टी-फैक्टर) परीक्षाओं के लिए प्रतीक्षा सूची/आरक्षित सूची नहीं रखता है। तथापि,अधिसूचित पदों को अधिकतम सीमा तक भरने के प्रयास में, आयोग ने एक 'स्लाइडिंग मैकेनिज़्म' शुरू किया है। स्लाइडिंग मैकेनिज़्म के तहत एफआरटीए की प्रक्रिया के बारे में आयोग की वेबसाइट पर **दिनांक 03.03.2026 और दिनांक 08.04.2026 को प्रकाशित विज्ञप्ति (विज्ञप्तियों)** में बताया गया है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें।

18.10 अजा, अजजा, अपिव, आकव और बें. दि. श्रेणी के अभ्यर्थी जो मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते हैं तो उन्हें आरक्षित कोटा की रिक्तियों के तहत समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यता सूची में उनकी समग्र स्थिति अथवा उनकी श्रेणी के लिए चिह्नित रिक्तियों के अनुसार सामान्य / अनारक्षित रिक्तियों में उस पद से सहयोजित किया जाएगा, जो उनके लिए लाभप्रद है। आरक्षित रिक्तियां अलग से अजा, अजजा, अपिव, आकव और पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों में से भरी जाएंगी।

18.11 अजा, अजजा, अपिव, आकव, भूपूसै और बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी जो आयु सीमा, अनुभव या योग्यता, लिखित परीक्षा में अनुमत्य अवसरों की संख्या, विचार क्षेत्र का विस्तार (एक्सटेंडिड जोन ऑफ कंसीडरेशन) आदि जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं, उसकी मेरिट स्थिति के बावजूद उसे अनारक्षित रिक्तियों में समायोजित न करके आरक्षित रिक्तियों में समायोजित किया जाएगा। जहां तक भू.पू.सै. के मामलों का संबंध है, **आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भू.पू.सै. को उसकी आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने की अनुमति है तथा इस छूट को आयु के संदर्भ में**

मानकों में छूट नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार, बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट को मानकों में छूट नहीं माना जाएगा।

18.12 बेंचमार्क दिव्यांगजन, जो स्वयं अपनी योग्यता के आधार पर चुना जाता है, को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि संगत श्रेणी के बेंचमार्क दिव्यांगजन के लिए वह पद उपयुक्त पाया गया हो।

18.13 परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के आधार पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलेगा, जब तक सरकार यथावश्यक जांच के पश्चात इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा / पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है।

18.14 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश पात्रता की निर्धारित शर्तें पूरी करने के अध्यधीन पूर्ण रूप से अनन्तिम होगा। लिखित परीक्षा से पहले अथवा बाद में किसी भी समय जांच करने पर यदि यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

18.15 इस परीक्षा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी दो वर्ष की परीवीक्षा पर रहेंगे और परीवीक्षाधीन अवधि के दौरान अभ्यर्थियों को ऐसे प्रशिक्षण अथवा ऐसी परीक्षाएं उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा जो नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा इसके लिए निर्धारित की गई हों। परीवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर, यदि अभ्यर्थी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाता है, तो उसे इस पद पर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा स्थायी किया जायेगा।

18.16 नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को भारतवर्ष में कहीं भी सेवा करनी पड़ सकती है अर्थात ये सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) के हैं।

18.17 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयन किए जाने पर संबंधित प्रयोक्ता संगठन /कार्यालय द्वारा एक राज्य / संघराज्य क्षेत्र / अंचल आवंटित किया जा सकता है। ऐसे अभ्यर्थियों को संबंधित प्रयोक्ता संगठन /कार्यालय द्वारा आवंटित पदों पर अभ्यर्थियों के स्थायीकरण (Confirmation) के लिए आवंटित राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश / क्षेत्र की स्थानीय भाषा में दक्षता हासिल करने की आवश्यकता हो सकती है।

18.18 यदि परीक्षा के किसी भी टियर / चरण में कट-ऑफ अंक से अधिक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी किसी भी कारण से बाद के चरण/एफआरटीए /अंतिम चयन के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो माह के भीतर या अगले चरण की परीक्षा के आयोजन के दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अभ्यावेदन देना चाहिए।

18.19 यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और अंतिम परिणाम की घोषणा से एक वर्ष की अवधि के भीतर उसे आयोग या संबंधित प्रयोक्ता संगठन / संबंधित कार्यालय से कोई पत्राचार प्राप्त नहीं होता है, तो उसे संबंधित प्रयोक्ता विभाग / संगठन से तुरंत संपर्क करना चाहिए।

18.20 आयोग परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक रूप से परीक्षा-पश्चात विश्लेषण करता

है। इसमें लॉग विश्लेषण, फोटो और बायोमेट्रिक सत्यापन और सीसीटीवी फुटेज समीक्षा के माध्यम से विस्तृत जांच शामिल है। परीक्षा के किसी भी चरण के दौरान किसी भी प्रकार के कदाचार या अनुचित साधनों में संलिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों पर, आयोग की नीति के अनुसार सख्त कारवाई की जा सकती है, जिसमें अभ्यर्थिता निरस्त करना और भावी परीक्षाओं से वारित करना शामिल है।

19. **गैर-अनुशंसित इच्छुक अभ्यर्थियों के अंक और अन्य विवरणों का सार्वजनिक प्रकटीकरण:**

बेरोजगार **अभ्यर्थियों** की रोजगार के अवसरों तक पहुंच बढ़ाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.06.2016 के का.ज्ञा. 39020/1/2016-स्था(ख) के तहत जारी निर्देशों के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम परिणाम की घोषणा के उपरांत आयोग द्वारा आयोजित उक्त खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल अभ्यर्थियों के अंकों तथा रैंकिंग को आयोग की अपनी वेबसाइट पर घटती हुई रैंकिंग क्रम में प्रदर्शित किया जाएगा। तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थियों के निम्नलिखित ब्यौरों को इस वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा : (i) अभ्यर्थी का नाम, (ii) पिता / पति का नाम, (iii) जन्म तिथि, (iv) श्रेणी (सामान्य / अजा / अजजा / अपिव / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / बे.दिव्यांगजन / भू.पू.सै), (v) अभ्यर्थी का लिंग, (vi) शैक्षिक योग्यता, (vii) अर्हक परीक्षा में कुल प्राप्तांक, (viii) रैंकिंग, जिसके द्वारा योग्यता का निर्धारण किया गया है, (ix) पूरा पता, (x) ई-मेल का पता। तथापि अभ्यर्थियों के पास अपना आवेदन पत्र भरते समय उपरोक्त विवरण को सार्वजनिक न करने का विकल्प होगा। तदनुसार केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के अंक तथा रैंक आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे जिन्होंने आयोग की वेबसाइट पर उपरोक्त ब्योरा प्रकट करने का विकल्प दिया है अथवा कोई विकल्प नहीं दिया है।

20. **बराबरी (टाई) के मामलों का निपटान:** ऐसे मामलों में जहां एक से अधिक अभ्यर्थी पेपर-II में बराबर समग्र अंक प्राप्त करते हैं, तो बराबरी (टाई) का निपटारा एक के बाद दूसरे निम्नलिखित तरीकों को अपनाते हुए किया जाएगाः-

(i) पेपर-I के भाग (i) में कुल अंक।

(ii) पेपर-I के भाग (ii) में कुल अंक।

(iii) जन्म-तिथि, अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाता है।

(iv) वर्णानुक्रम, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम हैं।

21. **कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरूद्ध कार्रवाई:**

21.1 यदि अभ्यर्थी परीक्षा के आयोजन के दौरान या उसके बाद निम्नलिखित में किसी भी कदाचार के दोषी पाए जाते हैं तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और मौजूदा विधि के अनुसार कानूनी कार्रवाई किए जाने के अतिरिक्त उन्हें आयोग के परीक्षाओं से निम्नलिखित अवधि के लिए वारित कर दिया जाएगाः

क्र. सं.	**कदाचार का प्रकार**	**वारित अवधि**
1	परीक्षा भवन से परीक्षा संबंधी सामग्री, जैसे- रफ शीट, प्रवेशपत्र की आयोग की प्रति, उत्तर शीटें लेकर बाहर जाना या परीक्षा के आयोजन के दौरान इन्हें किसी अनधिकृत व्यक्ति को देना।	01 - 02 वर्ष
2	बाहर जाने की विधिवत प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना परीक्षा स्थल को छोड़ना	01 वर्ष
3	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी	02 - 03 वर्ष

	प्रतिनिधि आदि के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें भयभीत करना या डराना-धमकाना।	
4	परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुंचाना / अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना	03 वर्ष
5	जानबूझकर गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना, महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना/ जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना।	01 - 03 वर्ष
6	अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित तरीके से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन/प्रभाव प्राप्त करना।	03 वर्ष
7	परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ उपकरण, वायरलेस उपकरण, स्पाई कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखना।	03 - 05 वर्ष
8	नियमों का उल्लंघन करके एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना।	02 - 05 वर्ष
9	कोई अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा संबंधी कार्यो को देख रहा हो।	03 वर्ष
10	परीक्षा से संबंधित अवसंरचना / उपकरणों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना।	01 – 03 वर्ष
11	जाली प्रवेश-पत्र,पहचान-पत्र इत्यादि से परीक्षा देना ।	03 – 05 वर्ष
12	परीक्षा के दौरान आग्नेय शस्त्रों / हथियारों को रखना/ परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों जैसे पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि को हथियारों / आग्नेय अस्त्रों से धमकाना या / डराना, उन पर बल प्रयोग करना, किसी भी तरीके से उन्हें शारीरिक नुकसान पहुंचाना।	07 वर्ष
13	परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसे- अनधिकृत स्रोतों से नकल करना, कागज या शारीरिक अंगों आदि पर लिखित सामग्री।	07 वर्ष
14	प्रतिरूपण करना /किसी अन्य व्यक्ति से प्रतिरूपण कराना।	07 वर्ष
15	स्नेपशाट लेना, प्रश्नपत्रों या परीक्षा सामग्री, लैब आदि का वीडियो बनाना ।	07 वर्ष
16	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर/एप/लैन/वैन इत्यादि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनलों को साझा करना।	07 वर्ष
17	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी समय परीक्षा सर्वरों , डाटा या परीक्षा प्रणाली को हैक करने या जोड-तोड़ करने की कोशिश करना।	07 वर्ष
18	अभ्यर्थी द्वारा उसी परीक्षा में प्रलिपिक के रूप में कार्य करना या प्रलिपिक के बारे में झूठी घोषणा करना	03-05 वर्ष
19	अभ्यर्थी / प्रलिपिक द्वारा उसी परीक्षा 'स्वयं के प्रलिपिक' के रूप में कार्य करना	03 वर्ष
20	अभ्यर्थी द्वारा ऐसे प्रलिपिक की सेवाएं लेना जिसे भर्ती प्रक्रिया से वारित कर दिया है	03 वर्ष
21	परीक्षा के दौरान यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि प्रलिपिक स्वयं ही उत्तर लिख रहा है या प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष तरीके से अभ्यर्थी को उत्तर देने के लिए इशारा कर रहा है।	07 वर्ष
22	वह अभ्यर्थी जो एक ही फोटो के साथ विभिन्न वैयक्तिक विवरणों जैसे नाम, माता / पिता का नाम, जन्म तिथि आदि अथवा विलोमत: रूप से विभिन्न भर्तियों में आवेदन कर रहा है	01-05 वर्ष
23	प्रतिरूपधारी (कर्मचारी चयन आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार) द्वारा अभ्यर्थी के लिए प्रलिपिक के रूप में उपस्थित होना।	07 वर्ष
24	आयोग की एक ही परीक्षा में प्रलिपिक द्वारा एक से अधिक अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा में बैठना अथवा अभ्यर्थी द्वारा एसे प्रलिपिक की सेवा लेना।	05-07 वर्ष

नोट :- ऊपर उल्लिखित कदाचारों की सूची केवल उदाहरण के तौर पर दी गई है तथा यह परिपूर्ण नहीं है। आयोग किसी भी अभ्यर्थी के विरूद्ध कार्रवाई करने का अधिकार रखता है यदि अभ्यर्थी किसी ऐसे आचरण में लिप्त पाया जाता है जिसे आयोग द्वारा 'कदाचार' माना गया है।

21.2 आयोग, यदि उचित समझे, तो इस मामले को पुलिस / जांच एजेंसियों को भी रिपोर्ट कर सकता है। इसके अतिरिक्त, आयोग संबंधित अधिकारियों / फोरेंसिक विशेषज्ञों, आदि द्वारा मामले की जांच कराने के लिए उचित कार्रवाई भी कर सकता है।

22 **आयोग का निर्णय अंतिम:** पात्रता, ऑनलाइन आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षा(परीक्षाओं) के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन तथा चयनित अभ्यर्थियों के चयन और उन्हे पदों / संगठनों के आवंटन से संबंधित सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में किसी भी पूछताछ / पत्राचार विचार नहीं किया जाएगा।

23. **न्यायालय का क्षेत्राधिकार:** इस भर्ती से संबंधित कोई भी विवाद उस न्यायालय / न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्यायक्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय / उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं, जहां से अभ्यर्थी ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी है।

24. **अयोग्यताएं:** कोई भी व्यक्ति, (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो, जिसका पति या पत्नी जीवित है, या (ख) जिसका पति या पत्नी जीवित हो, उसने किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, सेवा में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है। बशर्ते कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू पर्सनल लॉ के तहत अनुमत है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी है, तो किसी व्यक्ति को इस नियम के संचालन से छूट दे सकती है।

25. **अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश**

(क)	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को ध्यान पूर्वक पढ़ लें। परीक्षा विज्ञप्ति हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित की गई है। कोई भी विवाद होने पर, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
(ख)	अभ्यर्थियों को अपने हित में ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि से काफी पहले जमा करना चाहिए तथा अंतिम दिन तक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए ताकि अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यंत व्यस्तता के कारण कर्मचारी चयन एसएससी की वेसाइट पर संपर्क न होने / लॉगइन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचा जा सके।
(ग)	अभ्यर्थी को अपना नाम और जन्म तिथि ठीक वैसी ही लिखनी चाहिए जैसा कि मैट्रकुलेशन/सेकेंडरी प्रमाण पत्र में दर्ज है।यदि परीक्षा स्थल पर प्रवेश करते समय नाम और जन्म तिथि में कोई भिन्नता पाई जाती है तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि दस्तावेजों के सत्यापन के समय या किसी अन्य समय नाम या जन्म तिथि में विभिन्नता पायी जाती है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
(घ)	वे सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में आवेदन करना चाहते हैं और नई वेबसाइट (https://ssc.gov.in) पर एकबरगी पंजीकरण (ओटीआर) नहीं बनाया है, उन्हें एकबारगी पंजीकरण करना होगा क्योंकि पुरानी

	वेबसाइट (https://ssc.nic.in) पर पहले किया गया एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) नई वेबसाइट पर काम नहीं करेगा। ओटीआर के बाद, अभ्यर्थी परीक्षा हेतु आवेदनपत्र भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। नई वेबसाइट पर ओटीआर तैयार होने के बाद यह नई वेबसाइट पर आवेदन की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वैध बना रहेगा। ओटीआर के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश इस विज्ञप्ति के अनुबंध-।।। में दिए गए हैं
(ड.)	आयोग ने वर्तमान परीक्षा के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण लागू किया है। तदनुसार, परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय, एक बारगी पंजीकरण करने पर सभी अभ्यर्थियों के पास स्वयं को प्रमाणित करने के लिए आधार नंबर का उपयोग करने का विकल्प होगा। वे अभ्यर्थी जो आधार आधारित प्रणाली द्वारा स्वयं को प्रमाणित नहीं करना चाहते हैं, उन्हें अपने एक बारगी पंजीकरण (ओटीआर) को पूरा करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे : नाम के प्रमाण हेतु नामतः आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी पहचान पत्र, सरकारी सेवा पहचान पत्र, पेंशन दस्तावेज जन्म तिथि के प्रमाण हेतु नामतः जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्म तिथि का प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पते के प्रमाण हेतु नामतः आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आवेदक की सत्यापित फ़ोटो के साथ बैंक स्टेटमेंट, रेंट ऐग्रीमेंट, आयकर असेस्मेंट आदेश। फोटो। लिंग के प्रमाण हेतु नामतः आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र।।
(च)	कर्मचारी चयन आयोग लिखित परीक्षा के समय पात्रता एवं अन्य पहलुओं के लिए ऑनलाइन आवेदनों की विस्तृत संवीक्षा नहीं करेगा, और इसलिए अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक व चिकित्सीय मापदण्ड इत्यादि की अपेक्षाओं को पढ़ लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे पद (पदों) के लिए पात्र हैं। उनकी शैक्षिक योग्यता, जाति / श्रेणी आदि के समर्थन में प्रमाणपत्र / दस्तावेजों की प्रतियां मांगकर्ता / प्रयोक्ता विभागों / संगठनों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय मांगी जाएंगी। अभ्यर्थी यह भी नोट करें कि आयोग द्वारा अथवा मांगकर्ता / प्रयोक्ता विभाग / संगठन मांगे जाने पर उन्हें अपने प्रमाणपत्र / शै.यो. / जाति / श्रेणी आदि के दस्तावेज जमा करने होंगे। शै.यो. / जाति / श्रेणी आदि के प्रमाण-पत्रों / दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि आवेदन में किया गया कोई दावा प्रमाण-पत्रों / दस्तावेजों से सिद्ध नहीं होता है, तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और प्रयोक्ता विभाग / आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
(छ)	अजा /अजजा/ अपिव/ आकव/ बें.दि. के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति में निर्धारित पात्रता के अनुसार आरक्षण के हकदार हैं। उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाणपत्र भी होने चाहिए।
(ज)	बेंचमार्क शारीरिक दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को ही बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति (शा.दि.) माना जाएगा और वे ही दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आयु में छूट / आरक्षण के हकदार होंगे।
(झ)	**प्रलिपिक का एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर)** : किसी व्यक्ति को **ओटीआर और आधार आधारित प्रमाणीकरण** पूरा करने के बाद ही प्रलिपिक के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। प्रलिपिक की योग्यता का एक विशेष स्तर सुनिश्चित करने सहित विभिन्न जांच ओटीआर के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है। कोई भी प्रलिपिक एक ही परीक्षा में एक से अधिक अभ्यर्थियों की सहायता नहीं करेगा। किसी

	परीक्षा के लिए आवेदन करने वाला अभ्यर्थी उसी परीक्षा में किसी अन्य अभ्यर्थी के लिए प्रलिपिक के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। यदि किसी भी स्तर पर प्रलिपिक की कोई घोषणा झूठी पाई जाती है, तो नियमों के अनुसार प्रलिपिक के साथ-साथ अभ्यर्थी को भी परीक्षा से वारित कर दिया जाएगा। **अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए की उनके द्वारा नियुक्त प्रलिपिक का नाम / विवरण आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध वारित व्यक्तियों की सूची में नहीं है। इसलिए अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध वारित व्यक्तियों की सूची देखने की सलाह दी जाती है।**
(ञ)	जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा तो इसे **"अनंतिम"** रूप से स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने रिकॉर्ड के लिए आवेदन का प्रिंट आउट लेना चाहिए। सामान्यतया, आयोग को "आवेदन फॉर्म" का प्रिंट आउट भेजने की जरूरत नहीं है।
(ट)	अभ्यर्थियों को मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में उल्लिखितानुसार ही अपना नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम और माता का नाम लिखना चाहिए अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय अथवा आयोग के ध्यान में किसी भी समय आने पर उनकी अभ्यर्थिता सरसरी तौर पर रद्द कर दी जाएगी।
(ठ)	यदि फोटो निर्देशानुसार नहीं है, या अनुपयुक्त है या आवेदन पर किए गए हस्ताक्षर धुंधले / अधिक छोटे हैं, तो ऐसे ऑनलाइन आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा। तथापि, आधार आधारित प्रमाणीकरण के विकल्प का चयन करने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र इस आधार पर रद्द नहीं किए जाएंगे।
(ड)	आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी के पास अपनी पहले से मौजूद फोटो होना आवश्यक नहीं है। एप्लिकेशन माड्यूल को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी की फोटो खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ली गई फोटो स्पष्ट हो, बिना टोपी या बिना चश्मे के हो और सामने का चेहरा पूरा दिखाई दे। यदि खींची गई फोटो स्वीकार्य नमूने के अनुरूप नहीं है, तो अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे फोटो पुन: खींच लें। किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी को अपनी पहले से मौजूद तस्वीर की फोटो नहीं खींचनी चाहिए। ऐसे सभी ऑनलाइन आवेदन जहां उसकी पहले से मौजूद तस्वीर की फोटो खींची गई है, रद्द कर दिए जाएंगे। परीक्षा में अभ्यर्थी वैसा ही दिखना चाहिए जैसा कि ऑनलाइन आवेदनपत्र में उसका फोटो लगा है। स्वीकार्य / अस्वीकार्य फोटो के नमूने **अनुबंध-XV** में दिए गए हैं। **अपनी फोटो खींचने के लिए, अभ्यर्थी को एप्लिकेशन मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़ा होना/बैठना होगा और निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा।** 1. अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान चुनें। 2. फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर है। 3. अपने आप को सीधे कैमरे के सामने रखें और सीधे सामने देखें। 4. सुनिश्चित करें कि आपका चेहरा कैमरे द्वारा सीमांकित निर्धारित क्षेत्र के अंदर पूरी तरह से है और यह न तो बहुत करीब है और न ही बहुत दूर है। इसे क्षेत्र को पूरी तरह से कवर करना चाहिए और चेहरे का कोई भी हिस्सा कैमरे द्वारा सीमांकित क्षेत्र के बाहर नहीं होना चाहिए। 5. अभ्यर्थियों को फोटो लेते समय टोपी, मास्क या धूप का चश्मा/नज़र का चश्मा नहीं पहनना चाहिए।

	6. अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप (10 से 20केबी) में स्कैन किए गए हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। **धुंधले हस्ताक्षर वाले ऑनलाइन आवेदनों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।** **तथापि, आधार आधारित प्रमाणीकरण के विकल्प का चयन करने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन इस आधार पर रद्द नहीं किए जाएंगे।**
(ढ)	संशोधित / अंतिम ऑनलाइन आवेदनपत्र जमा करने से पहले, जैसा भी मामला हो, अभ्यर्थी यह जांच कर लें कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदनपत्र के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है।संशोधित/अंतिम ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद अथवा 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' की अवधि के समाप्त होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिवर्तन / सुधार / संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी माध्यम से प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा।
(ण)	अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में अपना सही तथा सक्रिय ईमेल आईडी तथा मोबाइल नम्बर भरना सुनिश्चित करना चाहिए क्योंकि आयोग द्वारा एसएमएस/ईमेल के माध्यम से पत्राचार किया जा सकता है। बाद में, मोबाइल और ई मेल आई डी बदलने से संबंधित अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यद्यपि, आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को सूचना भेजने के प्रयास किए जाते हैं, तथापि आयोग एसएमएस / ई मेल / डाक आदि के माध्यम से भर्ती की विभिन्न प्रक्रियाओं / चरणों / तारीखों के बारे में अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से सूचित करने के लिए बाध्य नहीं है। अभ्यर्थियों के लिए आयोग की वेबसाइट सूचना का प्राथमिक स्रोत है और कोई भी अभ्यर्थी इस आधार पर किसी राहत का दावा नहीं कर सकता है कि उसे किसी प्रक्रिया के बारे में ई मेल / एसएमएस आदि के माध्यम से सूचित नहीं किया गया है। अत: अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के बारे में अद्यतित रहने के लिए नियमित रूप से आयोग / संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट देखते रहें।
(त)	जिन अभ्यर्थियों ने स्वयं का आधार आधारित प्रमाणीकरण नहीं हुआ है, उन्हें परीक्षा आरंभ होने के समय से **दो घंटे** पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा। प्रवेश प्रमाण-पत्र के अलावा, कम से कम दो पासपोर्ट आकार के हाल ही की दो रंगीन फोटो, मूल वैध फोटो-आईडी साक्ष्य जिसमें वह जन्म तिथि अंकित हो जोकि प्रवेश-पत्र में दी गई है, लाना अनिवार्य है, जैसे: (i) ड्राइविंग लाइसेंस, (ii) पैन कार्ड, (iii) पासपोर्ट, (iv) विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल द्वारा जारी पहचान-पत्र, (v) नियोक्ता (सरकारी/ पीएसयू) द्वारा जारी पहचान-पत्र, (vi) रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक की सेवा निवृत्ति पंजिका, (vii) केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो प्रमाण-पत्र। **यदि फोटो पहचान पत्र पर जन्मतिथि अंकित नहीं है, तो अभ्यर्थी को अपनी जन्म-तिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज (जैसे- सीबीएसई/ आईसीएसई/ राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक सर्टिफिकेट, अंक-पत्र; जन्म प्रमाण-पत्र, श्रेणी प्रमाण-पत्र) लाना चाहिए**। यदि प्रवेश प्रमाण-पत्र और

	जन्मतिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्र/प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि मेल नहीं खाते हैं तो **अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।** पैरा 9.1, 9.2 और 9.3 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांग/ दिव्यांग अभ्यर्थी जो प्रलिपिक/ तकनीक/ सहायक उपकरण की सुविधा का उपयोग करेंगे, उन्हें यथा-उल्लिखित मेडिकल सर्टिफिकेट/वचन-पत्र/प्रलिपिक के फोटो पहचान-पत्र की फोटोकॉपी भी साथ में लाना आवश्यक है। उपरोक्त दस्तावेजों के बिना अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
(थ)	किसी प्रतिष्ठित नाम / फोटो के दुरूपयोग से नकली / जाली ऑनलाइन आवेदन पत्र / पंजीकरण करने के मामले में ऐसे अभ्यर्थी / साइबर कैफे को उत्तरदायी समझा जाएगा तथा उनके खिलाफ साइबर / आईटी अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।
(द)	सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) वाले हैं अर्थात चयनित होने पर अभ्यर्थी को देश के किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए कहा जा सकता है।
(ध)	पूर्वोक्त परीक्षा के लिए प्रवेशपत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। अभ्यर्थियों को अपने प्रवेशपत्र आयोग की वेबसाइट से डाऊनलोड करने होंगे।
(न)	यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी टियर/स्तर में कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है और किसी कारण से तदनंतर स्तर/एफआरटीए/अंतिम चयन में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर या परीक्षा के अगले चरण से दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय में अभ्यावेदन करना चाहिए।
(प)	यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और अंतिम परिणाम घोषित होने की तिथि से छह माह के भीतर उसे आयोग अथवा संबंधित प्रयोक्ता विभाग/ संगठन से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल संबंधित प्रयोक्ता विभाग/संगठन से संपर्क करना चाहिए। इस संबंध में निर्दिष्ट समय-सीमा के बाद प्राप्त अभ्यावेदन / पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
(फ)	**देय शुल्क:** 100/- रु. (एक सौ रुपए मात्र)। महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा) से संबंधित अभ्यर्थियों और आरक्षण के हकदार भूतपूर्व सैनिकों (भूपूसै) तथा शारीरिक दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) व्यक्तियों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट है।
(ब)	ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सामान्य अवधि के दौरान परीक्षा के लिए एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति है, जिसमें' आवेदनपत्र सुधार के लिए विंडो' की अवधि शामिल नहीं है। इसलिए, अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदनपत्र भरने के समय अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। यदि अभ्यर्थी के विभिन्न पंजीकरण संख्या वाले एक से अधिक आवेदन पाए जाते हैं, तो आयोग द्वारा ऐसे सभी ऑनलाइन आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे और परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन जमा करता है और एक से अधिक बार (किसी भी स्तर पर) परीक्षा में उपस्थित होता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी तथा उसे आयोग की परीक्षाओं से नियमानुसार वारित कर दिया जाएगा।
(भ)	ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, आयोग अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन मापदंडों को सही / संशोधित करने के लिए दो (02) दिन की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को आवश्यकतानुसार एकबारगी पंजीकरण / ऑनलाईन आवेदन डाटा में अपेक्षित सुधार / परिवर्तन करने के बाद

	आवेदन को पुनःजमा करने की अनुमति दी जाएगी। इस सुविधा का लाभ परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा-11 में दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित सुधार राशि का ऑनलाइन भुगतान कर उठाया जा सकता है। नवीनतम संशोधित ऑनलाइन आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए जमा किए गए पिछले ऑनलाइन आवेदन (आवेदनों) को रद्द कर दिया जाएगा।
(म)	सही / अंतिम ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, जैसा भी मामला हो, अभ्यर्थियों को यह जांच लेना चाहिए कि उन्होंने फॉर्म के प्रत्येक भाग में सही विवरण भरा है। संशोधित / अंतिम ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने या 'आवेदन प्रपत्र सुधार के लिए विंडो' की अवधि की समाप्ति के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन / सुधार / संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा।
(य)	ऑनलाइन आवेदनपत्र के अंत में घोषणा पर विशेष ध्यान आकर्षित किया जाता है। घोषणा पर सहमत होने / हस्ताक्षर करने से पहले, अभ्यर्थियों को आवेदन में भरे गए विवरण और घोषणा की विषय-वस्तु को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए और स्वयं को संतुष्ट करने के बाद ही इस पर सहमत होना / हस्ताक्षर करना चाहिए कि प्रस्तुत जानकारी सही है। किसी भी तथ्य को छिपाने / गलत बयानी करने / गलत घोषणा करने से अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
(र)	अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे परीक्षा की तारीख, रिक्तियों की स्थिति आदि से संबंधित सूचना के बारे में अद्यतन जानकारी हेतु नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट अर्थात https://ssc.gov.in और साथ ही क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।
(ल)	परीक्षाओं के दौरान लोगों द्वारा प्रतिरूप अभ्यर्थी बनने के उदाहरण देखे गए हैं। चूंकि आवेदनपत्र भरते समय लाइव फोटो खींची जाती है, इसलिए परीक्षा के दौरान ऑनलाइन आवेदनपत्र में फोटो के मुकाबले अभ्यर्थी के रूप-रंग में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। परीक्षा स्थल के कर्मचारियों को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने के लिए अधिकृत किया गया है। अत: अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित कर ले कि परीक्षा के दिन उनका रूप-रंग ऑनलाइन आवेदन पत्र में लगी फोटो से मेल खाता हो। किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थियों को अपनी पहले से मौजूद तस्वीर की फोटो नहीं खींचनी चाहिए। ऐसे सभी ऑनलाइन आवेदन जिनमें उनकी पहले से मौजूद तस्वीर की फोटो ली गई है, उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। तथापि, अभ्यर्थियों के आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्र उपरोक्त आधार पर रद्द नहीं किए जाएंगे।
(व)	आयोग परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक रूप से परीक्षा-पश्चात विश्लेषण करता है। इसमें लॉग विश्लेषण, फोटो और बायोमेट्रिक सत्यापन और सीसीटीवी फुटेज समीक्षा के माध्यम से विस्तृत जांच शामिल है। परीक्षा के किसी भी चरण के दौरान किसी भी प्रकार के कदाचार या अनुचित साधनों में संलिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों पर, आयोग की नीति के अनुसार सख्त कारवाई की जा सकती है, जिसमें अभ्यर्थिता रद्द करना और भावी परीक्षाओं वारित करना शामिल है।
(श)	ऑनलाइन आवेदनपत्र भरने में किसी भी कठिनाई के मामले में टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर **18003093063** पर कॉल किया जाए।

अवर सचिव, भारत सरकार

कर्मचारी चयन आयोग (मुख्यालय), नई दिल्ली

02.09.2026

<u>अनुबंध-I</u>

परीक्षार्थी की लिखने संबधी शारीरिक सीमाओं के संबंध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती ....(दिव्यांग अभ्यर्थी का नाम), सुपुत्र/सुपुत्री ...., ग्राम/जिला/राज्य .... के निवासी हैं, जोकि ....(दिव्यांगता प्रमाणपत्र में यथा- उल्लिखित दिव्यांगता का स्वरूप और उसकी प्रतिशतता) से पीड़ित हैं, की जांच की है और उल्लेख करता हूं कि दिव्यांगता के कारण उनकी शारीरिक सीमाएं हैं जिनसे उनकी लेखन क्षमताएं प्रभावित होती हैं।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक के हस्ताक्षर
नाम व पदनाम
सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य संस्थान का नाम एवं मुहर

स्थान:
तारीख:

टिप्पणी: संबंधित विषय/दिव्यांगता (अर्थात दृष्टि दिव्यांगता- नेत्र विशेषज्ञ, गति विषयक दिव्यांगता- अस्थि रोग विशेषज्ञ/पीएमआर) के विशेषज्ञ द्वारा ही प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिए।

<u>अनुबंध-Iक</u>

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत कवर किए गए विशिष्ट दिव्यांगता से संबंधित व्यक्ति, परन्तु जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किया गया है, अर्थात 40% से कम दिव्यांगता और जिसे लिखने में कठिनाई हो, के लिए प्रमाणपत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि, हमने श्री/ सुश्री / श्रीमती ....(अभ्यर्थी का नाम), सुपुत्र / सुपुत्री ...., निवासी ....(ग्राम / डाकघर / थाना / जिला / राज्य), आयु .... वर्ष, ... (दिव्यांगता / स्थिति की प्रकृति) से पीड़ित व्यक्ति की जांच की है, और उल्लेख करते हैं कि उनकी उपर्युक्त स्थिति के कारण उनकी लेखन संबंधी सीमाएं हैं जिससे उनकी लेखन क्षमता बाधित होती है। उन्हें परीक्षा लिखने के लिए प्रलिपिक की सहायता की आवश्यकता है।

2. उपर्युक्त अभ्यर्थी प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, हियरिंग एड _____________(नाम निर्दिष्ट करें) जैसी सहायिकाओं और सहायक उपकरणों का उपयोग करता है, जो प्रलिपिक की सहायता से परीक्षा में बैठने हेतु अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है।

3. यह प्रमाणपत्र केवल भर्ती एजेंसियों, और साथ ही शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में बैठने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और __________ (यह अधिकतम छह महीने या उससे कम की अवधि के लिए वैध है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है)तक वैध है।

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)
ऑर्थोपेडिक / पीएमआर विशेषज्ञ	नैदानिक मनोवैज्ञानिक / पुनर्वास मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सक / विशेष शिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध है)	व्यावसायिक चिकित्सक (यदि उपलब्ध है)	अध्यक्ष द्वारा मनोनीत अन्य विशेषज्ञ (यदि कोई है)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / मुख्य जिला चिकित्साअधिकारी ……… अध्यक्ष				

मोहर के साथ सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम

स्थान:
तारीख:

अनुबंध-II

स्वयं के प्रलिपिक का उपयोग करने हेतु वचन-पत्र

मैं .... (दिव्यांगता का स्वरूप) .... दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्ति हूं, जिसका...................... (जिले का नाम) .... (राज्य/ संघराज्य क्षेत्र का नाम) .... में स्थित ....(केंद्र का नाम) में अनुक्रमांक .... है। मेरी शैक्षिक योग्यता .... है।

2. मै सूचित करता/करती हूं कि श्री/ सुश्री/ श्रीमती.. (प्रलिपिक का नाम) अधोहस्ताक्षरी को पूर्वोक्त परीक्षा में प्रलिपिक/रीडर/प्रयोगशाला सहायक की सेवा प्रदान करेंगे/करेंगी।

3. मैं वचन देता/ देती हूं कि उनकी शैक्षिक योग्यता .... है। यदि बाद में यह पता चलता है कि उनकी शैक्षिक योग्यता मेरे द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है और मेरी शैक्षिक योग्यता से अधिक है, तो मुझे इस पद और इससे संबंधित दावे का अधिकार नहीं होगा।

(दिव्यांग अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान:
तारीख:

अनुबंध-IIक

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत कवर किए गए विशिष्ट दिव्यांगता से संबंधित व्यक्ति, परन्तु जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किया गया है, अर्थात 40% से कम दिव्यांगता और जिसे लिखने में कठिनाई हो, द्वारा वचनपत्र।

मैं ____________________, __________________ (दिव्यांगता / स्थिति की प्रकृति) से पीड़ित अभ्यर्थी, __________________________जिला,............................... (राज्य का नाम) में स्थित ....(केंद्र का नाम),से _____________________________(परीक्षा का नाम) में बैठ रहा हूं, जिसका रोल नंबर __________ है। मेरी शैक्षिक योग्यता .... है।

2. मैं एतद्द्वारा व्यक्त करता हूं कि ___________________________ (प्रलिपिक का नाम) उपरोक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी के लिए प्रलिपिक की सेवा प्रदान करेगा।

3. मैं एतद्द्वारा वचन देता हूं कि उसकी शैक्षिक योग्यता ________________ है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसकी शैक्षिक योग्यता मेरे द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है और उसकी योग्यता मेरी योग्यता से अधिक है, तो मैं पद या प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री और उससे संबंधित दावों पर अपना अधिकार खो दूंगा।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

(यदि अभ्यर्थी अवयस्क है तो माता-पिता/अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर)

स्थान:

तारीख:

अनुबंध-III

(ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

I. एक बारगी पंजीकरण

II. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना

भाग -I (एक बारगी पंजीकरण):-

1. कृपया ऑनलाइन 'पंजीकरण-प्रपत्र' और 'आवेदन-पत्र' भरने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

2. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ओटीआर प्रक्रिया करते समय आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित आधार नीति के अनुसार आधार आधारित प्रमाणीकरण अपनाएं। जो अभ्यर्थी आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया अपनाते हैं, उनके ऑनलाइन आवेदनपत्र इस आधार पर निरस्त नहीं किए जाएंगे कि अपलोड किए गए फोटो और / या हस्ताक्षर निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के समय परीक्षा स्थल में प्रवेश करने के लिए हाल ही के रंगीन फोटो, मूल वैध फोटो पहचान साक्ष्य लाने की आवश्यकता नहीं होगी।

3. इस परीक्षा के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण लागू किया गया है। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय, एक बारगी पंजीकरण (ओटीआर) करने पर सभी अभ्यर्थियों के पास स्वयं को प्रमाणित करने के लिए आधार नंबर का उपयोग करने का विकल्प होगा। वे अभ्यर्थी जो आधार बेस प्रणाली द्वारा स्वयं को प्रमाणित नहीं करना चाहते हैं, उन्हें अपने एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) को पूरा करने के लिए निर्धारित दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

4. एकबारगी पंजीकरण भरने से पहले निम्नलिखित सूचनाएं/दस्तावेज तैयार रखें:

क) मोबाइल नंबर (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)

ख) ईमेल आईडी (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।

ग) आधार संख्या। यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित आईडी नंबरों में से एक दें। (आपको बाद के चरण में मूल दस्तावेज़ दिखाना होगा।)

I. मतदाता पहचान पत्र

II. पैन

III. पासपोर्ट

IV. ड्राइविंग लाइसेंस

V. स्कूल/कॉलेज पहचान पत्र

VI. नियोक्ता आईडी (सरकारी/पीएसयू/प्राइवेट)

घ) बोर्ड, रोल नंबर और मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा पास करने के वर्ष के बारे में जानकारी।

ङ) यदि आप बेंचमार्क दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या दें।

5. एक बारगी पंजीकरण के लिए, . https://ssc.gov.in पर **'Login or Register'** सेक्शन में दिए गए लिंक **'Register Now'** पर क्लिक करें।

6. एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित सूचनाएं भरनी होंगी:
   क) व्यक्तिगत विवरण
   ख) पासवर्ड बनाना
   ग) अतिरिक्त जानकारियां
   घ) घोषणा पत्र

7. **'एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र' भरने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें : -**

   क) सत्यापन के उद्देश्य से और किसी गलती से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों (अर्थात आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि) की प्रविष्टि पंजीकरण प्रपत्र के संगत कॉलमो में दो बार की जानी अपेक्षित है। यदि मूल डाटा और सत्यापन डाटा कॉलम मेल नहीं खाते हैं तो इसका संकेत लाल रंग के पाठ में दिया जाएगा।

   ख) **क्र.सं. 1,** आधार संख्या के बारे मे जानकारी प्रदान करें। यदि आपके पास आधार संख्या नहीं है तो आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे:-

   (i) नाम के प्रमाण हेतु नामतः आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी पहचान पत्र, सरकारी सेवा पहचान पत्र, पेंशन दस्तावेज

   (ii) जन्म तिथि के प्रमाण हेतु नामतः जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्म तिथि का प्रमाणपत्र, आधार कार्ड,

   (iii) पते के प्रमाण हेतु नामतः आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आवेदक की सत्यापित फ़ोटो के साथ बैंक स्टेटमेंट, रेंट ऐग्रीमेंट, आयकर असेस्मेंट आदेश।

   (iv) फोटो।

   (i) लिंग के प्रमाण हेतु नामतः आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र।

   ग) **क्रम संख्या-2:** अपना नाम ठीक वैसा ही भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

   घ) **क्रम संख्या-3:** यदि मैट्रिकुलेशन के पश्चात आपने अपने नाम में कोई बदलाव किया है, तो कृपया इसका उल्लेख 3 क और 3 ख में करें।

   ङ) **क्रम संख्या-4:** लिंग (पुरूष / महिला / ट्रांसजेंडर)

   च) क्रम सं.-5: अपनी जन्मतिथि **ठीक वैसी ही** भरें जैसीकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दी गई है।

   छ) **क्रम संख्या -6:** अपने पिता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

   ज) **क्रम संख्या -7:** अपनी माता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

   झ) **क्रम संख्या 8 से क्रम सं. 10 :** मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के विवरण में निम्नलिखित शामिल है:

      i. शिक्षा बोर्ड का नाम

ii. रोल नंबर

iii. उत्तीर्ण करने का वर्ष

ञ) **क्रम संख्या -11:** शैक्षणिक योग्यता का स्तर (उच्चतम)

ट) **क्रम संख्या- 12:** आपका मोबाइल नंबर। यह एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि इसे 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी जानकारी जो कर्मचारी चयन आयोग संप्रेषित करना चाहता है, केवल इस मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड / पंजीकरण संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपका मोबाइल नंबर उपयोग किया जाएगा।

ठ) **क्रम संख्या-13:** आपका ईमेल आईडी। यह एक सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि इसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाए कि कर्मचारी चयन आयोग जो भी जानकारी आपको देना चाहेगा, केवल इसी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो आपके पासवर्ड/ पंजीकरण संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए भी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।

ड) जब क्रम संख्या 1 से 13 में प्रदान किए गए मूल विवरण को सहेजा जाता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। पुष्टि होने पर, आपका पंजीकरण आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।

ढ) आपको 14 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसमें विफल होने पर आपके अब तक के सहेजे गए पंजीकरण विवरण हटा दिए जाएंगे।

ण) अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी को यूजर नाम और आपके मोबाइल तथा ईमेल पर आपको प्रदान किए गए ऑटो जेनरेटेड पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करें।

पासवर्ड बनाना

त) पहले लॉगिन पर संकेत मिलने पर अपना पासवर्ड बदलें।

थ) पासवर्ड के सफलतापूर्वक परिवर्तन करने के बाद, बदले गए पासवर्ड का उपयोग करके आपको फिर से लॉगिन करना होगा।

द) सफलतापूर्वक लॉगइन करने पर, अब तक भरी गई "मूल जानकारी" प्रदर्शित होगी । यदि अपेक्षित हो तो आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं अथवा अपना एकबारगी पंजीकरण पूरा करने के लिए "Next" बटन पर क्लिक कर सकते हैं ।

अतिरिक्त विवरण

ध) क्रम संख्या 1: अपनी श्रेणी के बारे में जानकारी प्रदान करें।

न) क्रम संख्या 2: अपनी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी प्रदान करें

ऩ) क्रम संख्या 3 : यदि आपकी राष्ट्रीयता भारतीय से अन्य है तो संपर्क विवरण प्रदान करें ।

प) क्रम संख्या 4: दृश्यमान पहचान चिह्न के बारे में जानकारी प्रदान करें। आपको परीक्षा के विभिन्न चरणों में उपरोक्त पहचान चिह्न दिखाना पड़ सकता है।

फ) क्रम संख्या 5: यदि कोई बेंचमार्क दिव्यांगता हो तो उसकी सूचना दें । यदि आप सरकारी नौकरियों के लिए चिन्हित किसी उपयुक्त विशिष्ट बेंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित हैं, तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या प्रदान करें ।

ब) क्रम संख्या 6 से 7: अपने स्थायी और वर्तमान पते के बारे में जानकारी प्रदान करें। डेटा को सहेजें और पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम भाग को भरने के लिए आगे बढ़ें।

भ) प्रदान की गई जानकारी को सहेजें । ड्राफ्ट प्रिंट-आउट लें और 'Final Submit' से पहले, प्रदान की गई जानकारी की अच्छी तरह से जांच करें।

म) 'Final Submit' पर क्लिक करने पर आपके मोबाइल नंबर और ई-मेल आई डी पर विभिन्न ओटीपी भेजे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया पूरा करने के लिए आपको इन दोनो में से किसी एक ओटीपी को डालना होगा।

य) "घोषणा" को सावधानीपूर्वक पढ़ें और यदि आप सहमत हैं तो "I Agree" पर क्लिक करें ।

र) मूलभूत जानकारी प्रस्तुत करने पर यदि पंजीकरण प्रक्रिया 14 दिन के भीतर पूरी नहीं होती है तो आपका डाटा सिस्टम से हटा दिया जाएगा ।

8. आप अपने एकबारगी पंजीकरण में संशोधन/परिवर्तन **नही कर सकते** हैं फिर भी पंजीकरण करने के दौरान अत्यंत सावधानी बरतें । गलत/त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

9. **आपको पुन: सलाह दी जाती है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरें जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र में दर्ज है। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।**

एकबारगी पंजीकरण फॉर्म के स्क्रीनशॉट्स

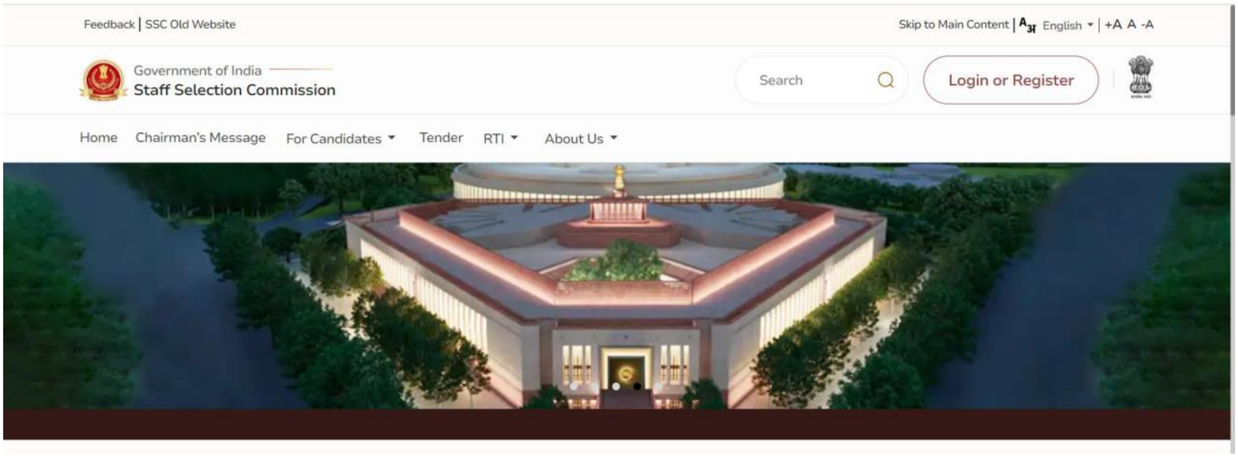

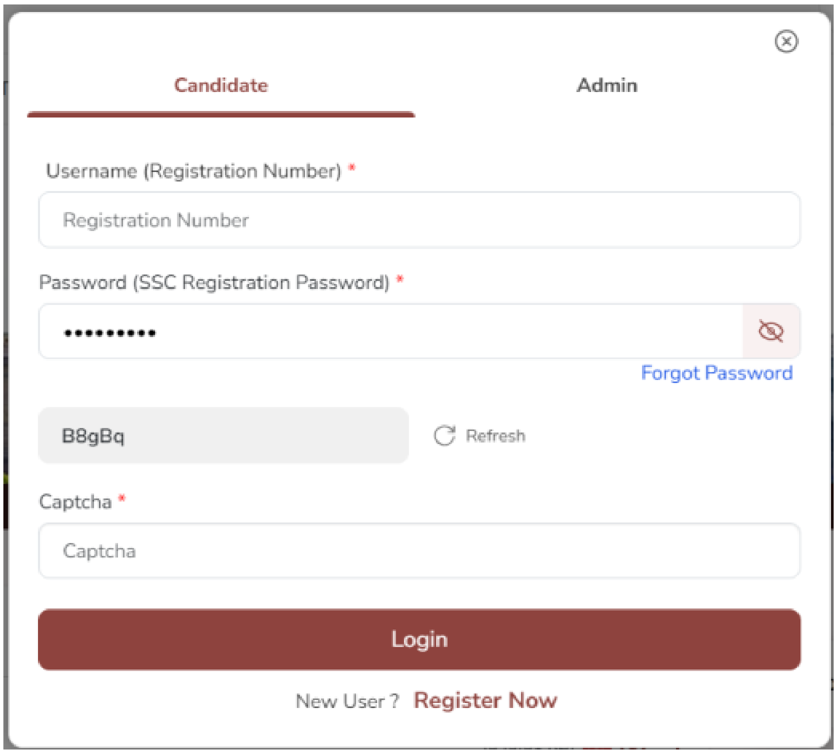

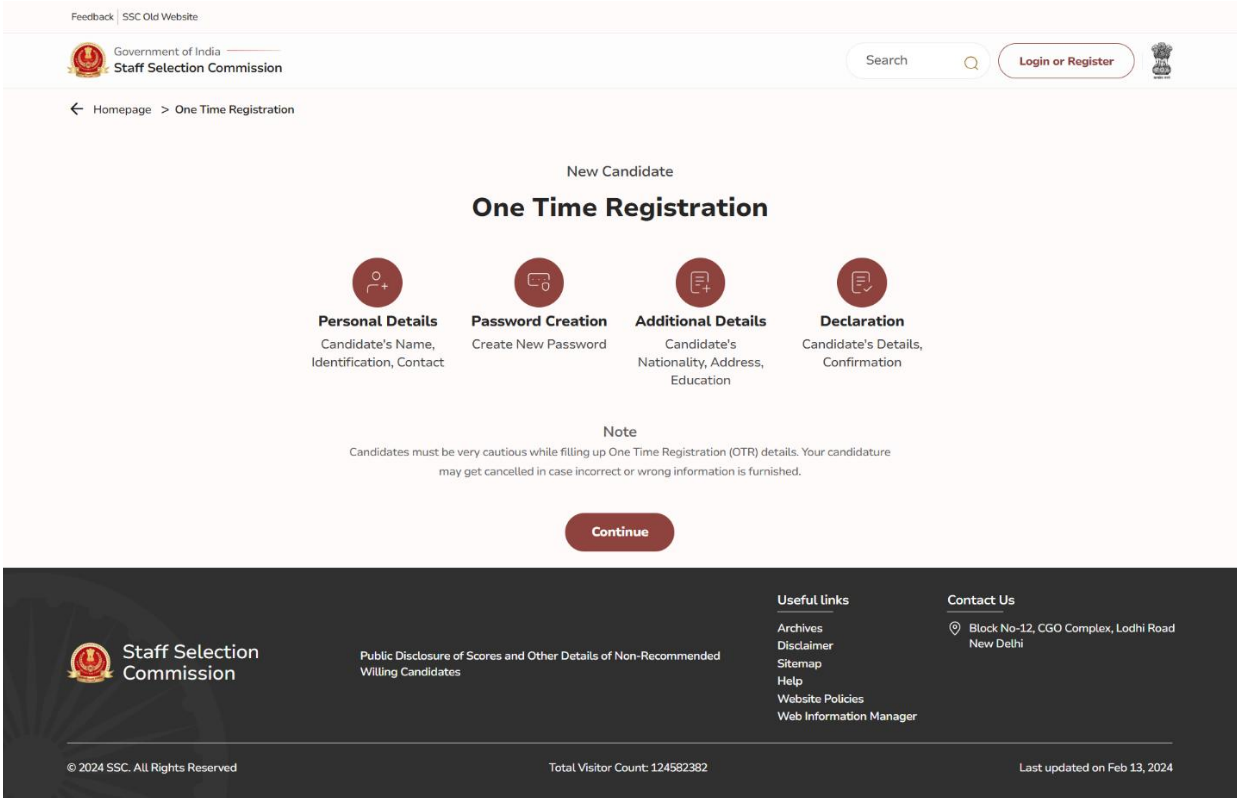
Feedback | SSC Old Website
Government of India
Staff Selection Commission
Search
Login or Register
Homepage > One Time Registration
New Candidate
One Time Registration
Personal Details
Candidate's Name, Identification, Contact
Password Creation
Create New Password
Additional Details
Candidate's Nationality, Address, Education
Declaration
Candidate's Details, Confirmation
Note
Candidates must be very cautious while filling up One Time Registration (OTR) details. Your candidature may get cancelled in case incorrect or wrong information is furnished.
Continue
Staff Selection Commission
Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates
Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager
Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi
© 2024 SSC. All Rights Reserved
Total Visitor Count: 124582382
Last updated on Feb 13, 2024

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Search

Login or Register

Personal Details
Candidate's name, identification, contact

Password Creation
Create New Password

Additional Details
Candidate's nationality, address, education

Declaration
Candidate's details confirmation

Homepage > One Time Registration

One Time Registration

Personal Details

1. Do you have a Aadhaar Card ? *
Yes No

1.1. Enter Your Aadhaar Details (UID / VID) *
e.g. 526262627262
Aadhaar Number should be same as mentioned in Aadhaar Card.
a. Verify Aadhaar Details (UID / VID) *
eg. 526262627262

I consent to the use of my Aadhaar data for authentication purposes by SSC. I understand that the authentication will be done using my Aadhaar number or biometric data and that my information will be processed and stored securely. I acknowledge that I have read and understood the Privacy Policy and Terms of Service of SSC.

Send OTP

2. Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *
1. Candidate Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Shri/ Smt/ Mr/ Mrs/ Ms/ Dr/ Prof).
a. Verify Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *

3. Have you ever changed Name ? *
Yes No
a. New Name / Changed Name
b. Verify New Name/Changed Name

4. Gender *
Select
a. Verify Gender *
Select

5. Date Of Birth (DD-MM-YYYY) *
dd-mm-yyyy
Date of Birth should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
a. Verify Date of Birth (DD-MM-YYYY) *
dd-mm-yyyy

6. Father's Name *
1. Father's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Mr/ Shri/ Late/ Dr/ Prof etc).
a. Verify Father's Name *

7. Mother's Name *
1. Mother's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Mrs/ Smt/ Late/ Dr/ Prof etc).
a. Verify Mother's Name *

8. Matriculation (10th class) Education Board *
Select
Education Board of Matriculation Examination.
a. Verify Matriculation (10th class) Education Board *
Select

9. Roll Number *
(1) Roll Number should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
(2) Only / and - are allowed , Please enter Roll number without any other special character(s).
(3) If Roll Code is given in your Matriculation Certificate then enter "Roll Code - Roll No."
a. Verify Roll Number *

10. Year of Passing *
Select
a. Verify Year of Passing *
Select

11. Highest Level of Education Qualification *
Select
a. Verify Highest Level of Education Qualification *
Select

12. Candidate's Mobile Number *
OTP for verification will be sent to this mobile number

13. Candidate's Email ID *
OTP for verification will be sent to this Email ID

Note : At least one of mobile or email OTP validation is required to proceed further.

Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Search

Login or Register

Personal Details
Candidate's name, identification, contact

Password Creation
Create New Password

Additional Details
Candidate's nationality, address, education

Declaration
Candidate's details confirmation

← Homepage > One Time Registration

One Time Registration

Personal Details

1. Do you have a Aadhaar Card ? *
○ Yes ● No

1.1. Documents *

Please Upload Name Proof (Aadhaar card, Voter ID card, PAN card, Driving License, Government ID card, Government service identity card, Pension document.)
Choose File No file chosen

Please Upload DOB Proof (Birth certificate, School leaving certificate, Certificate of date of birth issued by a Gazetted officer, Aadhar card)
Choose File No file chosen

Please Upload Address Proof (Aadhaar card, Voter ID card, Driving License, A bank statement with an attested photograph of the applicant, Rent agreement, Income tax assessment order.)
Choose File No file chosen

Please Upload Photo
Choose File No file chosen

Please Upload Gender Proof (Aadhaar card, Voter ID card, Birth certificate, School leaving certificate.)
Choose File No file chosen

2. Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *

1. Candidate Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Shri/ Smt/ Mr/ Mrs/ Ms/ Dr/ Prof).

a. Verify Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *

3. Have you ever changed Name ? *
○ Yes ● No

a. New Name / Changed Name

b. Verify New Name/Changed Name

4. Gender *
Select

a. Verify Gender *
Select

5. Date Of Birth (DD-MM-YYYY) *
dd-mm-yyyy
Date of Birth should be same as mentioned in Matriculation Certificate.

a. Verify Date of Birth (DD-MM-YYYY) *
dd-mm-yyyy

6. Father's Name *

1. Father's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Mr/ Shri/ Late/ Dr/ Prof etc).

a. Verify Father's Name *

7. Mother's Name *

1. Mother's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Mrs/ Smt/ Late/ Dr/ Prof etc).

a. Verify Mother's Name *

8. Matriculation (10th class) Education Board *
Select
Education Board of Matriculation Examination.

a. Verify Matriculation (10th class) Education Board *
Select

9. Roll Number *

(1) Roll Number should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
(2) Only / and - are allowed , Please enter Roll number without any other special character(s).
(3) If Roll Code is given in your Matriculation Certificate then enter "Roll Code - Roll No."

a. Verify Roll Number *

10. Year of Passing *
Select

a. Verify Year of Passing *
Select

11. Highest Level of Education Qualification *
Select

a. Verify Highest Level of Education Qualification *
Select

12. Candidate's Mobile Number *

OTP for verification will be sent to this mobile number

13. Candidate's Email ID *

OTP for verification will be sent to this Email ID

Note : At least one of mobile or email OTP validation is required to proceed further.

Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

अनुबंध -IIIक (5/8)

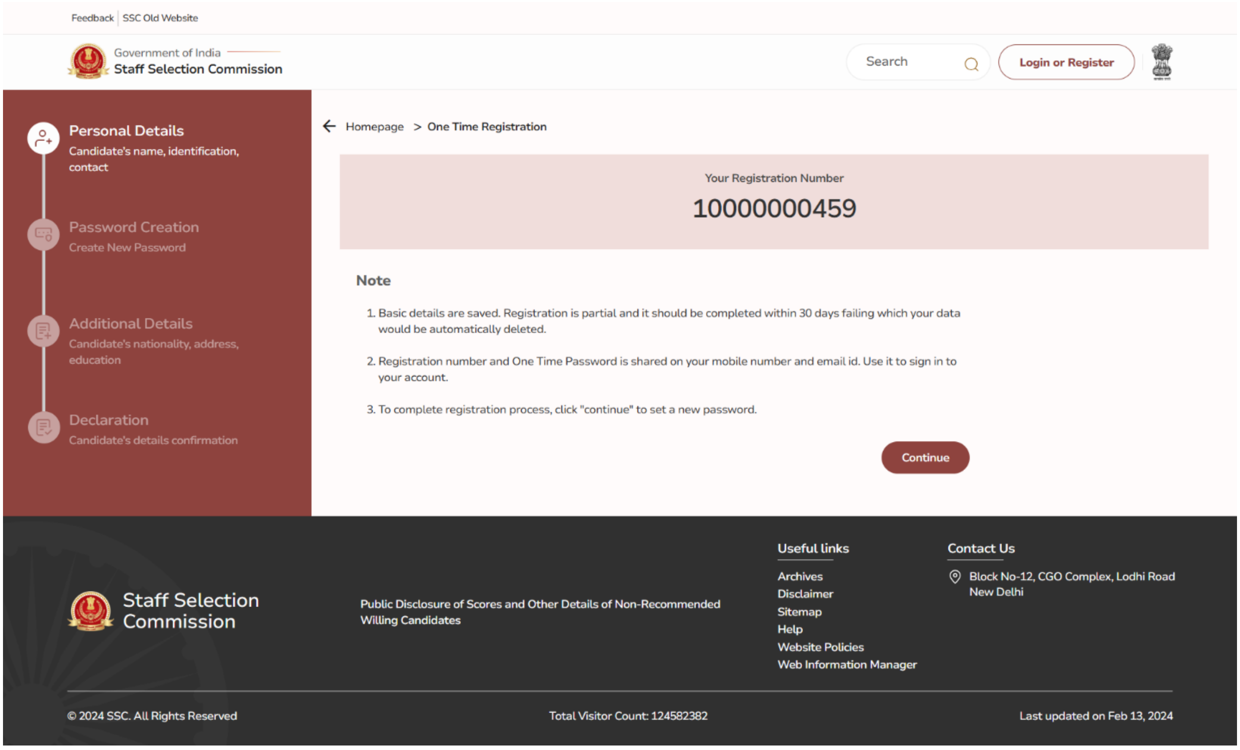
Feedback | SSC Old Website
Government of India
Staff Selection Commission
Search
Login or Register
Personal Details
Candidate's name, identification, contact
Password Creation
Create New Password
Additional Details
Candidate's nationality, address, education
Declaration
Candidate's details confirmation
Homepage > One Time Registration
Your Registration Number
10000000459
Note
1. Basic details are saved. Registration is partial and it should be completed within 30 days failing which your data would be automatically deleted.
2. Registration number and One Time Password is shared on your mobile number and email id. Use it to sign in to your account.
3. To complete registration process, click "continue" to set a new password.
Continue
Staff Selection Commission
Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates
Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager
Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi
© 2024 SSC. All Rights Reserved
Total Visitor Count: 124582382
Last updated on Feb 13, 2024

Personal Details
Candidate's name, identification, contact

Password Creation
Create New Password

Additional Details
Candidate's nationality, address, education

Declaration
Candidate's details confirmation

Homepage > One Time Registration

Dear Candidate, This is Your First Login !

Please Set a New Password

Registration Number *

10000000459

Old Password *

New Password *

Please Enter a Valid Password.

Note

- Password must be minimum 8 characters
- Include one or more uppercase letters
- Include one or more lowercase letters
- Include one or more number
- Include one or more special character
- Password must not contain spaces or tabs
- Password must not exceed 25 characters
- Use only allowed special characters: @ # $ % ^ & + = ! * ? _ -
- Password must not contain repeated characters (e.g., aaa, 1111)
- Password must not be all numbers
- Password must not be all alphabets

Confirm Password *

Security Questions

Note

- Security Questions allow you to regain entry to your account if you have forgotten your password and no longer have access to the email or Mobile number associated with your account.

Security Question: 1 *

Select

Answer *

Security Question: 2 *

Select

Answer *

Reset | Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links

Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us

Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Personal Details
Candidate's name, identification, contact

Password Creation
Create New Password

Additional Details
Candidate's nationality, address, education

Declaration
Candidate's details confirmation

Homepage > One Time Registration

One Time Registration

Additional Details

1. Category *
EWS

a. Verify Category *
EWS

2. Nationality *
Citizen of India

3. Contact Details For Other Nationals

4. Visible Identification Marks *
MOLE ON NOSE

5. Are you Person With Benchmark Disability (PwBD)? *
○ Yes ◉ No

a. Type of Disability

Note
VH : Blindness and Low vision
HH : Deaf and hard of hearing
OH : Locomotor disability, Including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack, victims, & muscular dystrophy
Others : Autism, intellectual disability, specific learning disability & mental illness, multiple disabilities from amongst persons under the above mentioned clauses including deaf-blindness.

b. Disability Certificate Number

6. Permanent Address *

a. Address *

b. State/UT *
Select

c. District *
Select

d. Pin Code *

7. Is Present Address same as Permanent Address? *
○ Yes ◉ No

a. Address *

b. State/UT *
Select

c. District *
Select

d. Pin Code *

Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

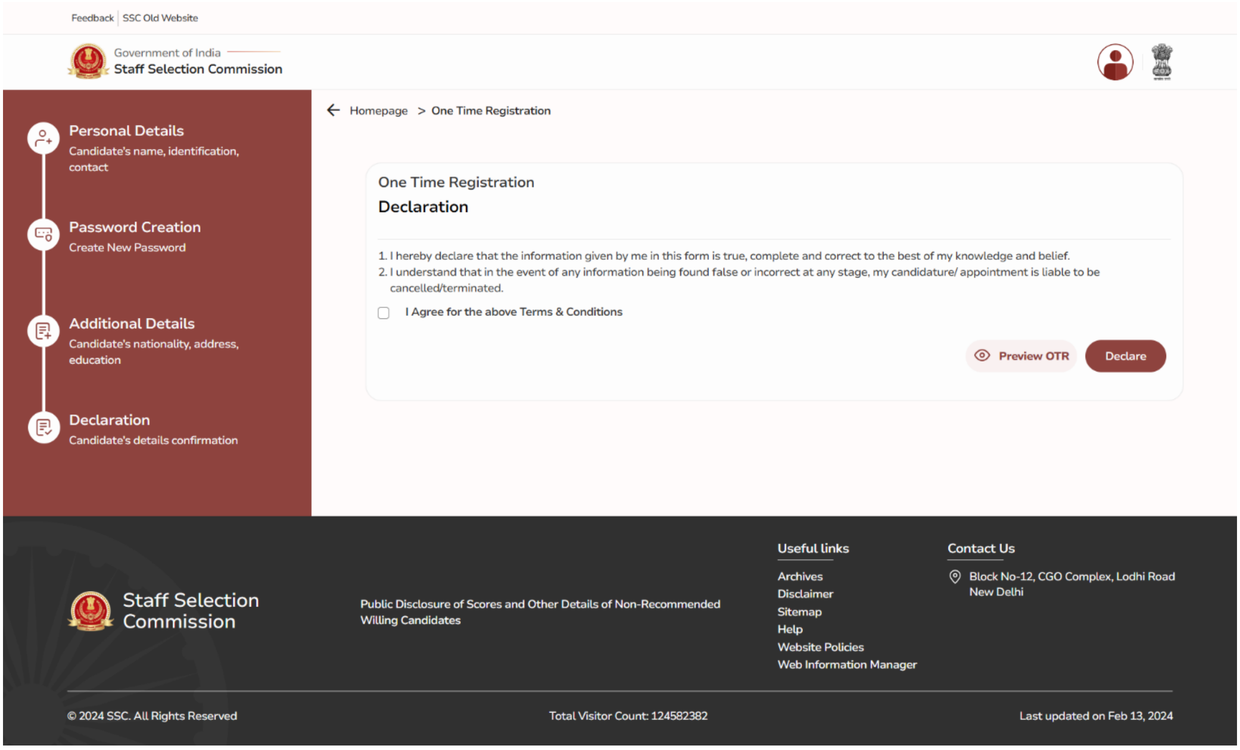

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Personal Details
Candidate's name, identification, contact

Password Creation
Create New Password

Additional Details
Candidate's nationality, address, education

Declaration
Candidate's details confirmation

Homepage > One Time Registration

One Time Registration
Declaration

1. I hereby declare that the information given by me in this form is true, complete and correct to the best of my knowledge and belief.
2. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature/ appointment is liable to be cancelled/terminated.

☐ I Agree for the above Terms & Conditions

Preview OTR | Declare

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

भाग-II (ऑनलाइन आवेदन-पत्र)

1. ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व निम्नलिखित विवरण / डाटा तैयार रखें:

क) एप्लिकेशन माड्यूल को ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी की फोटो खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ली गई फोटो स्पष्ट हो, बिना टोपी और चश्मा पहने बिना हो और सामने का चेहरा पूरा दिखाई दे। स्वीकार्य / अस्वीकार्य फाटो के नमूने **अनुबंध- XV** में दिए गए हैं। यदि ली गई फोटो स्वीकार्य नमूने के अनुसार नहीं है, तो अभ्यर्थी पुन: फोटो खींच लें। ऐसे सभी आवेदन जिनमें फोटो स्वीकार्य नमूने के अनुरूप नहीं है रद्द कर दिए जाएंगे। परीक्षा में अभ्यर्थी रूप-रंग वैसा ही दिखना चाहिए जैसा कि ऑनलाईन आवेदनपत्र में उसकी फोटो लगी है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे फोटो खींचने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना करें:

1. अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान चुनें।
2. फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर है।
3. अपने आप को सीधे कैमरे के सामने रखें और सीधे सामने देखें।
4. सुनिश्चित करें कि आपका चेहरा कैमरे द्वारा सीमांकित निर्धारित क्षेत्र के अंदर पूरी तरह से है और यह न तो बहुत करीब है और न ही बहुत दूर है। इसे क्षेत्र को पूरी तरह से कवर करना चाहिए और चेहरे का कोई भी हिस्सा सीमांकित क्षेत्र के बाहर नहीं होना चाहिए।
5. अभ्यर्थियों को फोटो लेते समय टोपी, मास्क या धूप का चश्मा/नज़र का चश्मा नहीं पहनना चाहिए।

जो अभ्यर्थी कैमरे के माध्यम से अपना लाइव फोटो खींचने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे मोबाईल डिवाइस के माध्यम से अपनी लाइव फोटो खींचने हेतु प्ले स्टोर से ऐप्लिकैशन को डाउनलोड करने के लिए Upload Documents के क्रम सं. 1 में दिए गए क्यूआर (QR) कोड का उपयोग करें। फोटो बिना टोपी पहने, बिना चश्मा लगाए होनी चाहिए और चेहरे के सामने का भाग दिखाई देना चाहिए। ऐसे सभी आवेदन जिनमें फोटो स्वीकार्य नमूने(**अनुबंध –XV)** के अनुरूप नहीं है रद्द कर दिए जाएंगे। स्वीकार्य/अस्वीकार्य फोटोग्राफ के नमूने **अनुबंध-XV** में दिए गए हैं।

ख) जेपीजी/ जेपीईजी फार्मेट में स्कैन किए गए हस्ताक्षर **(10 से 20 केबी)**। हस्ताक्षर छवि का आयाम लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्रों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

तथापि, जिन अभ्यर्थियों ने आधार प्रमाणीकरण अपनाया है, उनके ऑनलाइन आवेदनपत्र इस आधार पर निरस्त नहीं किए जाएंगे कि अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किया गया फोटो और / या हस्ताक्षर निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं हैं।

2. अपने 'पंजीकरण संख्या' और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉगइन करें।

3. 'Live Examination' टैब के अंतर्गत खंड 'Junior Engineer Examination, 2026' में 'Apply' लिंक पर क्लिक करें।

4. क्रम सं.-1 से 18 पर कॉलम में जानकारी स्वचालित रूप से आपके एकबारगी पंजीकरण डाटा से भर जाएगी जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तथापि, यदि आप एकबारगी पंजीकरण के किसी भी ब्यौरे में सुधार करना चाहते हैं तो 'the candidate dashboard' के दांए शीर्ष कोने पर दिए गए "Edit Registration Details" टैब पर क्लिक करें और आगे बढ़ने से पहले उपयुक्त सुधार कर लें।

5. क्र. सं. 19: कृपया उस पद को इंगित करें जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं।

नोटः कनिष्ठ अभियंता (दूरसंचार) के पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी आईएमडी/ जेई (वैद्युत) में वैज्ञानिक सहायक के पद के लिए भी पात्र होंगे, बशर्ते कि उनके पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता (EQ) हो। तथापि, अभ्यर्थी को इन पदों से संबंधित परीक्षा के भाग में उपस्थित होना होगा।

6. क्र. सं. 20: कृपया योग्यता शैक्षिक योग्यता (अर्थात, डिप्लोमा या डिग्री) के स्तर को इंगित करें। **(कृपया शैक्षिक योग्यता के लिए परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 2 को देखें)**

7. क्र. सं. 20.1: कृपया पद के लिए योग्यता शैक्षिक योग्यता इंगित करें. **(शैक्षिक योग्यता के लिए परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 2 को देखें).**

8. क्र.सं. 20.2 से 22.8: कृपया स्थिति, उत्तीर्ण करने का वर्ष, बोर्ड/विश्वविद्यालय का राज्य/संघराज्य क्षेत्र, बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम, अनुक्रमांक, प्रतिशत/सीजीपीए आदि जैसे संगत विवरणों का चयन करें/भरें।

9. क्र.सं. 20.9: कृपया अपनी उच्चतम शैक्षिक योग्यता इंगित करें।

10. क्र.सं. 21: कृपया सीबीई के लिए विषय का चयन करें।

11. क्र.सं. 21.1: क. अ. (वैद्युत) के पद के लिए या आई. एम. डी. में वै.सहा. के पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास जेई (दूरसंचार) के पद के लिए भी विकल्प हो सकता है।

    क्या आप दूरसंचार विभाग में कनिष्ठ अभियंता (दूरसंचार) के पद के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं? **(परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 2 और 13 का संदर्भ लें।)**

12. क्र.सं. 21.2: क्या आपके पास दूरसंचार विभाग में कनिष्ठ अभियंता (दूरसंचार) के पद के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता है **(शैक्षिक योग्यता के लिए परीक्षा की सूचना के पैरा 2 और 13 का संदर्भ लें।)**

13. क्र. सं. 22: यदि आप सशस्त्र सेना में कार्यरत हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आवश्यक जानकारी भरें। भूतपूर्व सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों को भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जाता है, अतः इसलिए उन्हें 'No' का चयन करना चाहिए।

14. क्र. सं. 22.1: यदि हां, तो सशस्त्र सेना में भर्ती की तिथि दर्शाएं (दिनांक/माह/वर्ष)

15. क्र.सं. 22.2: सशस्त्र बलों से सेवामुक्ति की तिथि/ सेवामुक्ति की संभावित तिथि (दिनांक/माह/वर्ष).

16. क्र.सं. 22.3: सशस्त्र सेनाओं में सेवा की अवधि।

17. क्र.सं. 22.4: क्या आपने पहले ही भूपूसै के लिए आरक्षण का लाभ लेते हुए सिविल पद प्राप्त किया है ?

18. क्र.सं. 22.5: सिविल पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि (दिनांक/माह/वर्ष).

19. क्र.सं. 23 to 23.1: यदि आप आयु में छूट चाहते हैं तो कृपया उपयुक्त आयु-छूट श्रेणी का चयन करें। (कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 7.2 का संदर्भ लें).

20. क्र.सं. 24: क्या आप कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं.. 39020/1/2016-स्था.(बी), दिनांकित 21.06.2016 की शर्तों के अनुसार रोजगार अवसरों की पंहुच के लिए अपनी व्यक्तिगत सूचना उपलब्ध कराना चाहते हैं (कृपया परीक्षा विज्ञप्ति का पैरा 19 का संदर्भ लें)?

21. क्र.सं. 25: परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी वरीयता दें । आप तीन परीक्षा केंद्र (देशभर में कहीं भी) चुन सकते हैं तीन केंद्रों के लिए विकल्प वरीयता क्रम में दिया जाना चाहिए (कृपया विज्ञप्ति के पैरा 12 का संदर्भ लें)।

22. क्र.सं. 26: कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई) हेतु माध्यम का चयन करें ।

23. क्र.सं. 27.1: क्या आप दृष्टिहीनता (दृ. दि.) की श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांगता (40 प्रतिशत या उससे अधिक) वाले व्यक्ति हैं? (कृपया परीक्षा विज्ञप्ति के पैरा 9.1 को देखें)।

24. क्र.सं. 27.2: क्या आप अ.दि.- प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (प्र.प.) की श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांगता (40 प्रतिशत या अधिक)वाले व्यक्ति हैं ? (कृपया परीक्षा विज्ञप्ति का पैरा 9.1 का संदर्भ लें)

25. क्र.सं. 27.3: परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 9.2 या 9.3 के अनुसार क्या आपकी लिखने संबंधी शारीरिक सीमाएं हैं (परीक्षा विज्ञप्ति के **अनुबंध-I एवं अनुबंध-Iक** के प्रारूप के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।)?

26. क्र.सं. 27.4: क्या आपको प्रलिपिक/तकनीक/सहायक उपकरणों की आवश्यकता है ?? **कृपया परीक्षा विज्ञप्ति के पैरा 9 को देखें)**

27. क्र.सं. 27.5: क्या आप प्रलिपिक हेतु स्वयं व्यवस्था करेंगे ?

28. अपना लाइव फोटो अपलोड करें जैसाकि ऊपर क्रम सं. 1क में निर्दिष्ट है ।

29. अपना हस्ताक्षर अपलोड करें जैसाकि ऊपर क्रम सं. 1ख में निर्दिष्ट है । धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे ।

30. प्रीव्यू देखते समय जांच कर लें कि भरे गए सभी विवरण सही है एवं उल्लिखित विज्ञप्ति में विभिन्न स्थानों पर फोटो / हस्ताक्षर से संबंधित दिए निर्देशों का विधिवत पालन किया गया है और आपके द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित करें

31. "I agree" चेक बॉक्स में क्लिक करके और कैपचा कोड भरकर अपनी घोषणा पूरी करें ।

32. अपने आवेदन विवरण / डाटा के सही होने का सत्यापन होने पर, जैसाकि प्रीव्यू में दिखाई दे रहा है, आवेदन "Submit" करने के लिए आगे बढ़े ।

33. यदि आपको शुल्क भुगतान से छूट प्राप्त नहीं है तो शुल्क का भुगतान करने के लिए आगे बढ़े ।

34. शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग अथवा वीजा, मास्टरकार्ड, मैस्ट्रो, या रूपे डेबिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन मोड द्वारा जमा किया जा सकता है।

35. शुल्क भुगतान के बारे में और अधिक जानकारी के लिए परीक्षा विज्ञप्ति के पैरा 10 का संदर्भ लें।

36. जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा, तो इसे 'अनंतिम रूप से' स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थी को, कंप्यूटर आधारित परीक्षा के बाद जब भी मांगा जाए तो जमा करने के लिए और अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रिंट-आउट लेना चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन पत्र का स्क्रीनशॉर्ट्स

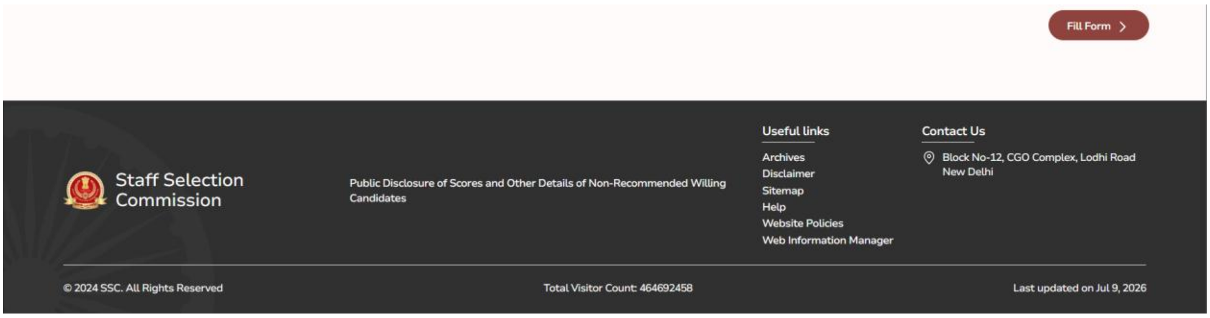
Fill Form >

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved
Total Visitor Count: 464692458
Last updated on Jul 9, 2026

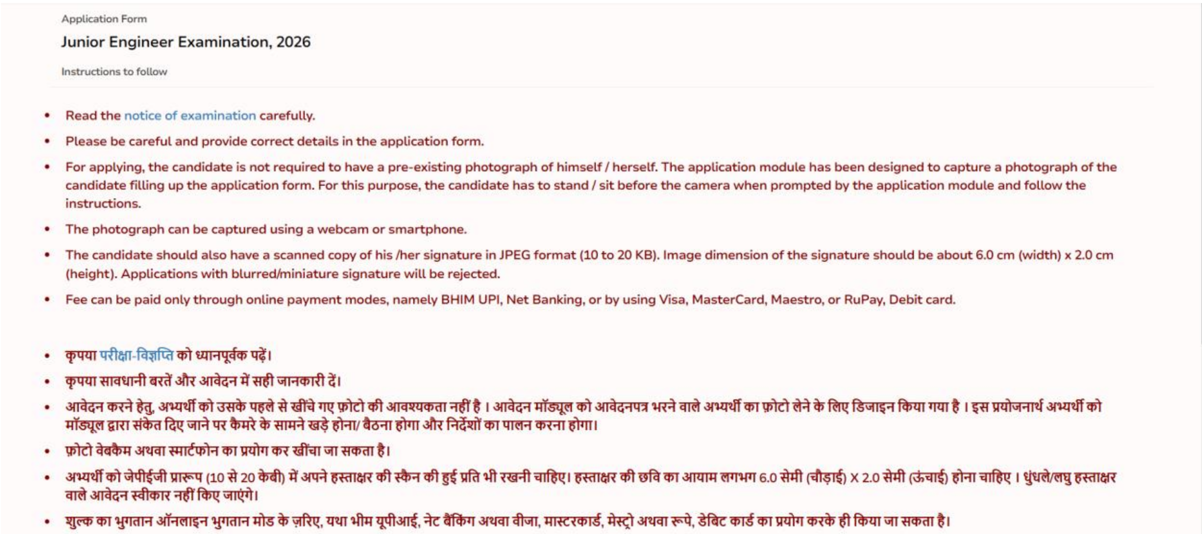
Application Form

Junior Engineer Examination, 2026

Instructions to follow

- Read the notice of examination carefully.
- Please be careful and provide correct details in the application form.
- For applying, the candidate is not required to have a pre-existing photograph of himself / herself. The application module has been designed to capture a photograph of the candidate filling up the application form. For this purpose, the candidate has to stand / sit before the camera when prompted by the application module and follow the instructions.
- The photograph can be captured using a webcam or smartphone.
- The candidate should also have a scanned copy of his /her signature in JPEG format (10 to 20 KB). Image dimension of the signature should be about 6.0 cm (width) x 2.0 cm (height). Applications with blurred/miniature signature will be rejected.
- Fee can be paid only through online payment modes, namely BHIM UPI, Net Banking, or by using Visa, MasterCard, Maestro, or RuPay, Debit card.

- कृपया परीक्षा-विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- कृपया सावधानी बरतें और आवेदन में सही जानकारी दें।
- आवेदन करने हेतु, अभ्यर्थी को उसके पहले से खीचे गए फ़ोटो की आवश्यकता नहीं है । आवेदन मॉड्यूल को आवेदनपत्र भरने वाले अभ्यर्थी का फ़ोटो लेने के लिए डिजाइन किया गया है । इस प्रयोजनार्थ अभ्यर्थी को मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़े होना/ बैठना होगा और निर्देशों का पालन करना होगा।
- फ़ोटो वेबकैम अथवा स्मार्टफोन का प्रयोग कर खींचा जा सकता है।
- अभ्यर्थी को जेपीईजी प्रारूप (10 से 20 केबी) में अपने हस्ताक्षर की स्कैन की हुई प्रति भी रखनी चाहिए। हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) x 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए । धुंधले/लघु हस्ताक्षर वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- शुल्क का भुगतान ऑनलाइन भुगतान मोड के ज़रिए, यथा भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग अथवा वीज़ा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो अथवा रूपे, डेबिट कार्ड का प्रयोग करके ही किया जा सकता है।

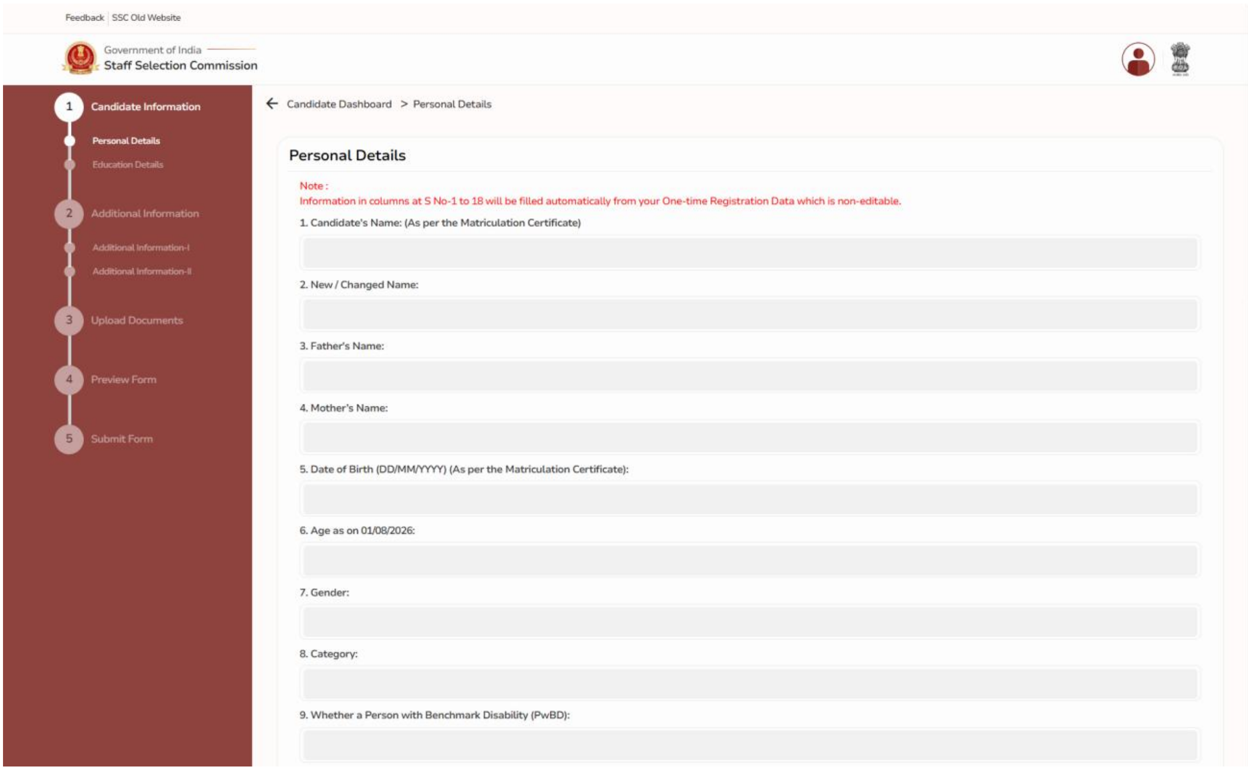
Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

1 Candidate Information
Personal Details
Education Details
2 Additional Information
Additional Information-I
Additional Information-II
3 Upload Documents
4 Preview Form
5 Submit Form

Candidate Dashboard > Personal Details

Personal Details

Note :
Information in columns at S No-1 to 18 will be filled automatically from your One-time Registration Data which is non-editable.

1. Candidate's Name: (As per the Matriculation Certificate)

2. New / Changed Name:

3. Father's Name:

4. Mother's Name:

5. Date of Birth (DD/MM/YYYY) (As per the Matriculation Certificate):

6. Age as on 01/08/2026:

7. Gender:

8. Category:

9. Whether a Person with Benchmark Disability (PwBD):

9.1. If Yes, Type of Disability:

10. Nationality:

10.1. Contact details for Other Nationals:

11. Visible Mark of Identification:

12. Matriculation (10th Class) Examination Board:

13. Matriculation (10th Class) Year of Passing:

14. Matriculation (10th Class) Roll No.:

15.1. Permanent Address:

15.2. State:

15.3. District:

15.4. PIN Code:

16.1. Correspondence Address:

16.2. State:

16.3. District:

16.4. PIN Code:

17. Email:

18. Mobile Number:

Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links

- Archives
- Disclaimer
- Sitemap
- Help
- Website Policies
- Web Information Manager

Contact Us

Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

1 Candidate Information
Personal Details
Education Details
2 Additional Information
Additional Information-I
Additional Information-II
3 Upload Documents
4 Preview Form
5 Submit Form

← Candidate Dashboard > Education Details

Education Details

19 Applying for the posts: *

Select

While applying for the post of JE (Telecom), you may also apply and appear for the post of JE (Electrical)/SA in IMD and vice-versa subject to fulfilling EQ. (Please refer to Para 2 & 13 of the Notice)

Please select Stream name.

20. Level of Qualifying Educational Qualification: *

Select

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 2

Please select level of qualifying qducational qualification

20.1. Qualifying Educational Qualifications for the Post: *

Select

Please select subject/stream.

20.2. EQ Status: *

Select

Please select Status.

20.3. Passing Year: *

Select

Please select Passing Year.

20.4. State/ UT of Board or University: *

Select

Please select State/ UT of Board.

20.5. Name of Board or University: *

Select

Please select Name of Board.

20.6. Roll Number: *

Enter your roll no here...

Please enter Roll Number.

20.7. Percentage:

Enter percentage here...

Invalid Percentage (e.g. 85.66)

20.8. CGPA:

Enter CGPA here...

Invalid CGPA (e.g. 8.8)

Either Percentage or CGPA required.

20.9. Highest Educational Qualification: *

Select

Please select Highest Qualification.

21. Applying for the Subject in the CBE (Please refer to Notice of Examination, Para 2 and 13): *

Select

Please select subject in the CBE.

Go Back | Save & Next

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

1 Candidate Information
Personal Details
Education Details
2 Additional Information
Additional Information-I
Additional Information-II
3 Upload Documents
4 Preview Form
5 Submit Form

← Candidate Dashboard > Additional Information-I

Additional Information-I

22. Whether you are an Ex-Servicemen (ESM) or serving in the Armed Forces ? *

◯ Yes ◯ No

23. Whether seeking Age Relaxation ?*

◯ Yes ◯ No

24. Do you want to make your personal information available for accessing job opportunities in terms of DoP&T's OM No.39020/1/2016-Estt.(P) dated 21/06/2016 ?*

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 19

◯ Yes ◯ No

Go Back | Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi

1 Candidate Information
- Personal Details
- Education Details

2 Additional Information
- Additional Information-I
- Additional Information-II

3 Upload Documents

4 Preview Form

5 Submit Form

← Candidate Dashboard > Additional Information-II

Additional Information-II

25. Preference of Examination Centres:*

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 12

Preference 1

Select

Preference 2

Select

Preference 3

Select

26. Medium for Computer Based Examination (CBE): *

Select

Verify Medium for Computer Based Examination (CBE): *

Select

27.1. Are you a Person with Benchmark Disability (40% or more) in the category of Lower Vision (VH)?

Please refer to sthe Notice of Examination, Para No. 2,5 and 9

○ Yes ○ No

27.2. Are you a Person with Benchmark Disability (40% or more) in the category of Cerebral Palsy (CP)?

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 2,5 and 9

○ Yes ○ No

27.3. : Do you have a Physical Limitation to take the CBE Exam as per Para 5 of Notice of the Examination (Certificate to this effect from competent authority as per format at Annexure-I/Annexure-IA to Notice of the Examination would be required at the time of the Examination)?

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 2,5 and 9

○ Yes ○ No

27.4. Whether support is required in form of a scribe/ technology/ assistive devices for taking the CBE Exam?

Please refer to the Notice of Examination, Para 9

○ Yes ○ No

Go Back | Save & Next

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

1 Candidate Information
- Personal Details
- Education Details

2 Additional Information
- Additional Information-I
- Additional Information-II

3 Upload Documents

4 Preview Form

5 Submit Form

← Candidate Dashboard > Upload Photograph & Signature

Upload Photograph & Signature

To download the app from the play store, scan the below QR code

1. Face Authentication Status : Pending

Process to complete Face Authentication:

- Log In to Mobile Application (myssc).
- Go to Dashboard
- Go to My Application.
- Click Continue Button for the respective Examination.
- Go to **Aadhaar Auth Verification** page to complete the Face Authentication.

2. Capture Your Photograph

Instructions:

- Find a place with good light and plain background.
- Ensure the camera is at your eye level before capturing the photo.
- Position yourself directly in front of camera and **look straight**.
- Ensure that your **face is fully inside the prescribed area** delineated by the camera and that it is neither too close nor too far. It should cover the area fully and no part of the face should be outside the area delineated by the camera.
- Candidates **shouldn't wear a cap, mask or glasses / spectacles** while capturing the photo.
- In no case should the candidate capture the photographs of his/her pre-existing photograph. All such applications where the photographs of his/her pre-existing photograph is captured will be rejected.
- **Do not wear earphones or any device while capturing photo.**

Capture Live Photo

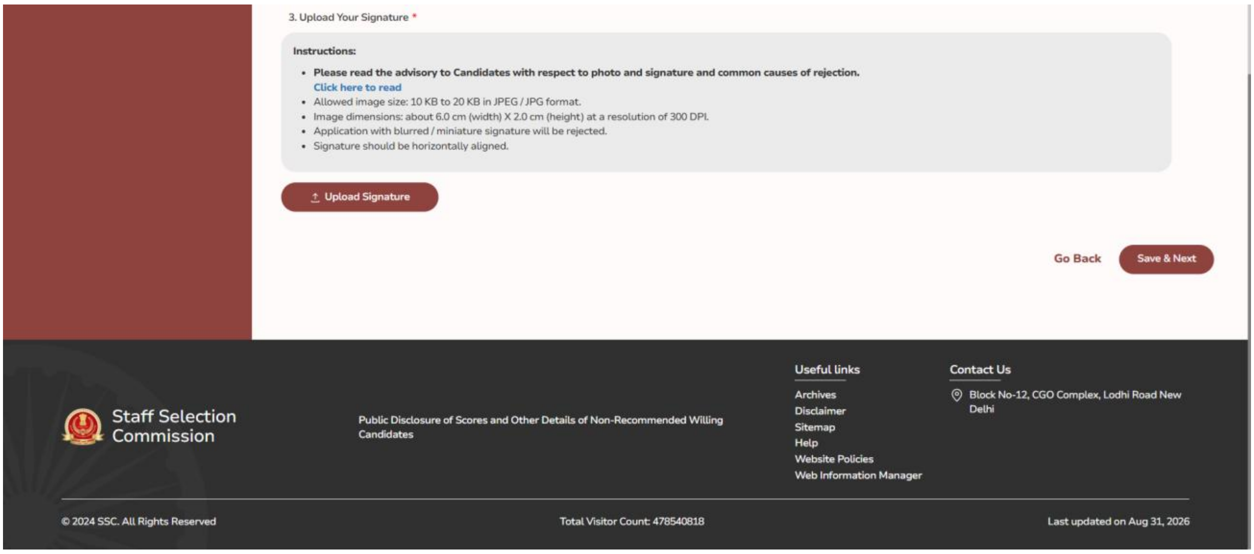

3. Upload Your Signature *

Instructions:

- **Please read the advisory to Candidates with respect to photo and signature and common causes of rejection.**
  Click here to read
- Allowed image size: 10 KB to 20 KB in JPEG / JPG format.
- Image dimensions: about 6.0 cm (width) X 2.0 cm (height) at a resolution of 300 DPI.
- Application with blurred / miniature signature will be rejected.
- Signature should be horizontally aligned.

Upload Signature

Go Back   Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links

Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us

Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 478540818

Last updated on Aug 31, 2026

अनुबंध – V

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र

मैं एतदद्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार (नंबर) ______________ (रैंक)________________ (नाम)___________________________ (दिनांक)______________ को सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।

(कमान अधिकारी के हस्ताक्षर)
कार्यालय की मुहरः

स्थान :
तिथि :

भूतपूर्व सैनिक द्वारा प्रदान किया जाने वाला वचनपत्र

मैं…………………………………………,अनुक्रमांक.................................... परीक्षा, 20 दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित हुआ हूँ एततद्वारा वचनबद्ध हूँ कि:

(क) मैं समय समय पर यथा संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा और डाक नियम, 1979, में भूतपूर्व सैनिकों के पुन: रोजगार के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अनुमत लाभों का हकदार हूँ।

(ख) मैंने सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूतपूर्व-सैनिकों को पुन: रोजगार के लिए दिए गए आरक्षण का लाभ उठाते हुए समूह 'ग' तथा 'घ' पदों की सरकारी नौकरी में नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है ; अथवा

(ग) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक ……………………को …… . ……………… .... कार्यालय में ....पद पर कार्यभार ग्रहण किया है । मैं एततद्वारा वचनबद्ध हूँ कि वर्तमान सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले वर्तमान नियोक्ता को उन सभी आवेदनों के बारे में स्व-घोषणा / वचन पत्र प्रस्तुत किया है जिनके लिए मैंने आवेदन किया है; अथवा

(घ) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक ……………………को …… . ……………… .... कार्यालय में ....पद पर कार्यभार ग्रहण किया है । इसलिए, मैं केवल आयु में छूट पाने के लिए पात्र हूँ;

मैं एततद्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त विवरण जहाँ तक मुझे पता है तथा विश्वास है यथार्थ, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी के झूठा या गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थिता / नियुक्ति निरस्त/ समाप्त समझा जाएगा ।

हस्ताक्षर: ………………….

नाम: …………….

अनुक्रमांक: ....

दिनांक: …………….

सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि: …………….

कार्यमुक्ति की तिथि: …………….

अंतिम यूनिट / कोर: …………….

मोबाइल नंबर: …………….

ईमेल आईडी:.....................

अनुबंध-VII

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

कोई अभ्यर्थी जो अ.जा. या अ.ज.जा श्रेणी से होने का दावा करता है, उसे अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र में उस जिलाधिकारी या उप संभागीय अधिकारी या संबंधित राज्य सरकार द्वारा नामित इस प्रयोजनार्थ अन्य सक्षम अधिकारी से प्रमाणपत्र की सत्यापित / प्रमाणित प्रति जमा करनी होगी जिस जिले में उसके माता-पिता (या जीवित माता-पिता) सामान्यत: रहते हैं । यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है तो प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जहां अभ्यर्थी अपनी शिक्षा के उद्देश्य से सामान्यत: निवास करता है। जहां फोटो प्रमाणपत्र का अभिन्न अंग है, आयोग ऐसे प्रमाणपत्रों की अन्य सत्यापित प्रतिलिपि या सत्यप्रतिलिपि स्वीकार न करके केवल सत्यापित फोटोकॉपी ही स्वीकार करेगा

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*______________ पुत्र/पुत्री____________________ निवासी ग्राम/कस्बा* _____________ जिला/संभाग* ____________ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* __________ के ________________ जाति/जनजाति से संबधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त हैः-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*
संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश, 1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित,

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956…….
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959
संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश,1962
@संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962
@संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
@संविधान(अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967
@संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश,1968
@ संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश,1968
@संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
@संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
@संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
@संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
@संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
@संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991
@संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991

@संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996
@अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम, 2002
@संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
@संविधान(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
@संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007

%2. यह उन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं ।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* _________ के पिता/माता श्री/श्रीमती _________ निवासी _________ग्राम/कस्बा* _________ जिला/संभाग* _________ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _________ को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो _________ जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो _________ दिनांक _________ द्वारा जारी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

%3. श्री/श्रीमती/कुमारी _________ और/या* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा*_________जिला/संभाग* _________ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _________ में रहता है ।

हस्ताक्षर ________
**पदनाम_________
(कार्यालय की मुहर सहित)

स्थान:_______________
दिनांक:_______________

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें ।
@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें ।
% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें ।

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है ।

**** जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:-**

(i) जिला मजिस्ट्रेट/ अपर जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/ डिप्टी कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट/ सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त / तालुका मजिस्ट्रेट/ एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।
(iv) क्षेत्र का सब डिविजनल अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

नोट: तमिलनाडु से संबंधित अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी केवल राजस्व संभागीय अधिकारी से प्रमाणित जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें ।

<u>अनुबंध-VIII</u>

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _________ सुपुत्र/सुपुत्री _________ ग्राम/कस्बा _________ जिला/संभाग _________ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र _________ समुदाय से संबंधित हैं जो भारत सरकार, सामाजकि न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प सं --------------- दिनांक ------* के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

श्री/श्रीमती/कु० --------------- तथा/या उनका परिवार सामान्यतः--------------- राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के --------------- जिला/संभाग में रहता/रहते हैं । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं 36012/22/93-स्था (एससीटी), दिनांक 8.9.1993** की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

जिलाधिकारी: ______________________
उपायुक्त आदि __________________________

दिनांक:
मुहरः

---

* प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का ब्यौरा उल्लेख करना होगा जिसमें अभ्यर्थी की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लेख है।
** समय समय पर यथा संशोधित
टिप्पणी :- यहां प्रयुक्त 'सामान्यतः' शब्द का वही अर्थ होगा जैसाकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है ।

अनुबंध-IX

.... सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से पिछडे वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय और संपत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या ______________ दिनांक____________________

वर्ष .... लिए मान्य

यह प्रमाणित करना है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____________________________ पुत्र/पुत्री/पत्नी ________________स्थायी निवासी _____________________गाँव/गली _______________ डाकघर _____________________ जिला _____________________ राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र _____________________ पिन कोड ___________ जिनकी फोटो नीचे सत्यापित की गयी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं क्योंकि वित्त वर्ष .... के लिए उनकी /उनके 'परिवार' ** की कुल वार्षिक आय* 8 लाख (केवल आठ लाख रुपये) से कम है। उनके/उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति*** नहीं है :

I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि ;

II. 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;

III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;

IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी ___________________________ का संबंध _______________ जाति से है जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर..................................

नाम ....

पद....................................

आवेदक के हाल ही के पासपोर्ट आकार की सत्यापित फोटो

* नोट 1: सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि को शामिल करके कुल आय।

** नोट 2: इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन के साथ-साथ उसका पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

*** नोट 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या अधिग्रहीत संपत्ति परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों / शहरों में "परिवार" की सभी संपत्ति को शामिल कर लिया गया

प्रारूप-V दिव्यांगता प्रमाण पत्र

(विच्छेदन या अंग के पूरे स्थायी पक्षाघात के मामले या बौनेपन और नेत्रहीनता के मामले में)
(नियम 18(1) देखें)
(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का
पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित
फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं.............................. दिनांक:

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-------------------------------------सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री ---जन्म तिथि ------------------ (दि/म/व) आयु ---------- वर्ष पुरूष/ महिला-------------पंजीकरण संख्या ---------- मकान नं ---------- वार्ड/गांव/गली ---------- डाकघर ------- जिला ------------- राज्य ------------- के स्थायी निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूं कि:-

(क) उनका मामला:

- गतिविषयक दिव्यांगता
- बौनापन
- नेत्रहीनता का है

(जैसा भी लागू हो, निशान लगाएं)

(ख) उनके मामले में -------------- निदान किया गया है।

(ग) वे दिशानिर्देशों ------------- (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार अपने -------------- (शारीरिक अंग) (उल्लेख करें) के संबंध में ------------ %(अंकों में) ------------ % (शब्दों में) स्थायी गतिविषय दिव्यांगता/बौनापन/नेत्रहीनता से पीड़ित हैं।

2. आवेदक ने आवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के
प्राधिकृत हस्ताक्षर एवं मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप
जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

अनुबंध-XI

प्रारूप-VI निःशक्तता प्रमाण पत्र

(बहु नि:शक्तता संबंधी मामलों में)

(नियम 18(1) देखें)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का
पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित
फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं..............................   दिनांक:

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी--------------------------------- *सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री* ---*जन्म तिथि* ------------------ *(दि/म/*व) आयु ---------- वर्ष पुरूष/ महिला------------- पंजीकरण संख्या ---------- मकान नं ---------- वार्ड/गांव/गली ---------- डाकघर ------- जिला ------------- राज्य ------------- के स्थायी निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूं कि:-

(क) उनका मामला बहु निःशक्तता है। उनकी शारीरिक निःशक्तता/दिव्यांगता का दिशानिर्देशों .... (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित इंगित निःशक्तताओं के लिए मूल्यांकन किया गया है और उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निःशक्तता के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र. सं.	निःशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक दिव्यांगता(%में)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	मांसपेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	बौनापन			
5.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
6.	तेजाब के हमले में जले पीड़ित			
7.	अल्प दृष्टि	#		
8.	नेत्रहीनता	#		
9.	बधिरता	£		
10.	श्रवण दिव्यांगता	£		
11.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			
12.	बौद्धिक दिव्यांगता			
13.	विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता			
14.	ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार			
15.	मानसिक रोग			

16. चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार
17. मल्टीपल स्लेरोसिस
18. पार्किन्सन बीमारी
19. हेमोफिलिया
20. थेलेसेमिया
21. सिकल सेल डिसीज़

(ख) उपर्युक्त के संदर्भ में, उसकी समग्र स्थायी शारीरिक दिव्यांगता दिशानिर्देशों .... (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित है:
अंको में .... प्रतिशत
शब्दों में .... प्रतिशत

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण:

(i) आवश्यक नहीं है
अथवा
(ii) .... वर्ष ....माह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र .... (दिनांक) .... (माह) ....(वर्ष) तक मान्य रहेगा।

@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे
# उदाहरणतः एक आँख
£ उदाहरण: बाएं/दाएं/दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए है:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षण एवं मोहर

सदस्य का नाम और मुहर	सदस्य का नाम और मुहर	अध्यक्ष का नाम और मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप
जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

अनुबंध-XII

प्रारूप-VII निःशक्तता प्रमाण पत्र

(प्रपत्र V और VI में उल्लिखित मामलों को छोड़कर)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता) [नियम 18(1) देखें]

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. --------------- दिनांक ---------------

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी--------------------------------- सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री ---------------------------------- *जन्म तिथि* ------------------ (*दि/मा/*व) आयु ---------- वर्ष पुरूष/ महिला------------- पंजीकरण संख्या ----------, जोकि मकान नं ---------- वार्ड/गांव/गली ---------- डाकघर ------- जिला ------------- राज्य ------------- के स्थायी निवासी हैं और जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूं कि वे .... निशक्तता से पीड़ित हैं। उनकी शारीरिक निःशक्तता/दिव्यांगता का दिशानिर्देशों .... (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित इंगित निःशक्तताओं के लिए मूल्यांकन किया गया है और उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निःशक्तता के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र. सं.	निःशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक दिव्यांगता (%में)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
5.	तेजाब के हमले में जले पीड़ित			
6.	अल्प दृष्टि	#		
7.	बधिरता	€		
8.	श्रवण दिव्यांगता	€		
9.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			
10.	बौद्धिक दिव्यांगता			
11.	विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता			
12.	ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार			
13.	मानसिक बीमारी			
14.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार			
15.	मल्टीपल स्लेरोसिस			
16.	पार्किन्सन बीमारी			

17.	हेमोफिलिया			
18.	थेलेसेमिया			
19.	सिकल सेल डिसीज़			

(कृपया उन निशक्तताओं को काट दें जो लागू न हों)

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण:

(i) आवश्यक नहीं है अथवा

(ii) .... वर्ष ....माह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र .... (तारीख) .... (माह) ....(वर्ष) तक मान्य रहेगा।

@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

उदाहरणतः एक आँख/दोनों आंखे

€ उदाहरण: बाएं/दाएं/दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए है:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
(नाम और मुहर)

{यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है
जो सरकारी अधिकारी (मुहर के साथ) नहीं है,
तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/
सरकारी अस्पताल के अध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर एवं मुहर}

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप
जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

टिप्पणी: यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी अधिकारी नहीं है, तो यह जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने पर ही वैध होगा।

अनुबंध-XIII

शैक्षणिक योग्यता

आईएमडी में क.अ./वै.सहा. के पद के अनुसार संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा।
आईएमडी में क.अ./वै.सहा. के पद के अनुसार संबंधित क्षेत्र में डिग्री।

अनुबंध-XIV

शैक्षणिक योग्यता हेतु विषय

पद का नाम	परीक्षा की विषय
जेई (सिविल)	**भाग-क:** सामान्य अभियांत्रिकी (सिविल एवं संरचनात्मक)
जेई (वैद्युत)	**भाग-ख**: सामान्य अभियांत्रिकी (वैद्युत)
जेई (यांत्रिकी)	**भाग-ग**: सामान्य अभियांत्रिकी (यांत्रिकी)
आई.एम.डी.में एस.ए.	**भाग-घ:** सामान्य अभियांत्रिकी (कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रोद्यौगिकी) अथवा **भाग-ङ:** सामान्य अभियांत्रिकी (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार अभियांत्रिकी) अथवा **भाग-च:** भौतिकी
जेई (दूरसंचार)	**भाग-छ:** दूरसंचार अभियांत्रिकी

फॉटोग्राफ के नमूने

स्वीकृत फोटोग्राफ

अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने

अत्यधिक रंगीन

बहुत नजदीक

टोपी/कैप के साथ

धूंधले फोटोग्राफ

उल्टी फोटो

अत्यधिक गहरा रंग

धूप वाले चश्में के साथ

तिरछी दृश्यमान फोटो

बहुत छोटी

चश्मे के साथ

अनुबंध-XVI

सड़क सीमा संगठन (बीआरओ) में कनिष्ठ अभियंता पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक व चिकित्सीय मानक

1. शारीरिक दक्षता परीक्षा

(i) शारीरिक दक्षता परीक्षाओं के लिए मानदंडों को इस अधिसूचना की "अनुसूची-I" के रूप में रखा गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षाओं का आयोजन मुख्यालय, महानिदेशक, सीमा सड़क द्वारा नियुक्त अधिकारी मंडल द्वारा जीआरईएफ केन्द्र अथवा यथा-लागू अपने-अपने भर्ती केन्द्र में किया जाएगा।

2. **शारीरिक मापदंड: -** जीआरईएफ (सीमा सड़क संगठन) में भर्ती के लिए कार्मिकों के शारीरिक मापदंडों की क्षेत्र-वार अपेक्षाओं का इस अधिसूचना की "अनुसूची-II" में उल्लेख किया गया है।

3. **(क) चिकित्सा मानक :** अत्यन्त सुदूरवर्ती क्षेत्रों, उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों और पहाड़ी भू-भाग के कठिन क्षेत्रों इत्यादि सहित उनके कार्य-स्वरूप कर्तव्यों की सूची और प्रत्याशित तैनाती के अनुसार जीआरईएफ (सीमा सड़क संगठन) में उनकी सेवा के लिए अभ्यर्थियों की भर्ती हेतु विनिर्दिष्ट चिकित्सा मानक अपेक्षित हैं। चिकित्सा मानकों को इस अधिसूचना की 'अनुसूची-III' में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ख) चिकित्सा परीक्षा और चिकित्सा जांच: - प्रत्येक अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की इस अधिसूचना में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार चिकित्सा परीक्षा और चिकित्सा जांच की जाएगी। यह चिकित्सा परीक्षा, मुख्यालय, महानिदेशक, सीमा सड़क (एच.क्यू. डीजीबीआर) द्वारा मनोनीत चिकित्सा बोर्ड द्वारा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा के आयोजन के लिए अनुसरण किए जाने वाले दिशानिर्देशों और अभ्यर्थियों को अस्थायी अथवा स्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित करने की कार्य-प्रणाली का उत्तरवर्ती उप पैरा में उल्लेख किया गया है :

(i) सभी दस्तावेजों की विस्तृत रूप से जांच करने के पश्चात, भर्ती कर रहे अनुभाग के प्रभारी अधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सा कागजात (जिसमें पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ विधिवत चिपका हुआ हो) को जीआरईएफ केन्द्र सहित संबंधित भर्ती केन्द्र के चिकित्सा बोर्ड को सौंपे जाएंगे तथा अभ्यर्थी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रिपोर्ट करेंगे। अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा जीआरईएफ केन्द्र सहित प्रत्येक भर्ती केन्द्र में दो चिकित्सा अधिकारियों द्वारा की जाएगी।

(ii) भर्ती चिकित्सा बोर्ड इस अधिसूचना में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार अभ्यर्थियों की चिकित्सा फिटनेस की जांच करेगा।

(iii) चिकित्सीय रूप से 'फिट' अथवा 'अनफिट' पाए गए अभ्यर्थियों को उनके चिकित्सा परिणाम की खुद चिकित्सा बोर्ड द्वारा सूचना दी जाएगी ताकि अभ्यर्थियों को अपनी स्थिति स्पष्ट हो सके।

(iv) जहां चिकित्सा अधिकारी को विशेषज्ञ की राय की जरूरत है तो संबंधित भर्ती केन्द्र अथवा जीआरईएफ केन्द्र के निकटवर्ती सैन्य अस्पताल या किसी सर्विस/थल सेना

अस्पताल को मामला भेजा जाएगा। संबंधित विशेषज्ञ के ओ.पी.डी. के दिन के आधार पर, चिकित्सक द्वारा सैन्य अस्पताल में चिकित्सा परीक्षा के आयोजन और उत्तरवर्ती कार्यविधि के बारे में अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से हिदायत दी जाएगी।

(v) अभ्यर्थियों के 'फिट' अथवा 'अनफिट' के संबंध में चिकित्सा कागजात, चिकित्सा परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात अधिमानत: चिकित्सा परीक्षा वाले दिन ही एमआई रूम द्वारा भर्ती करने वाले अनुभाग/मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम को दे दिए जाएंगे, लेकिन यह परीक्षा की तिथि से 5 दिन के अन्दर दे दिए जाएं।

(vi) सैन्य अस्पतालों अथवा किसी सर्विस/थल सेना अस्पताल को भेजे गए मामलों के बारे में ब्यौरों की चिकित्सा बोर्ड द्वारा भर्ती कर रहे अनुभाग को भी साथ-ही-साथ सूचना दी जाएगी।

(ii) संबंधित विशेषज्ञ द्वारा विधिवत समीक्षा किए गए और चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा लौटाए गए संदर्भित मामलों का रेजीमेंटल चिकित्सा अधिकारी द्वारा विशेषज्ञ की टिप्पणी के अनुसार तत्परतापूर्वक निपटान किया जाएगा और रेजीमेंटल चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस संबंध में भर्ती कर रहे अनुभाग को भी साथ-साथ सूचना भेजी जाएगी।

(iii) **अस्थायी रूप से अनफिट:** अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। -

(क) **चिकित्सा कारणों से अस्थायी रूप से अनफिट:** - चिकित्सा कारणों से अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को चिकित्सा बोर्ड और भर्ती प्रभारी अधिकारी अथवा अधिकारी मंडल अथवा मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम द्वारा लिखित रूप से उनकी निर्योग्यता के बारे में सूचना दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों के पास भर्ती केन्द्र चिकित्सा बोर्ड द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा के विरूद्ध अपील करने का अधिकार है तथा ऐसी अपील भर्ती केन्द्र के चिकित्सा बोर्ड द्वारा आरम्भ में अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित करने की तिथि से 60 दिन की अवधि के भीतर की जानी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों को विशेषज्ञ द्वारा चिकित्सा परीक्षा के लिए अपील के साथ 05(पांच) दिन पहले रिपोर्ट करनी चाहिए तथा उन्हें समीक्षा प्रमाणपत्र की दो प्रतियों के साथ निकटतम सैन्य अस्पताल/सर्विस अस्पताल के संबंधित विशेषज्ञ के पास भेजा जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को पुन: चिकित्सा परीक्षा के लिए शुल्क के रूप में 40/-रूपए जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि ऐसे अभ्यर्थियों को समीक्षा के दौरान पुन: 'अनफिट' पाया जाता है तो उन्हें पुन: चिकित्सा परीक्षा का कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता स्वत: निरस्त हो जाएगी। पुन: चिकित्सा परीक्षा के बाद, यदि अभ्यर्थी 'फिट' पाया जाता है तो प्रवेशण की पूरी प्रक्रिया को आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तिथि से छ: माह की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। जहां आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तिथि से छ: माह की अवधि के भीतर प्रवेशण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और जहां विलम्ब स्वयं अभ्यर्थी के कृत्यों के कारण हुआ है तो ऐसी स्थिति में भर्ती के लिए ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वत: निरस्त हो जाएगी।

(ख) **शारीरिक मापदंडों में कमी के कारण अस्थायी रूप से अनफिट:** - शारीरिक मापदंडों में कमी के कारण अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को भी चिकित्सा बोर्ड और भर्ती प्रभारी अधिकारी अथवा अधिकारी मंडल अथवा मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम द्वारा लिखित रूप से उनकी निर्योग्यता अथवा कमियों के बारे में सूचना दी जाएगी। शारीरिक मापदंडों का लिखित में विरोध करने वाले अभ्यर्थियों

की, यदि जीआरईएफकेन्द्र में चिकित्सा परीक्षा ली जा रही है तो कमाण्डेंट अथवा भर्ती प्रभारी अधिकारी की उपस्थिति में और यदि यह चिकित्सा परीक्षा मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम द्वारा ली जा रही है तो अधिकारी मंडल की उपस्थिति में, चिकित्सा परीक्षा के 24 घंटे के भीतर एक बार दोबारा मापदंड परीक्षा ली जाएगी। केवल वजन अथवा सीने की माप के कारण शारीरिक मापदंडों में कमी के लिए अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को वांछित मानक प्राप्त करने के लिए यथोचित समय दिया जाएगा, लेकिन यह अवधि आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तिथि से 2 माह से अधिक नहीं होगी। पुन: मापदंड परीक्षा के पश्चात् यदि अभ्यर्थी 'फिट' पाया जाता है तो प्रवेशण की पूरी प्रक्रिया को आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तिथि से छ: माह की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। जहां आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तिथि से छ: माह की अवधि के भीतर प्रवेशण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और जहां विलम्ब स्वयं अभ्यर्थी के कृत्यों के कारण हुआ है तो ऐसी स्थिति में भर्ती के लिए ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वत: निरस्त हो जाएगी।

(ix) **स्थायी रूप से अनफिट:** - स्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को भी दो श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा।

(क) **चिकित्सा कारणों से स्थायी रूप से अनफिट :** - चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को चिकित्सा बोर्ड और भर्ती प्रभारी अधिकारी अथवा अधिकारी मंडल द्वारा लिखित रूप से उनकी निर्योग्यता के बारे में सूचना दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों के पास, उन्हें स्थायी रूप से अनफिट घोषित करने की 60 दिन की अवधि के भीतर वर्तमान चिकित्सा परीक्षा के विरूद्ध अपील करने का अधिकार है। ऐसे मामले में, अभ्यर्थियों को पुन: चिकित्सा परीक्षा की अपील के साथ जीआरईएफकेन्द्र अथवा भर्ती जोन में 5(पांच) दिन पहले रिपोर्ट करनी चाहिए। चिकित्सा बोर्ड द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों को समीक्षा प्रमाणपत्र की दो प्रतियों के साथ निकटतम सर्विस अस्पताल भेजा जाएगा। सर्विस विशेषज्ञ द्वारा पुन: चिकित्सा करने से पूर्व, ऐसे अभ्यर्थियों को भारतीय स्टेट बैंक में स्थित सरकारी खजाने में 40/- रूपए की राशि जमा करने की आवश्यकता होगी। ऐसे सभी मामले, जहां संबंधित विशेषज्ञ द्वारा समीक्षा करने पर अभ्यर्थियों को दोबारा 'अनफिट' घोषित किया जाता है, उन्हें पुन: चिकित्सा परीक्षा/ समीक्षा के लिए कोई ओर अवसर नहीं दिया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता स्वत: निरस्त हो जाएगी। पुन: चिकित्सा परीक्षा के बाद, यदि अभ्यर्थी 'फिट' पाया जाता है तो प्रवेशण की पूरी प्रक्रिया को आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तिथि से छ: माह की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। जहां आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तिथि से छ: माह की अवधि के भीतर प्रवेशण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और जहां विलम्ब स्वयं अभ्यर्थी के कृत्यों के कारण हुआ है तो ऐसी स्थिति में भर्ती के लिए ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वत: निरस्त हो जाएगी।

(ख) शारीरिक मापदंडों में कमी के कारण स्थायी रूप से अनफिट: - जिन अभ्यर्थियों को कद के संबंध में शारीरिक मापदंडों में कमी के कारण स्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किया गया है, उन मामलों में शारीरिक मापन के विरूद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। तथापि शारीरिक मापन का विरोध करने वाले अभ्यर्थियों की भर्ती प्रभारी अधिकारी अथवा कमाण्डेंट, जीआरईएफ केन्द्र अथवा अधिकारी मंडल अथवा मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम

(एम.आर.आर.टी.), जैसा भी मामला हो, की उपस्थिति में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा उसी दिन एक बार दोबारा मापदंड जांच की जाएगी

(x) **दृष्टि संबंधी मापदंड :-** दृष्टि संबंधी तीक्ष्णता प्रत्येक आंख की 6/12 अथवा दाहिनी आंख की 6/6 और बांयी आंख की 6/24 से कम नहीं होनी चाहिए। दृष्टि संबंधी जांच के दौरान सुधारक चश्मे का उपयोग करने की अनुमति है। सुधार की गई दृष्टि के मामले में, सहायता रहित दृष्टि प्रत्येक आंख में 6/60 से नीचे नहीं होगी और सुधार करने पर यह वही होगी, जैसा कि अन्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई है।

(xi) **शल्य चिकित्सा:** यदि किसी अभ्यर्थी ने हाल ही में उदर- संबंधी शल्य- चिकित्सा कराई है (उदाहरणत: हर्निया, मांसपेशी दोष, नेफ्रोलिथोलॉमी, कॉललिथियासिस, कॉलसिस्टोटॉमी), तो वह मौजूदा नियमों के अनुसार एक वर्ष के लिए 'अनफिट' किए जाने का दायी होगा। तथापि स्थायी रूप से 'अनफिट' मामलों के लिए चिकित्सा अपील करने का उपबंध यथावत है अर्थात 2 माह के भीतर । ऐसे मामलों में उन्हीं मानदंडों का अनुसरण किया जाना चाहिए, जैसा कि उपरोक्त आंख की शल्य चिकित्सा मामलों में किया जाता है।

(c) **चिकित्सा योग्यता : -** : इन नियमों में निहित कुछ भी होने के बावजूद, केवल वे लोग ही जो चिकित्सकीय रूप से योग्य पाए जाते हैं वे इन नियमों के प्रावधानों के तहत नियुक्ति के पात्र होंगे ।

(i) सीमा सड़क संगठन पूरे भारत में स्थानांतरण दायित्व सहित एक केंद्रीय सरकारी संगठन है । सीमा सड़क संगठन केंद्रीय सिविल सेवा नियमों द्वारा शासित है। तथापि, सेना अधिनियम-1950 के कतिपय प्रावधान बल के सदस्यों पर भी लागू होते हैं ।

(ii) कर्मचारी चयन आयोग और सामान्य रिजर्व अभियंता बल केंद्र द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का अंतिम चयन चिकित्सा योग्याता परीक्षा उत्तीर्ण करने के अध्यधीन होगा । निदेशालय द्वारा गठित विस्तृत मेडिकल बोर्ड कर्मचारी चयन आयोग और सामान्य रिजर्व अभियंता बल केंद्र (जीआरईएफ) द्वारा चयन किए गए अभ्यर्थियों की चिकित्सा योग्यता परीक्षा लेगा ।

(iii) चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सकीय रूप से 'योग्य' घोषित अभ्यर्थियों को अन्य सभी मानदंडों के पूरा करने के अध्यधीन सामान्य रिजर्व अभियंता बल (सी.स.ब) में शामिल किया जाएगा और उन्हें सामान्य रिजर्व अभियंता केंद्र, दीघी शिविर, पुणे-15 में प्रारंभिक प्रशिक्षण लेना होगा

(iv) जीआरईएफ केंद्र में प्रशिक्षण देने के बाद, उन्हें उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार भारत में कहीं भी तैनात किया जाएगा ।

4. **अभ्यर्थिता रद्द करना:** -यदि कोई अभ्यर्थी चिकित्सा परीक्षा के लिए रिपोर्ट करने की तिथि पर अनुपस्थित होता है या चिकित्सा परीक्षा के दौरान या निर्धारित समय सीमा के भीतर चिकित्सा समीक्षा के लिए रिपोर्ट नहीं करता है तो उसकी अभ्यर्थिता स्वतः रद्द हो जाएगी । इस संबंध में विभाग द्वारा कोई अभ्यावेदन/ अपील स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5. **नियमों में छूट देने की शक्ति :** - जहां केंद्र सरकार का मानना है कि ऐसा करना आवश्यक या उपयुक्त है, तो वह आदेश द्वारा और लिखित में कारणों को दर्ज करके व्यक्तियों को किसी भी वर्ग या श्रेणी के संबंध

में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दे सकता है।

6. **व्यावृति: -** इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष श्रेणियों की व्यक्तियों के लिए कोई भी किए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छुट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी ।

अनुसूची-I

शारीरिक दक्षता परीक्षा (समूह 'ग' पदों के लिए)			
क्रम संख्या	**कार्यकलाप**	**अधिकतम अंक**	**उपलब्ध समय**
1	**एक मील की दौड़**	**केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।**	**10मिनट**
नोट -(i) एक मील की दौड़ निर्धारित समय में पूरी की जानी है। (ii) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को जीआरईएफ केंद्र, पुणे में आयोजित की जाने वाली एक मील की दौड़ की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है तत्पश्चात उनकी चिकित्सा परीक्षा की जाएगी।			

कार्मिकों के क्षेत्र-वार शारीरिक मानक

क्रम सं.	क्षेत्र	राज्य /क्षेत्र सम्मिलित	शारीरिक मानक		
			न्यूनतम ऊंचाई	सीना	न्यूनतम वजन
क	पश्चिमी हिमालय	जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश व पंजाब के मध्य दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्र एवं मुकेरियन होशियार पुर की सड़क के उत्तरी एवं पूर्वी क्षेत्र, गढ़शंकर, रोपड़ व चंडीगढ़), उत्तराखंड	158 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	47.5 किग्रा.
ख	पूर्वी हिमालय क्षेत्र	सिक्किम,नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मणीपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र (दार्जिलिंग और कलिंपोंग जिले तथा अंडमान निकोबार)	152 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	47.5 किग्रा.
ग	पश्चिम के मैदानी क्षेत्र	पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश	162.5 सेमी	न्यूनतम 76 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	50 किग्रा.
घ	पूर्वी मैदानी क्षेत्र	पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार पश्चिम बंगाल व उड़ीसा और झारखंड	157 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	50 किग्रा.
ड.	मध्य क्षेत्र	गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, दादर नगर और हवेली, दमन और दीव तथा छत्तीसगढ़	157 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	50 किग्रा.
च	दक्षिणी क्षेत्र	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना	157 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	50 किग्रा.
छ	सेवारत/**पूर्व-जीआरईएफ** कार्मिकों के पुत्रों के लिए छूट		2 सेमी	1 सेमी	2 किग्रा.
ज	डीडी मामलों में छूट (यह अपने स्वयं के पुत्र, दत्तक पुत्र के लिए लागू होगा परंतु किसी अन्य संबंधी के लिए लागू नही होगा)		2 सेमी	1 सेमी	2 किग्रा.
झ	गोरखा (भारतीय निवासी)		152 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	47.5किग्रा.

अनुसूची-III

जीआरईएफ के लिए भर्ती के चिकित्सा मानक

सामान्य

1. प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रर्याप्त रूप से बुद्धिमान एवं स्नायु संबंधी अस्थिरता से मुक्त होना चाहिए और उसका स्वास्थ अच्छा होना चाहिए। उसकी शारीरिक संरचना संबंधी या अधिग्रहित विकलांगता नहीं होनी चाहिए जिससे भर्ती चिकित्सा अधिकारी की राय में उसे कर्तव्यों, विशेषतः ऊचाई पर और कठिन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए उसे अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है।

सामान्य परीक्षा

2. सभी मामलों में, चिकित्सा परीक्षा के दौरान यह नितांत आवश्यक है कि अभ्यर्थी के सभी वस्त्र उतरवाए जाएं। इस संबंध में गोपनीयता और सभ्यता का ध्यान रखा जाए। आंशिक रूप से वस्त्र उतरवाना ही पर्याप्त नहीं है। गुप्तांगों की परीक्षा किए जाने के समय को छोड़कर अंतःवस्त्र पहनने की अनुमति दी जा सकती है। शरीर के प्रत्येक भाग की परीक्षा की जानी चाहिए और यदि अभ्यर्थी समझाने के बाद भी यह स्वीकार नहीं करता है तो उसे खारिज कर दिया जाएगा। केवल बाजू अर्थात कोहनी से लेकर कलाई तक, भीतर की ओर तथा हथेली के पीछे की ओर / हाथ के पृष्ठ भाग पर स्थाई टैटू अनुमत्य हैं। तथापि अश्लील, अभद्र या अपत्तिजनक टैटू के मामले में, टैटू की स्वीकार्यता/ अस्वीकार्यता पर उप-महानिदेशक (कार्मिक) / जीआरईएफ केंद्र के कमांडेंट द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में उप-महानिदेशक (कार्मिक) / जीआरईएफ केंद्र के कमांडेंट का निर्णय अंतिम होगा। शरीर के किसी अन्य भाग पर स्थायी टैटू स्वीकार्य नहीं हैं और ऐसे मामलों में अभ्यर्थी की आगे जांच नहीं की जाएगी।

शारीरिक फिटनेस का दायित्व

3. जांचकर्ता चिकित्सा बोर्ड अभ्यर्थियों की शारीरिक फिटनेस, उनके शारीरिक विकास की संभावना और उनके पहचान चिह्न की जांच करने के लिए जिम्मेदार है। बोर्ड नामांकन प्रपत्र में उन छोटी कमियों को भी दर्ज करेगा जो अभ्यर्थी को खारिज करने के लिए अपर्याप्त हैं। यदि अभ्यर्थी उपयुक्त (फिट) पाया जाता है तो बोर्ड नामांकन प्रपत्र में आवश्यक प्रविष्टि करेगा और नामांकन प्रपत्र में फिट-श्रेणी जीआरईएफ लिखेगा और नामाकंन अधिकारीको लौटा देगा। नामांकन प्रपत्र पर चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर इस घोषणा पत्र के रूप में स्वीकार किए जाएंगे कि उसने मौजूदा निर्देशों के अनुसार उक्त अभ्यर्थी की व्यक्तिगत रूप से जांच की है और जो दोष उसने नामांकन प्रपत्र में नोट किए हैं, अभ्यर्थी में उन दोषों को छोड़कर अन्य कोई दोष नहीं हैं।

मेडिकल हिस्ट्री शीट जीआरईएफ/मेड/2ए

4. यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो कि सैनिक की सेवा निवृत्ति के पश्चात निशक्तता पेंशन के दावों से जुड़ा हुआ है। चिकित्सा मदों को जीआरईएफ/मेड/2ए का सारणी संख्या 1 चिकित्सा बोर्ड जीआरईएफ/मेड/2ए पूरा करेगा।
5. इन दस्तावेजों को तैयार करने और उनका रख-रखाव करने में संबंधित अधिकारियों द्वारा विफल रहने और उनमें प्रविष्टयों की गलती या अपर्याप्तता होने से अत्यधिक देरी हो सकती है जिससे भर्ती का खर्च बढ़ेगा और भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति के साथ गम्भीर अन्याय होगा । अतः चिकित्सा अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए कि परीक्षा के दौरान सभी आवश्यक प्रविष्टियां ध्यानपूर्वक और सटीकता से की गई हैं
6. व्यक्ति की भविष्य में पहचान किए जाने हेतु इस प्रयोजनार्थ दिए गए स्थान में पहचान चिन्ह और छोटी कमियों को संक्षिप्त रूप से और स्पष्टतः नोट किया जाना चाहिए। किसी भी ऐसी कमियों पर सदैव विशेष ध्यान देना चाहिए जो भविष्य में पेंशन के संभावित दावों पर निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं।

जीआरईएफ में अभ्यर्थियों की चिकित्सीय निरीक्षण को अभिशासित करने वाले नियम

अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा के मुख्य बिंदु

7. अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा के मुख्य बिंदु। अभ्यर्थियों के निरीक्षण में ध्यान दिए जाने वाले मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:-

क. कि अभ्यर्थी पर्याप्त रूप से बुद्धिमान है (इस संबंध में किसी भी कमी पर परीक्षण के दौरान ध्यान दिया जाए)

ख. कि उसका शारीरिक गठन ठीक है और उसे कान, नाक और गले का कोई रोग नहीं है।

ग. कि उसकी दोनों आंखों की दृष्टि अपेक्षित मानकों के अनुरूप है, उसकी आंखें चमकदार, साफ हैं और उनमें कोई भेंगापन, नाइस्टेगेमस या कोई अपसामान्यता नहीं है। आंखों की पुतलियों को सभी दिशाओं में पूर्ण और मुक्त रूप से घूमना चाहिए।

घ. कि वह बिना किसी रूकावट के बात-चीत कर सकता है।

ङ. कि वह ग्रंथियों की सूज़न से पीड़ित नहीं है।

च. कि उसका सीना सुगठित है और कि उसका हृदय और फेफड़े स्वस्थ हैं।

छ. कि उसके अंग सुगठित और सुविकसित हैं।

ज. कि उसके सभी जोड़ मुक्त रूप से अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं।

झ. कि उसके पैर और पैरों की अंगुलियां सुसंरचित हैं।

ञ. कि उसके कोई जन्मजात विकृति या दोष नहीं है।

ट. कि उसके किसी पिछली पुरानी बीमारी के ऐसे कोई लक्षण नहीं हैं जो किसी शारीरिक विकृति को इंगित करते हों।

ठ. कि उसके पर्याप्त संख्या में स्वस्थ दांत हैं और वह सक्षमता से चबा सकता है।

ड. कि उसको जननांग/मूत्र-मार्ग संबंधी कोई रोग नहीं है।

स्थाई रूप से अयोग्य घोषित करने के आधार

8. निम्नलिखित में से किसी भी दशा को परिलक्षित करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य करार दिया जाएगाः-

क. सामान्य रूप से विकलांग शारीरिक संरचना एवं दुर्बलता (18 से कम बीएमआई)

ख. असामान्य चाल

ग. असामान्य अंग-विन्यास (काईपोसिस, सोलियोसिस या लार्डोसिस)

घ. सीने की समग्र रूप से शारीरिक विरूपता (पिजन चेस्ट, बैरल के आकार का सीना, पैक्टस ऐक्सकेवेटम, हैरिसन सल्कस एवं जोड़ (मुड़ी हुई टांगे, मुड़े हुए घुटने, मुड़े हुए पैर ,सपाट पैर)

ङ. दोषपूर्ण बुद्धिलब्धि

च. बधिरता

छ. हकलाना

ज. मानसिक एवं तंत्रिका संबंधी अस्थिरता जिसमें कपकपीं तथा हथेली एवं तलुओं में अत्यधिक पसीना आता है (पल्स रेट 100/मिनट से अधिक)

झ. यौन संचारित रोग

ञ. किसी भी स्तर का भैंगापन अथवा पुतलियों का असामान्य रूप से घूमना

ट. वर्णांधता के मामले

ठ. व्यक्ति की दोनों आंखों की सामान्य दृष्टि को प्रभावित करने वाला कार्नियल ओपेसिटिस

ड. कान के पर्दे में छेद

ढ. कानों से पीप बहने का दीर्घकालिक रोग/मध्यकर्ण शोध/कर्णमूल शोथिका

ण. दांतों का उस हद तक टूटना या सड़ना कि ठीक से चबाने में बाधा उत्पन्न होती हो। 14 से कम दांत

त. फेफड़ों का दीर्घकालिक संक्रमण

थ. अंतःस्त्रावी विकार

द. हृदय की अपसामान्य ध्वनि या उच्च रक्त चाप (रक्त चाप>140/95mm Hg)

ध. अधिक स्तर का अल्प दृष्टि दोष और अपवर्तक दोष को सुधारने के लिए कॉर्नियल सर्जरी के मामले

न. प्रत्यारोपण से ठीक किया गया फ्रैक्चर या फ्रैक्चर से प्रभावित जोड़ों का अस्थिसमेकन

प. कोई अंग विच्छेदन जिससे व्यक्ति की कार्य क्षमता प्रभावित होती हो

फ. केवल बाजू अर्थात कोहनी से लेकर कलाई तक, भीतर की ओर तथा हथेली के पीछे की ओर / हाथ के पृष्ठ भाग पर स्थाई टैटू अनुमत्य हैं। तथापि अश्लील, अभद्र या अपत्ति जनक टैटू के मामले में, टैटू की स्वीकार्यता/ अस्वीकार्यता पर उप-महानिदेशक (कार्मिक) / जीआरईएफ केंद्र के कमांडेंट द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में उप-महानिदेशक (कार्मिक) / बीआरओ स्कूल एवं सेंटर के कमांडेंट जीआरईएफ केंद्र के कमांडेंट का निर्णय अंतिम होगा। शरीर के अन्य भाग पर स्थायी टैटू स्वीकार्य नहीं है और ऐसे मामलों में अभ्यर्थी की आगे जांच नहीं की जाएगी।

अस्थाई रूप से अयोग्य (अनफिट) घोषित करने के लिए आधार

9. अस्थाई रूप से अयोग्य (अनफिट) घोषित करने के निम्नलिखित आधार हैः-

क. प्टेरिजियम
ख. नेत्र शोध
ग. दोष पूर्ण दृष्टि (चश्मे से ठीक करने पर दोनों आंखों की 6/6 स्वीकार्य होगी)
घ. ट्रैकोमा ग्रेड-III
ङ. विपथित नासिका झिल्ली
च. गलसुओ की दीर्घ कालिक सूजन
छ. कुछेक दांतों में सड़न (डेंचर से ठीक करने पर स्वीकार्य है)
ज. पिट्रीएसिस वेर्सिकॉलर
झ. टीनियाक्रोसिस, खुजली, एग्जिमा आदि
ञ. प्लैंटर मस्से
ट. हाइड्रोसिल, हर्निया, वेरीकोसील
ठ. वेरीकोस वेंस
ड. फिमोसिस, गुदा में फिसर या व्रण, बवासीर
ढ. श्वसन नली में अत्यधिक संक्रमण
ण. गाइनेकोमस्टिया
त. रक्त क्षीणता
थ. हैपेटोस्प्लीनोमैगाली
द. 30 से ऊपर बीएमआई (तीन महीने के भीतर बीएमआई 30 से नीचे लाए जाने पर स्वीकार्य होगा)

छोटी कमियों वाले अभ्यर्थियों की स्वीकार्यता

10.निम्नलिखित दशाओं को परिलक्षित करने वाले अभ्यर्थियों को स्वीकार किया जा सकता है:-
क. थोड़े सपाट पैर परंतु पैरों की अंगुलियां लचीली और सुगठित हों।
ख. थोडे मुड़े हुए घुटने (इंटर मेलोलिक दूरी 5 सेमी.)
ग. थोड़े मुड़ी टांगे (इंटर कोंडाइलर दूरी 7 सेमी.)
घ. सेफेना वेरिक्स का कम स्तर
ड. वेरीकोसिली का कम स्तर या अनडिसेंडेड वृषण (इंगुइनल क्षेत्र में स्थिर नहीं)
च. कानों के पर्दे में छेद जिसका उपचार कराकर ठीक कर लिया गया है।
छ. बिना किसी विकार के उपचारित ट्रैकोमा
ज. थोड़ा हकलाना
झ. हाइपरहाइड्रोसिस का कम स्तर
ञ. फिमोसिस/हाइड्रोसिस का कम स्तर

ट. कानों में छिद्र जिसका उपचार करके बंद कर दिया गया हो और जिसका स्वस्थ दाग रह गया हो (टाइम्पेनोप्लास्टी की जा चुकी हो।)

ठ. टांगों की थोड़ी वक्रता

ड. पैरों की अंगुलियों का कम स्तर का हैमर

ढ. वेरीसिस का कम स्तर

ण. टिनिआ वेर्सिकोलर

त. विपथित नासिका झिल्ली (उपचार के बाद स्वीकार्य)

थ. ऐसा कोई अन्य विकार जो भर्ती चिकित्सा अधिकारी की राय में अभ्यर्थी की कार्य-क्षमता को भविष्य में प्रभावित न करता हो बशर्ते कि अभ्यर्थी सभी संदर्भो में निर्धारित मानकों को पूरा करता हो। यदि कोई विकार कम स्तर का हो तो उसे दस्तावेज में अवश्य दर्ज किया जाए।

अभ्यर्थी से इस बात का भी वचन-पत्र लिया जाए कि मिर्गी, कुष्ठ, मधुमेह तपेदिक या एचआईवी संक्रमण से संबंधित उसका कोई पूर्व इतिहास नहीं है। पूर्व के उपचारित ऑपरेशनों को मेडिकल केस शीट में नोट किया जाएगा।

उपर्युक्त छूट केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को अनुमत्य है जो मापों के निर्धारित मानक पूरा करते हों।

किसी अनफिट होने के मामले में उच्चतर समीक्षा अधिकारी से अनापत्ति प्राप्त करने के लिए समय सीमा

11. (क) **स्थाई रूप से अयोग्य** घोषित किए जाने के सभी मामलों की उच्चतर चिकित्सा अधिकारी द्वारा समीक्षा की जाए और अयोग्य घोषित किए जाने के समय से 01(एक महीने) की अवधि के भीतर उसे अयोग्य/ योग्य घोषित किया जाना चाहिए।

(ख) उच्चतर चिकित्सा अधिकारी द्वारा **अस्थाई रूप से अयोग्य** घोषित किए जाने के सभी मामलों की**,** अयोग्य घोषित किए जाने के समय से तीन महीने (90 दिन) के भीतर उसे योग्य/ अयोग्य घोषित करने के लिए समीक्षा की जाए।

12. ऐसे सभी मामलों में जिनमें अभ्यर्थी किसी अल्प दोष से पीड़ित हो और उसे स्वीकार किया जाता है, चिकित्सा बोर्ड स्वयं को पूर्ण रूप से संतुष्ट करेगा कि उक्त दोष किसी भी तरह बी.आर.ओ में अधीनस्थ के रूप में कार्य करने में अभ्यर्थी की कार्य क्षमता को प्रभावित नहीं करेगा।

13. जहां पैरा 10 में उल्लिखित छोटी कमियों के अभ्यर्थी को स्वीकार किया जाता है, वह कमी अनिवार्य रूप से मेडिकल हिस्ट्री शीट जीआरईफ/ मेड/ 2ए में नोट किया जाए।

14. साधारण प्रकृति की मामूली स्वास्थ्य समस्याओं, जैसे-साधारण घावों, जूतों के काटने, सामान्य सर्दी-खांसी और इसी तरह की अन्य छोटी-मोटी बीमारियों जोकि प्राय: कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती हैं, से पीड़ित लोगों को स्वीकार किया जा सकता है। इस तरह की भर्ती को स्वीकार करने से पहले मेडिकल बोर्ड खुद को पूरी तरह संतुष्ट करेगा कि अंतरंग (इनडोर) उपचार के बिना रोग कुछ ही दिनों में ठीक हो सकता है। सामान्यत:, जब तक अभ्यर्थी के लिए कुछेक अनिवार्य अपेक्षाओं को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती है, जोकि आसानी से पूरी नहीं की जा सकती हैं, उसे सलाह दी जानी चाहिए कि वह खुद का इलाज करवाए और फिर से आए। यदि ऐसे अभ्यर्थी को स्वीकार किया जाता है, जोकि किसी भी प्रकृति के मामूली रोग से पीड़ित है, तो मेडिकल हिस्ट्री शीट जीआरईएफ/ मेड/ 2ए में रोग से संबंधित कोई भी प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं है।

15. अपेक्षित चिकित्सीय मानकों को पूरा नहीं करने के कारण अस्वीकृति के सभी मामलों में मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

******